ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

फरवरी : 2005

मूल्य : 7 रुपये

वस्त्र उद्योग

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ 'भारत' का विमोचन

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री जयपाल रेड्डी ने 6 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में हिंदी में प्रकाशित 'भारत 2005' और अंग्रेजी में 'इंडिया 2005' का विमोचन किया।

इन संदर्भ ग्रंथों में अन्य जानकारियों के अलावा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों की प्रमुख गतिविधियों का संकलन है।

ग्रंथों का विमोचन करते हुए मंत्री महोदय ने प्रकाशन विभाग और गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के प्रयासों की सराहना की। इन दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से इन ग्रंथों का प्रकाशन किया है। मंत्रीजी ने कहा कि ये ग्रंथ प्रशासकों, नीति निर्माताओं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं।

इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एस.के. अरोड़ा अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार सुश्री दीपा जैन सिंह, संयुक्त सचिव श्री पी.के. त्रिपाठी, तथा प्रकाशन विभाग के निदेशक प्रोफेसर उमाकांत मिश्र मौजूद थे।

बायें से दायें प्रोफेसर उमाकांत मिश्र, श्री पी.के. त्रिपाठी, श्री एस.के. अरोड़ा, श्री जयपाल रेड्डी, श्रीमती दीपक संधू और सुश्री दीपा जैन सिंह

आवश्यक सूचना

मार्च 2005 में 'योजना' के सामान्य अंक के अलावा, बजट पर एक विशेष अंक भी प्रकाशित किया जाएगा। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2004–05, रेल बजट 2005–06 तथा केंद्रीय बजट 2005–06 पर लेख प्रकाशित किए जाएंगे। यह विशेषांक सामान्य अंक जितना ही होगा और इसका मूल्य भी सात रुपये ही होगा। वार्षिक ग्राहकों और पाठकों से अनुरोध है कि इस बजट अंक की प्रति अभी से सुरक्षित करा लें।

योजना

वर्ष : 48 अंक 11 फरवरी, 2005 कुल पृष्ठ : 48 माघ–फाल्गुन, शक संवत् 1926

इस अंक में

- भारत : एक खिलाड़ी या विजेता — वीना झा — 5
- कपड़े के विश्व व्यापार का नया युग अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर — रीमा नानावटी — 14
- भारतीय वस्त्र उद्योग का भविष्य — डी.के. नायर — 19
- मल्टी फाइबर व्यवस्था की समाप्ति का असर — – — 26
- सुनामी लहरों का तांडव — मधु आर. शेखर — 29
- माइक्रो उद्यम और एसएचजी – एक रूडा अनुभव — मेघा दुभाषी — 39
- मंथन – गरब गोपालहिं भावत नाहीं — जियाउर रहमान जाफरी — 43
- जहां चाह, वहां राह – अपने दृढ़ संकल्प से प्रगति पथ पर अग्रसर ग्रामीण महिलाएं — बबीता जायसवाल — 45
- नए प्रकाशन — – — 47

प्रधान संपादक – **अनुराग मिश्रा**

संपादक – **राजेन्द्र राय**

सहायक संपादक – **योगेन्द्र दत्त शर्मा**

उप संपादक – **रेमी कुमारी**

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666 / 2508, 2566
ई–मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन)
दूरभाष : 24367260, 2436509, 24365610

आवरण – **दीपायन मैत्रा**

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। **पत्रिका मंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :–**
व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक** : 135 रु.; **त्रैवार्षिक** : 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश** : 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

यह वर्ष वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में विश्व में एक नई खुशखबरी लेकर आया है। 1 जनवरी 2005 से कपड़ा बाजार को एक नई दिशा मिली है। पिछले वर्ष यानी 31 दिसंबर 2004 तक अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों जैसे कुछ विकसित देशों को कपड़ों का निर्यात भारत और उक्त देशों के बीच हुए परस्पर वस्त्र समझौतों द्वारा नियंत्रित होता था। मल्टी फाइबर समझौते (आपसी समझ) के अंतर्गत होने वाले ये समझौते टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य समझौते (गैट) के नियमों से बाहर होते थे। लेकिन 31 दिसंबर 2004 को इस समझौते की अवधि समाप्त हो जाने के बाद विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में कपड़ों और तैयार परिधानों पर से अनेक उल्लेखनीय प्रतिबंध हटा लिए गए। इस सुखद घटना के बाद कपड़ा बाजार में खुली प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। ऐसे में भारत के लिए इस क्षेत्र में बेहतर सुअवसर और चुनौतियां उपस्थित होंगी।

उदारीकृत व्यापार व्यवस्था से कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे निर्यात के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में आयातों के प्रवेश का सामना करना पड़ेगा। अतः भारतीय कपड़ा उद्योग को उभरती विश्व स्पर्धा का मुकाबला करने के लिए अपनी दक्षता और उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अपनी सार्थकता और अपरिहार्यता भी सिद्ध करनी होगी।

कपड़ा निर्यात के मामले में भविष्य के लिए भारत को नई उम्मीदें बंधी हैं। व्यापार के कोटों की समाप्ति के बाद भारतीय कपड़ा निर्यात में तेजी आने की आशा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे महत्वपूर्ण आयातक देश अपनी आयात संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत का मुकाबला पाकिस्तान और चीन से है। इनमें भी चीन का स्थान सर्वोपरि है। किंतु हाल ही में किए गए अनेक अध्ययनों के अनुसार भारत चीन को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में है। निर्यात की प्रगति को मूल्यवर्द्धित तैयार वस्त्रों और परिधानों से मदद मिलेगी क्योंकि भारत के पास इस क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बातें हैं, जैसे – अपेक्षाकृत कम खर्चीली और कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता; डिजाइन विशेषज्ञता, देश में उगाई कपास, धागों और कपड़ों जैसे बुनियादी कच्चे माल के व्यापक उत्पादन आधार; और कपड़ों की विस्तृत श्रेणी की उपलब्धता। इन सब मामलों में भारत को अपने प्रतियोगियों से बढ़त प्राप्त है।

इस दृष्टि से यह वर्ष भारत के लिए शुभ संकेत लेकर आया है।

पर पिछला वर्ष जाते–जाते मन को गहरे अवसाद से भर गया। हिंद महासागर से उठी भूकंप की सुनामी लहरें भारत के तटवर्ती राज्यों और पड़ोसी देशों में एक भयानक विनाश–लीला रच गईं। हजारों लोग मारे गए और हजारों ही बेघर हो गए। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए हम कामना करते हैं कि बेघर, बेसहारा लोगों को भी आश्रय मिले। उनके पुनर्वास के लिए हमें जी खोलकर उनकी सहयाता करनी होगी। ❑

आपकी राय

(संदर्भित अंक–नवंबर, 2004)

आत्मसुधार

मैं 'योजना' पत्रिका का पिछले एक वर्ष से नियमित पाठक हूं। वैसे तो हर एक अंक हम जैसे पाठकों के लिए विकास की एक–एक सीढ़ी है, परंतु नवंबर 2004 अंक में 'मंथन' के तहत नरेन्द्र देवांगन ने जो बातें बताई हैं, वास्तव में हम जैसे युवाओं को इससे सीख लेनी चाहिए और पूरी संकल्प शक्ति के साथ यह निर्णय लेना चाहिए कि कोई भी गलती करने पर पश्चात्ताप नहीं बल्कि अपने आप में सुधार करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए जिससे उसी गलती की फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं ओशो रजनीश की पंक्ति को उद्धृत करना चाहता हूं – 'हम एक बार गलती करें तो धिक्कार है गलती पर, और अगर दोबारा करें तो धिक्कार है हम पर।'

बाल पत्रिका के बारे में प्रकाश मनु के विचार बड़ा ही सराहनीय लगे और वास्तव में 5–15 वर्ष के बच्चों की उम्र के हिसाब से बच्चे, बड़े बच्चे और किशोरों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित करने की जरूरत है, जिसमें हर तरह के लेख हों जिससे खेल–खेल में ही वे भारतीय संस्कृति को जानें तथा अपनाएं।

रविशंकर, पटना

सही माहौल की जरूरत

आपने बाल दिवस के अवसर पर न केवल बाल पीढ़ी की ज्वलंत समस्याओं पर सिलसिलेवार पैनी नजर डाली है, बल्कि बच्चों के हित में बहुत ही सार्थक उपाय और सुझाव भी रखे हैं। लेखिका क्षमा शर्मा की प्रस्तुति 'वे हो गए हैं अपनी उम्र से बड़े' भी हमें उस सच से अवगत कराती है जिसे हम भुलाए बैठे हैं। हमारे विशेषज्ञ जहां बच्चों को स्वतंत्र माहौल में रखकर उनकी प्रतिभाओं को निखारने की सलाह देते हैं वहीं प्रत्यक्ष रूप में हम उन पर अपनी महत्वाकांक्षाएं थोपकर अपना बोझ हल्का करने की कोशिश में हैं। बच्चों के बारे में कोई भी निर्णय अभिभावक ही लेते हैं। जबकि बच्चे को आज स्वतंत्र और प्रेरणाप्रद माहौल की जरूरत है। उन्हें ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिसमें वे सही–गलत का भेद जानते हुए अपनी स्वाभाविक क्रियाएं कर सकें।

इस अंक में निभा कुमारी का ज्ञान सागर, 'हिंदी बाल पत्रिकाएं : एक विकास यात्रा', 'अधिक पश्चात्ताप से मनोबल गिरता है' लेख भी उपयोगी और समसामायिक रहे।

छैलबिहारी शर्मा 'इंद्र', छाता

महत्वाकांक्षा

'योजना' का नवंबर का अंक पढ़ा। क्षमा शर्मा के आलेख 'वे हो गए हैं अपनी उम्र से बड़े' ने विशेष आकर्षित किया। आज संयुक्त परिवार के विखंडन और एकल परिवार के जन्म से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो वह है बच्चों का भविष्य। इन परिवारों ने बच्चों का बचपन ही छीन लिया है। दादी, नानी की कहानी और उससे छलकता प्यार का सैलाब गायब हो चुका है। शहरी समाज में तो बच्चों का बचपन लुट–सा गया है। किताबों के बोझ तले दबा बचपन, माता–पिता के प्यार से वंचित बचपन, टी.वी. पर कार्टून कोना खोजता बचपन, पता नहीं भविष्य क्या है? तिस पर एकल संतान होने से माता–पिता की ऊंची महत्वाकांक्षा! मातृत्व और पितृत्व प्यार से वंचित बच्चों का दिवस भी कुछ वर्षों में बाजार के हवाले हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अन्य दिवस की तरह माता–पिता अपने बच्चों को बाल–दिवस का कार्ड थमा दें और अपने कर्तव्य की इतिश्री मान बैठें तो अचरज की बात नहीं होगी।

'मंथन' के द्वारा आपने पाठकों को बराबर अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है वहीं देश के विभिन्न इलाकों में 'जहां चाह वहां राह' से आदमी के अंदर छिपी प्रतिमा को उजागर कर दूसरे के सामने उदाहरण पेश करने का प्रयास किया है।

पवन कुमार झा, नई दिल्ली

बस्ते का बोझ

नवंबर अंक का अध्ययन किया। सभी लेख जानकारी से परिपूर्ण एवं सारगर्भित प्रतीत हुए। बाल विकास पर आधारित प्रमुख लेखों को पढ़कर बचपन के दिन ताजा हो उठे। स्वच्छ एवं रसूकदार माध्यमों से बच्चों का विकास अपनी संपूर्णता प्राप्त कर लेता है, परंतु बढ़ते आधुनिकीकरण एवं प्रतियोगी युग ने बस्ते का बोझ बढ़ाकर एवं स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का स्थान आधुनिक वीडियो–गेम एवं फूहड़ता से भरे कॉमिक्स ने ले लिया है। ऐसे में माता–पिता के कर्त्तव्य और भी बढ़ जाते हैं। साफ्टवेयर निर्यात पर लेख एवं ब्लेक होल पर नई रोशनी के लेख तथ्यों से भरपूर लगे। साफ्टवेयर उद्योग से पनपी भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली है। संपूर्ण विश्व में भारत की शान इनके मार्फत बढ़ती जा रही है, जो कि बेरोजगार युवाओं को एक बेहतर कैरियर का विकल्प सुझा रही है। ब्लेक होल के बारे में मिली महत्वपूर्ण जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से संग्रहणीय लगी। इससे ब्रह्मांड के रहस्य जानने में सफलता मिलेगी। समुद्र मंथन का वर्तमान रूप समझकर काफी रोचक अनुभूति हुई। समुद्र में छिपे घोर रहस्यों के साथ अगर कुछ काम की वस्तु भी प्राप्त हो तो अच्छा लगता है। बायोगैस बॉटलिंग द्वारा ग्रामीण ऊर्जा स्वावलंबन एवं बिहार के गांव के लेखों से सुखद अनुभूति होती है कि यदि व्यक्ति संकल्प कर किसी कार्य को जनोन्मुख रूप से अंजाम दे तो उसका स्वयं का एवं दूसरों का भी फायदा होता है।

जितेन्द्र बाथरी, उज्जैन (म.प्र.)

IAS/PCS 2005 (MAINS/PRELIMS) **CSIR/UGC-NET**

FOUNDATION 2005 & 2006

KALP ACADEMY

We Kalp your dreams into reality.

Biggest & The Best

Rely on us.... We rely only on excellence

कल्प हिन्दी माध्यम

अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान
लोक प्रशासन, भूगोल
इतिहास, दर्शनशास्त्र
मनोविज्ञान, समाज शास्त्र

Read Our Exclusive Magazines
KALP TIMES (Eng.)
कल्प टाइम्स (हिन्दी)
for IAS/PCS

ENGLISH MEDIUM

KALP HUMANITIES: Economics, Commerce, Political Science, Public Admn., Geography, Sociology, Hisotory, Psychology
KALP SCIENCES: Zoology, Maths, Botany Physics, Chemistry

Limited Seats Available - AdmissionOpen

BATCHES FROM 15th FEB. & 25th FEB. 2005

Separate Hostels for Girls & Boys

POSTAL COACHING ALSO AVAILABLE

KALP ACADEMY
Symbiosis of Experts for Civil Services

A-38-40, Ansal Building, Commercial Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph. : 27655825, 27655826. Cell.: 9810565283, 9868024975, 20054802

भारत : एक खिलाड़ी या विजेता

○ वीना झा

भारत की क्षमता को उजागर करने के लिए घरेलू सुधारों और आयात प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। इससे उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के सदस्य देशों के बीच वस्त्र–व्यापार, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग (ए टी सी) यानी वस्त्र एवं कपड़ा समझौते के तहत अनुशासित होता है। यह समझौता 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यू टी ओ समझौता प्रवृत्त होने के साथ लागू हुआ था। इस समझौते में व्यवस्था थी कि शुल्कों एवं व्यापार संबधी सामान्य समझौते (गेट) के नियमों के प्रतिगामी अनुप्रयोग के साथ यूरोपीय संघ अमेरिका और कनाड़ा में उत्तरोत्तर कोटे समाप्त कर दिए जाएंगे। इन कोटों की व्यवस्था मल्टी फाइबर समझौतों (एम एफ ए) से विरासत के रूप में की गई थी। प्रावधान था कि 1 जनवरी, 2005 को दस वर्ष की अवधि पूरी होने पर एटीसी समाप्त हो जाएगा और उसके साथ सभी कोटे समाप्त हो जाएंगे।

भारत ने उरुग्वे दौर की बातचीत के दौरान टी एंड सी संबंधी भेदभावपूर्ण व्यवस्था समाप्त करने और उसके बदले में अन्य क्षेत्रों में समझौते स्वीकार करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की थी। अतः युक्तिसंगत उम्मीद है कि एम एफ ए परवर्ती चरण में भारत को लाभ होगा, जिससे अन्य क्षेत्रों के समझौतों से संभावित दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी बनाया जा सकेगा। औद्योगिक विशेषज्ञों और विद्वानों का अनुमान है कि एटीसी समाप्त होने के पहले कुछ वर्षों के दौरान उद्योग में महत्वपूर्ण समेकन और समायोजन होंगे, और लाभ होना सुनिश्चित नहीं है। डब्ल्यू टी ओ में चीन के प्रवेश से भी प्रतिस्पर्धा के लिए दबाव बढ़ेगा, हालांकि देश से कपड़ा और वस्त्र निर्यात को 1 जनवरी, 2009 तक संधि–कालीन सुरक्षा प्रदान की गयी। ए टी सी परवर्ती प्रतिस्पर्धा की तैयारी में विकसित और विकासशील देशों में वस्त्र और कपड़ा उद्योग अपनी प्रति स्पर्धा बढ़ाने के उपाय कर रहे हैं। भारत की महान क्षमता को उजागर करने के लिए घरेलू सुधारों की आवश्यकता है। इससे विकास की घरेलू अड़चनें दूर हो सकेंगी और उत्पादन क्षमता के आधुनिकरण के लिए आयात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

औद्योगिक विश्लेषकों का अनुमान है कि एटीसी–परवर्ती चरण में अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार भारत स्थित अपने व्यापार भागीदारों पर अपनी निजी आचार–संहिता लागू करते हुए कार्यस्थितियों में सुधार के लिए दबाव डालेंगे। इन निजी आचार संहिताओं की समस्या का मुकाबला करना भारत के समक्ष एक चुनौती है। विशेषकर इस बात को देखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार प्रमुख आयातक देशों में वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों के लिए अक्सर वृहत और शक्तिशाली वितरण चैनलों को नियंत्रित करते हैं जबकि कम्पनियों के पास व्यावहारिक दृष्टि से मोल–भाव करने की शक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद (अंकटाड) जैसे सम्बद्ध संगठनों में अथवा स्पष्ट व्यापार वाले निकाय के माध्यम से निजी आचार संहिताओं की समस्या से कारगर ढंग से निबटने का कोई तंत्र नहीं है।

समझा जाता है कि भारत चीन के बाद वस्त्र एवं परिधन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वस्त्र और परिधान क्षेत्र भारत के सबसे पुराने और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक है, जो रोजगार, विशुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है। इस उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत और निर्यात से होने वाली राष्ट्रीय आय में करीब 35 प्रतिशत योगदान है। यह क्षेत्र करीब 3.8 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और कृषि के बाद रोजगार के सबसे अधिक अवसर इसी क्षेत्र में उपलब्ध हैं। कपड़ा व्यापार में भारत का 3.4.5 प्रतिशत योगदान है और 2003–04 के दौरान इस क्षेत्र में भारत आठवें स्थान पर रहा। हालांकि विश्व के वस्त्र एवं परिधान व्यापार में भारत की मौजूदा हिस्सेदारी बहुत कम है, परन्तु, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा नीति 2000 में व्यवस्था की है कि 2010 तक देश का कपड़ा और परिधान निर्यात निर्यात 50 अरब अमेरिकी डालर मूल्य का किया जाएगा, जिसमें सिले–सिलाए वस्त्रों की भागीदारी 25 अरब अमेरिकी डालर मूल्य की होगी।

भारत का वस्त्र और परिधान क्षेत्र अत्यन्त विविध है और उसमें परिधान

और घरेलू वस्त्र जैसे कताई, बुनाई, रंगाई, और परिष्करण के माध्यम से फाइबर या रेशा उत्पादन से लेकर तैयार माल के निर्माण तक समूची आपूर्ति शृंखला शामिल है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कपास आधारित है। भारत विश्व में इन देशों का प्रमुख उत्पादक है। इनमें प्रमुख हैं – मानव निर्मित रेशे जैसे – पटसन, लिनेन और रेशम। इस क्षेत्र को कुशल और अकुशल, दोनों तरह के विस्तृत श्रमिक संसाधनों तथा तकनीशियनों और प्रबंधकों की व्यापक उपलब्धता से भी लाभ पहुंचा है, जो अपेक्षाकृत कम वेतन पर उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में व्यापार की भाषा अंग्रेजी है। यह क्षेत्र भारी मात्रा में बुनियादी वस्त्रों और कम तथा अधिक लचीली मात्रा में फैशन उत्पादों, दोनों के निर्माण की क्षमता रखता है। वृहत और विकासमान घरेलू बाज़ार से वस्त्र और परिधान क्षेत्र को व्यापक बल मिला है। यह बाजार 2001 में 26 अरब अमेरिकी डालर मूल्य का था और इसके 2005 तक बढ़कर 41 अरब अमेरिकी डालर से अधिक हो जाने की संभावना है। भारत अपनी क्षमता के बलबूते मूल्य और गुणवत्ता के संदर्भ में विशेष बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है।

किन्तु, इस क्षेत्र के ढांचे, पुराने संयंत्रों और उपकरणों, उत्पादन की ऊंची लागत और सरकारी नीतियों की वजह से भारत की लाभप्रद या अनुकूल स्थितियों को कुछ आघात पहुंचा है। बिजली और ब्याज की दरों की वजह से उत्पादन लागत ऊंची है और पूर्व तथा दक्षिण–पूर्व एशिया के प्रमुख प्रतिभागियों की तुलना में उत्पादकता कम है। सरकार की कर और नियमन नीतियां छोटे उत्पादकों के अनुकूल हैं, जिससे बड़े उद्यमों के हितों की अनदेखी होती है। भारत के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र पर बड़ी संख्या में छोटे एवं अक्षम उत्पादकों का वर्चस्व है, जो पुरानी मशीनरी और उपकरणों का सहारा ले रहे हैं।

2005 में कोटा प्रणाली समाप्त होने के बाद व्यापक संरचनागत परिवर्तन आने की संभावना है, और बड़ी संख्या में भारत के कपड़ा मिलों और प्रोसेसिंग हाउसों के बंद होने की आशंका है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर ने पर्याप्त आर्थिक आधार हासिल नहीं किया है अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए अपेक्षित क्षमता विकसित नहीं की है।

उद्योग का स्वरूप

रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत होने के नाते, भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र परम्परागत रूप में ज्यादातर सरकार द्वारा संचालित किया गया। 1950 के दशक से सरकारी विनियमों और प्रोत्साहनों से इस क्षेत्र में लघु कंपनियों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण मिला। संयंत्रों और मशीनरी दोनों में 1 करोड़ रुपये या उससे कम निवेश वाली कंपनियों को अनेक वरीयताओं के योग्य माना गया।

लघु उद्योग क्षेत्र का भारत के करघों और निष्पादित बुनाई, फैब्रिक प्रोसेसिंग और परिधान विनिर्माण इकाइयों पर 95 प्रतिशत से अधिक नियंत्रण है। अभी तक लघु उद्योग कंपनियां एकमात्र भारतीय विनिर्माता रही हैं, जिन्हें घरेलू बाजार के लिए उत्पादन करने का अधिकार है। अन्य सभी को अपने उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत निर्यात करना पड़ता है। उद्योगों का स्वरूप लघु होने की वजह से कंपनियां आर्थिक स्तर हासिल करने, नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश करने और विशेषज्ञता हासिल करने से वंचित रह जाती है। भारत की कराधान नीति भी लघु–उद्योग के अधिक अनुकूल है। परिधान क्षेत्र पर सन् 2000 तक लागू उत्पाद शुल्कों से भी लघु–उद्योग उत्पादकों को छूट प्रदान की गई थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय वस्त्र परिधान क्षेत्र ने असाधारण प्रगति की है। स्पिन्डल यानी तकला क्षेत्र में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, और विश्व के कुल स्पिन्डल क्षेत्र में भारत की भागीदारी 20 प्रतिशत है। किन्तु, भारत के वस्त्र और परिधान क्षेत्र, विशेषकर बुनाई क्षेत्र, में पुराने उपकरण काम में लाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए 2001 की पिछली गणना के अनुसार भारत में 56 लाख करघों में से करीब 40 लाख हथकरघे हैं, और मात्र 1.3 प्रतिशत करघे शटल (ढरकी) रहित हैं।

वर्तमान में भारतीय परिधान उद्योग हर वर्ष करीब 5.2 अरब से 5.5 अरब के बीच वस्त्रों का निर्माण करता है, जिसमें घरेलू बाजार के लिए 26 अरब डालर मूल्य का उत्पादन होता है। यह उद्योग अत्यन्त छिन्न–भिन्न है और समूचे देश में फैला है। वस्त्र उद्योग में शीर्ष स्तर पर कोई एकीकरण नहीं है, जिसमें मुख्य रूप से स्वतंत्र, निजी स्वामित्व वाली लघु और मध्यम आकार की कम्पनियां शामिल हैं, जिनमें से अधिकतर 2 प्रतिशत औसत लाभ पर संचालित हैं। इन लघु कंपनियों की आर्थिक सक्षमता ज्यादातर इसलिए बनी रहती है कि सरकार ने लघु उद्योग उत्पादकों के लिए घरेलू वस्त्र बाज़ार "आरक्षित" कर रखा है जिसकी 1990 से पहले भारतीय वस्त्र उत्पादन में 95 प्रतिशत से अधिक भागीदारी थी। सरकार ने 2001 में परिधान बाजार के वोवन क्षेत्र, यानी बुने हुए वस्त्रों का "आरक्षण" समाप्त कर दिया और इसी तरह 2002–03 के बजट में 'निट–वियर' यानी सलाई से बने वस्त्रों को भी आरक्षित सूची से बाहर कर दिया। हालांकि भारत विश्व के उन देशों में शामिल हैं, जहां श्रम लागत सबसे कम है, फिर भी उत्पादन लागत की दृष्टि से भारत सबसे अधिक लागत वाले देशों में शामिल है। उत्पादन प्रतिशत की दृष्टि से श्रम लागत में कमी आयी है, किन्तु बिजली और अन्य खर्च निरन्तर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2002 में बिजली खर्च कुल लागत का 12 से 13 प्रतिशत था, जो 1980 के 5 प्रतिशत के मुकाबले बहुत अधिक हो गया। उद्योग लागत के शेष भाग का बड़ा हिस्सा कच्चे माल पर (62 से 75 प्रतिशत) और श्रम लागत (7 से 8 प्रतिशत, जो 1990 के दशक की 12 प्रतिशत से कम हो गई) पर खर्च होता है।

तुलनात्मक अध्ययन

यह देखा जा सकता है कि अन्य उन्नत राष्ट्रों की तुलना में भारत अब कम लागत वाला उत्पादक देश नहीं रह गया है और चीन से उसकी श्रम लागत

नामांकन जारी

लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

By

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

Course Offered:

* Mains
* Mains + Prelims (Foundation Course)
* Test Series for Mains
* Answer Formating Session for Mains
* Test Series with Answer Formating Session
* Test Series for Prelims

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

(पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-

MAINS + PRE. - 3500/-

डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

Send DD/MO in favour of Atul Lohiya

***UPSC** के साथ **UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS** की भी तैयारी*

नया सत्रः दिल्ली - 8 फरवरी *(प्रारम्भिक परीक्षा विशेष)*

अन्य विषय

सामान्य अध्ययन

अतुल लोहिया, शैलेन्द्र सिंह, शशि भूषण, अनामिका सिंह एवं अन्य

*नया सत्र : दिल्ली - 8 फरवरी * इलाहाबाद - 6 फरवरी (प्रारम्भिक परीक्षा विशेष)*

हिन्दी साहित्य

अनामिका सिंह

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Cell.: 9810651005, 0532-3217608

Sanjay Singh
Regional Director (Allahabad)
Cell. : 9839746184

Shashi Bhushan
Director
Cell. : 9868378728

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

FLAT No. 105, 1st FLOOR, VIRAT BHAWAN (MTNL BUILDING), NEAR BATRA CINEMA, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • Ph.: 27655134. Cell.: 9810651005

Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

मामूली कम है। किन्तु, श्रम उत्पादकता में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है।

उद्योग ढांचा और कार्य निष्पादन

टेक्स्टाइल

भारत के टेक्स्टाइल उद्योग में करीब 1.5 करोड़ श्रमिक काम करते हैं और 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध से उसके उत्पादन में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है। सूती धागे और मानवनिर्मित रेशों तथा फिलामेंट धागों के उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। भारत का कुल वार्षिक वस्त्र उत्पादन करीब 42 अरब वर्गमीटर है, जिसमें से मिश्रित–रेशे से निर्मित 15 प्रतिशत परिधान, सजावट और कमरे के साज–समान के काम आता है। टेक्स्टाइल फाइबर के उपभोग की दृष्टि से भारत की औसत अन्य देशों की तुलना में कम है, जहां प्रतिव्यक्ति 8.1 किलोग्राम फाइबर काम में आता है जबकि चीन में यह औसत प्रतिव्यक्ति 9.1 किलोग्राम और अमेरिका में 36.9 किलोग्राम है।

मानव निर्मित फाइबर यार्न सर्वाधिक तेजी से विकसित रेशों में से एक है। उदाहरण के लिए पिछले 5 वर्षों में पोलिस्टर स्टेपल फाइबर की खपत, जो पहले 20,000 टन प्रतिमाह से भी कम थी, बढ़कर 45,000 टन से भी अधिक हो गई। औद्योगिक स्रोतों के अनुसार अगले 5 वर्षों में इस खपत में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की संभावना है। 2003 में भारत के कुल वस्त्र उत्पादन में सूती वस्त्र की भागीदारी 47 प्रतिशत थी, फिर भी कहा जा रहा है कि भारत का ज्यादातर सूती कपड़ा पुराने करघों पर बनाया जाता है, जो केवल मध्यम गुणवत्ता वाला वस्त्र, और वह भी उत्पादकता के निम्न स्तर पर, बना सकते हैं। 1998 में, भारत का 71 प्रतिशत वस्त्र उत्पादन विकेन्द्रीकृत लघु उद्योग क्षेत्र में 23 प्रतिशत हथकरघा क्षेत्र में और 6 प्रतिशत संगठित मिल क्षेत्र में हुआ था।

कताई को छोड़कर भारत का वस्त्र उद्योग अत्यन्त खंडित है, जो संभवतः इस उद्योग की शक्ति है। भारत में सूत कातने का अधिकतम कार्य तमिलनाडु (कोयम्बटूर और तिरुपुर शहरों) में किया जाता है, जबकि कृत्रिम रेशों की कताई मुख्य रूप से पंजाब में होती है। भारत का निर्यातोन्मुखी कताई क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सक्षम है और इस कार्य को ज्यादातर मध्यम और बड़े आकार की फैक्टरियों में निष्पादित किया जाता है। कताई इस प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इस उद्योग का अत्याधुनिक क्षेत्र है और इसके अंतर्गत भारत के शीर्ष एकीकृत मिश्रित उत्पादन केन्द्र शामिल हैं, जो कताई, बुनाई और प्रोसेसिंग कार्यों को अंजाम देते हैं। भारत के कताई क्षेत्र में सूत की कताई अधिक है, जिसकी कुल धागा उत्पादन के मूल्य में 55 प्रतिशत भागीदारी है। कताई क्षेत्र में 80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग होता है और विश्व के सूती धागे के उत्पादन में भारत की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। फिर भी कताई क्षेत्र अतिरिक्त क्षमता बनाए रखता है और इसके 70 प्रतिशत शार्ट स्टेपल स्पिन्डल 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं। 2000–01 में भारत के बुनाई क्षेत्र के विश्वव्यापी उत्पादन में करीब 1 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। यह उत्पादन तिरुपुर और लुधियाना (पंजाब) में केन्द्रित है और भारत के निटवियर, विशेषकर सूती निटवियर के निर्यात का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा तिरुपुर में उत्पादित किया जाता है, जबकि लुधियाना में मुख्य रूप से घरेलू खपत के लिए माल तैयार किया जाता है। परंपरागत रूप से निटिंग और बुनाई का झुकाव सूती की ओर अधिक रहा है, परंतु पिछले पांच वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन आया है और उनका झुकाव अब सिंथेटिक और मिश्रित रेशों की ओर होने लगा है। धागे का उत्पादन उद्योग के इन तीनों क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, परंतु कपड़ा केवल लघु उद्योग क्षेत्र में तैयार किया जाता है। भारत के उद्योग में एक बड़ी खामी यह है कि वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मिलों, दोनों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए दोष–मुक्त वस्त्र तैयार करने में अक्षम रहा है।

बुनाई, रंगाई, परिष्करण और प्रोसेसिंग के बारे में कहा जाता है कि भारतीय वस्त्र उद्योग में ये सभी क्षेत्र कमजोर हैं। चूंकि एक कम्पोजिट मिल संचालित करना किफायती नहीं है, अतः अनेक बुनकर बहुप्रयोजन लघु मिल संचालित करते हैं, जिनसे उत्पादन में अड़चनें पैदा होती हैं। अधिकतर लघु बुनकर इकाइयां निर्यात बाजार के लिए उप–अनुबंध करती हैं। भारत के बुनकरों में डाइंग, प्रोसेसिंग और परिष्करण की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है क्योंकि अत्याधुनिक मशीनरी खरीदने के लिए पूंजी लागत बहुत अधिक आती है। लघु, स्वतंत्र, प्रोसेसिंग हाउस, उद्योग की 90 प्रतिशत प्रोसेसिंग और परिष्करण करते हैं, वे अत्यंत निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करते हैं। वे ज्यादातर लघु वस्त्र निर्यातकों के लिए कार्य को अंजाम देने वाले यानी जॉब प्रोसेसर के रूप में काम करते हैं।

कोटा प्रणाली समाप्त होने से उत्पन्न गहन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और उच्च गुणवत्ता एवं विनिर्माण परिवर्तनीयता की मांग को देखते हुए उद्योग सूत्रों का अनुमान है कि भारत की अनेक लघु टेक्सटाइल उत्पादन इकाइयां बंद हो जाएंगी। नवंबर, 2002 तक 338 मिलें बंद हो चुकी थीं, जिनके बंद होने का कारण घरेलू और निर्यात मांग में कमी, विश्वव्यापी मंदी, उत्पादन की बढ़ती लागत, लाभ में कमी और श्रम बाजार पर

सारणी : 1 घटकों की तुलनात्मक लागत (सूचकांक 100)

	भारत	चीन	पाकिस्तान	इंडोनेशिया	बांग्लादेश	श्रीलंका
कच्चा माल	100	87	99	100	102	101
बिजली	100	68	74	41	39	88
रंग और रसायन	100	85	101	102	106	112

सरकार द्वारा लागू किए गए कड़े नियमों को बताया गया है। संघीय और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले कई मिल भी बंद हो गए हों, जिनमें 66 ऐसे थे, जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। भारत सरकार का अनुमान है कि इन मिलों के बंद हो जाने से करीब 57.5 करोड़ कि.ग्रा. धागा, 73.6 करोड़ मीटर वस्त्र उत्पादन और 3,62,180 रोजगार के अवसरों का नुकसान पहुंचा। मार्च, 2002 तक करीब 95 लाख स्पिंडल, 60,000 रोटर्स, और 71,541 करघे बेकार हो चुके थे। परंतु अखबारों में छपी हाल की खबरों से संकेत मिलता है कि कई कंपनियों ने अपने करघे फिर से चालू कर दिए हैं।

परिधान

भारत का परिधान उद्योग देश के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योगों में से एक है; यह देश का सर्वाधिक खंडित उद्योग भी है। हाल के वर्षों में भारतीय परिधान उद्योग में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 26 अरब अमेरिकी डालर का हो गया है। इस उद्योग में 27,000 घरेलू विनिर्माता, 48,000 ठेकेदार और 1000 विनिर्माता–निर्यातक हैं। इस उद्योग पर वस्त्र निर्माताओं और उप ठेकेदारों का वर्चस्व है, जिनकी विनिर्माण क्षमताओं में 72 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। भारत की शक्ति तैयार करने में है, जो घरेलू और निर्यात बाजारों (पर्याप्त कशीदाकारी वस्त्रों सहित) के अलग–अलग खंडों के लिए छोटे लाट्स में तैयार किए जाते हैं। अधिसंख्य वस्त्र निर्माता छोटी कंपनियां हैं, जिनमें 30 से 50 के बीच मशीनें लगी होती हैं और जो मुख्य रूप से कोटा बाजारों के लिए माल तैयार करती हैं। कुल घरेलू परिधान उत्पादन में इन वस्त्र–निर्माताओं का योगदान 75 प्रतिशत है। 2003–04 के दौरान, सरकार ने घरेलू परिधान बाजार में बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की, जो अब अपने उत्पादन के एक निश्चित हिस्से के निर्यात–दायित्व के बिना ही परिधानों का विनिर्माण कर सकते हैं।

भारत के निट–वियर विनिर्माण का 50 प्रतिशत निर्माण तिरुपुर (तमिलनाडु) में होता है। इस उद्योग में वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा द्वारा टेक्स्टाइल कोटा प्रारंभ किए जाने की वजह से हुई। तिरुपुर में विनिर्मित माल का बड़ा हिस्सा बाजार में कम–दाम वाले वर्गों के लिए है। हालांकि उत्पादन में निर्यात की बड़ी भागीदारी है, फिर भी स्थानीय बाजार में पिछले 4 से 5 वर्ष के दौरान 12 से 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि निर्यात उत्पादन में मात्र 2 से 3 प्रतिशत बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। अधिकतर उद्योग विशेषज्ञ अधिकांश छोटे वस्त्र उत्पादकों से यह उम्मीद नहीं करते कि वे कोटा परवर्ती युग में स्थानीय बाजार के विनिर्माण करें या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ठेकेदारों के रूप में काम करें। भारत के निटवियर उद्योग को मध्यम और उच्च–मध्यम मूल्य श्रेणियों में होने का लाभ प्राप्त है तथा यह विश्व की प्रमुख कंपनियों को पहले ही परिधानों की आपूर्ति कर रहा है।

हाल ही में भारतीय उपभोक्ताओं की ऋण प्रणाली और व्यवहार में काफी परिवर्तन हुआ है। वृहत और निरंतर बढ़ते जा रहे मध्यम वर्ग, आय के स्तर में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय फैशन प्रवृत्तियों की ओर अधिक झुकाव होने के कारण, शहरी भारतीय धीरे–धीरे परंपरागत दर्जी से सिलवाए गए वस्त्रों की बजाय समसामयिक, सिले–सिलाए वस्त्रों को अधिक पसंद करने लगे हैं। सिले–सिलाए वस्त्रों का बाजार 2002 में 1.3 अरब डालर मूल्य का था, जो भारत में परिधान खपत के छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में महिलाओं के सिले–सिलाए परिधानों का बाजार छोटा है, परंतु धीरे–धीरे बढ़ रहा है, चूंकि बड़े शहरी क्षेत्रों में यह बाजार फैशनेबल होता जा रहा है, जहां महिलाएं साड़ी, शेरवानी और अन्य परंपरागत – जातीय – क्षेत्रीय परिधानों को छोड़कर पश्चिमी परिधान अपनाती जा रही हैं। परंतु, पुरुषों के परिधानों की तुलना में महिलाओं के सिले–सिलाए वस्त्रों का बाजार छोटा है क्योंकि अधिकतर वरिष्ठ महिलाएं परंपरागत परिधान ही अधिक खरीदती हैं। फिर भी युवा महिलाएं पाजामा, जैकेट, जीन, और टी–शर्ट जैसे आधुनिक परिधानों की मांग करती हैं। पिछले 3 वर्ष में भारत में 65 राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय क्षेत्रीय ब्रैंड स्थापित हुए हैं।

सूती वस्त्रों के बढ़ते दामों और सूती–पोलिएस्टर मिश्रित वस्त्रों की बढ़ती आरामदेयता, स्थिरता और लंबे समय तक साथ देने जैसी विशेषताओं को देखते हुए मिश्रित और कृत्रिम रेशा वस्त्रों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी भी 70 प्रतिशत आबादी रहती है, कृत्रिम रेशा पदार्थों से तैयार किए गए वस्त्रों की भारी मांग है क्योंकि ये विशुद्ध सूती कपड़ों की तुलना में कम लागत वाले होते हैं चूंकि घरेलू बाजार सूती कपड़ों से मानव निर्मित रेशों की ओर परिवर्तित होता जा रहा है, अतः सूती कपड़ों से तैयार अधिकतर परिधान कोटा लागू करने वाले देशों को निर्यात किए जा रहे हैं।

सरकारी नीतियां

घरेलू नीति

सरकार द्वारा इस उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए हाल में किए गए उपायों में सिले–सिलाए वस्त्र क्षेत्र को आरक्षित श्रेणी से मुक्त करना; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाएं समाप्त करना; भारत में कपास की फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार के लिए कपास प्रौद्योगिकी फसल का निर्माण करना, आयातित टेक्स्टाइल मशीनों पर सीमा शुल्क में कमी, इस्तेमाल की जा चुकी मशीनों के आयात की अनुमति देना और नई मशीनों से संबद्ध अवमूल्यन कार्यक्रम में तेजी लाना; 342 टेक्स्टाइल और परिधान उत्पादों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त करना; वस्त्र, सिले–सिलाए वस्त्रों और परिधानों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना; टेक्स्टाइल

केंद्र बुनियादी ढांचा विकास योजना शुरू करना ताकि महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार लाया जा सके; राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का पूंजीकरण ताकि देशी फैशन डिजाइनरों को प्रशिक्षण दिया जा सके; और टीयूएफ का कार्यान्वयन शामिल है। देश के विभिन्न राज्यों ने अतिरिक्त एकीकृत परिधान उद्यानों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

व्यापार नीतियां

1992–93 से 2002 तक भारत ने 121 एंटी–डम्पिंग मामले शुरू किए और कहा जा रहा है कि अमेरिका के बाद इतने मामले दायर करने वाला भारत दूसरा देश है। 2001–02 में भारत ने डम्पिंग विरोधी 30 मामले दायर किए, जिसमें 5 टेक्स्टाइल फाइबर से संबद्ध थे, जिनके फलस्वरूप नेपाल और इटली से आने वाले एक्रेलिक यार्न; कोरिया और तुर्की से आने वाले आंशिक ऑरियन्टेड यार्न; कोरिया, मलेशिया, ताइवान और थाइलैंड से आने वाले पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर, और जर्मनी, ब्रिटेन, बल्गारिया और ब्राजील से आयातित एक्रेलिक पर शुल्क लगाए गए।

आयात प्रतिबंधित या सीमित करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे भारत के कई प्रतिबंधों और लाइसेंस योजनाओं को 2001 में समाप्त कर दिया गया। अमेरिका के साथ एक समझौते के हिस्से के रूप में भारत में 342 टेक्स्टाइल और परिधान उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए। किंतु, उच्च शुल्क दरों सहित आयात अभी भी कुछ शर्तों के अधीन किया जाता है।

टेक्स्टाइल और परिधान में भारत का व्यापार अधिशेष वर्ष 200 से 2003 के बीच घटता गया है। टेक्स्टाइल के निर्यात में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि परिधानों के निर्यात में कुल मिलाकर कोई इजाफा नहीं हुआ। इसी अवधि में टेक्स्टाइल्स का आयात दुगना हो गया, जबकि परिधानों के आयात में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई। भारतीय निर्यातकों और आयातकों को उम्मीद है कि 2005 में कोटा प्रणाली समाप्त होने के बाद व्यापार प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। भारतीय उद्योग से संबद्ध अधिकारियों का अनुमान है कि अगर कोटा हटाए जाने के बाद कोई नई प्रतिबंधात्मक या व्यापार प्राथमिकता संधि नहीं हुई, तो भारत और चीन को मुख्य रूप से लाभ होगा। आयात में मुख्य रूप से सूती धागे और फैब्रिक्स, फिलामेंट यार्न, स्पन ब्लेंडिड यार्न, तैयार और सिले–सिलाए परिधान शामिल हैं। इस अवधि में किए गए समस्त आयात के लिए वास्तव में वस्त्र जिम्मेदार हैं।

भारत की स्थिति

एम.एफ.ए. यानी मल्टी फाइबर व्यवस्था हटाए जाने के परिदृश्य में भारत के लिए बाजार पहुंच, विशेषकर वस्त्र और परिधान के लिए विकसित देशों के बाजार में पहुंच कायम करना सर्वोच्च प्राथमिकता का मामला है। अनुमान है कि इन दो क्षेत्रों में शुल्क हटाए जाने से जो प्रभाव पड़ेगा, वह विकासशील देशों के लिए सभी विनिर्मित वस्तुओं पर समस्त शुल्क हटाए जाने के बारे में लगाए गए अनुमान का करीब आधा होगा।

उद्योग परिदृश्य

एटीसी यानी वस्त्र और परिधान संबंधी समझौते के कार्यान्वयन से जहां विकासशील देश उत्साही नजर आ रहे हैं, वहीं भारत को चिंता है कि कोटा समाप्त होने और विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रभाव को देखते हुए वास्तव में उसके कपड़ा उद्योगों को क्षति पहुंचेगी। पहली बात यह है कि भारत के विकसित देशों के साथ प्राथमिकता व्यापार समझौते नहीं हैं। एक बार कोटे पूरी तरह हटने के बाद, बाजार लाभ उन देशों को जाएगा, जहां सबसे सस्ता श्रम और सबसे सस्ता कच्चा माल उपलब्ध हो। कई विशेषज्ञों के अनुसार भारत ऐसी स्थिति में नहीं है। दूसरे, चूंकि चीन में श्रम सबसे सस्ता है, और वह विश्व के सबसे शक्तिशाली कपड़ा उद्योगों में से एक है, अतः भारत को चिंता है कि अगर चीन बिना किसी सीमा के निर्यात कर सकेगा, तो भारत के उत्पाद विश्वव्यापी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि कोटा प्रणाली के जारी रहते हुए भी अमेरिकी बाजार में चीनी वस्त्र छाए रहे हैं, जहां ब्रेजियर्स और ड्रेसिंग गाउंस जैसे क्षेत्रों में बाजार में चीन की भागीदारी 30–40 प्रतिशत तक है।

भारत जैसे वस्त्र निर्माता देशों के लिए मुख्य उम्मीद यह है कि अमेरिका और अन्य विकसित राष्ट्र एटीसी में दिए गए एक अपवाद का लाभ उठाएंगे, जिसमें 2008 तक चीनी टेक्स्टाइल वस्तुओं पर 'रक्षोपाय' शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। यह प्रावधान बाजार विघटन के शमनकारी उपाय के रूप में किया गया है। चीन ने इस अपवाद पर इसलिए सहमति दे दी कि इससे यह आशंका कम हो जाएगी कि उसके डब्ल्यूटीओ में शामिल होने से सदस्य देशों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका पहला देश है, जिसने 2004 में और फिर 2005 में चीन के वस्त्रों पर शुल्क लगाने के इरादे की घोषणा की थी। भारत जैसे विकासशील देशों को इस प्रावधान से कोटा मुक्त वातावरण का लाभ उठाने के लिए तीन वर्ष का समय मिल जाएगा, और वे चीन के पूरी तरह प्रतिस्पर्धा करने योग्य होने से पहले अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों में बहुमूल्य हिस्सेदारी प्राप्त कर सकेंगे।

उदारीकरण से उपभोक्ताओं को लाभ होने की संभावना है, जिन्हें टेक्स्टाइल वस्तुओं के लिए कम भुगतान करना होगा, क्योंकि विनिर्माता वह राशि वसूल नहीं करेंगे, जो उन्हें कोटा की लागत के लिए अदा करनी होती थी। किंतु, खुदरा व्यापारियों को इसमें संदेह है कि मूल्यों में कमी मांग बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। वॉल–मार्ट जैसी बड़ी कंपनियां प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए चूंकि कम दाम पर बेचेंगी, अतः खुदरा व्यापारियों को मूल्य कम करने पड़ेंगे। परंतु, जरूरी नहीं है कि इससे उनकी बिक्री बढ़े। ऐसे में कई देशों के वस्त्र उद्योग में अपस्फीति आएगी।

प्रवेश अवरोधक

विकासशील देशों को वस्त्र और परिधान व्यापार के लिए बाजार में प्रवेश करते

समय दो प्रकार के अवरोधकों का सामना करना पड़ेगा : (क) प्रमुख बाजारों में वृहत वितरण चैनलों पर नियंत्रण रखने वाले शक्तिशाली परिधान ठेकेदारों द्वारा लगाई गई मनमानी शर्तें; और (ख) क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के अंतर्गत मूल वरीयता नियमों द्वारा स्थापित नेटवर्क।

ए.टी.सी. 1 जनवरी, 2005 को समाप्त हो जाएगा, और अमेरिका तथा यूरोपीय संघ में 80 प्रतिशत प्रतिबंधित उत्पादों पर लागू होने वाले शेष कोटे इस दिन समाप्त हो जाएंगे। ए टी सी परवर्ती चरण में, ये देश वस्त्र और परिधान विनिर्माताओं को आयात से निरंतर संरक्षण की मांग करेंगे, और उम्मीद है कि ये दो प्रकार के प्रवेश अवरोधक और भी गंभीर हो जाएं।

मनमानी शर्तें

प्रमुख आयातक देशों में खुदरा व्यापार पर बड़ी कंपनियों का वर्चस्व है, जो प्रमुख वितरण चैनलों पर नियंत्रण रखती हैं। अमेरिका में 29 बड़े खुदरा व्यापारियों की अमेरिकी परिधान बिक्री में 98 प्रतिशत भागीदारी है, और यूरोपीय संघ में पिछले दशक में खुदरा व्यापार पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया है। परिधान कंपनियों को अपने घरेलू बाजारों और सभी क्षेत्रों के विकासशील देशों में कम लागत वाली निर्माता अनुबंध फैक्टरियां हासिल करने में गहन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इन कंपनियों को अपने देश में संघों और गैर सरकारी संगठनों की जांच का सामना करना पड़ता है, जो विकासशील देशों, विशेषकर कम विकसित देशों और कम आय वाले विकासशील देशों में विनिर्माताओं के साथ व्यापार में श्रम संबंधी व्यवहार के बारे में जांच करते हैं। नतीजा यह होता है कि परिधान कंपनियां अपने व्यापार भागीदारों पर श्रम संबंधी कड़ी शर्तें लागू करती हैं, ताकि वे अपने देश में कुप्रचार से बच सकें। विकासशील देशों में फैक्टरियों के लिए ठेकेदारों द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी करना अनिवार्य होता है, क्योंकि उनका स्वदेश के बाजारों में प्रमुख वितरण चैनलों पर नियंत्रण होता है।

विकासशील देशों में फैक्टरियों की समस्या यह होती है कि लागू की गई शर्तें अक्सर मनमानी, अननुमेय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा परिभाषित मूल श्रम अधिकारों से अधिक होती हैं। परिधान फैक्टरियों द्वारा उद्धृत ऐसी शर्तों में, जिन सुविधाओं का अनिवार्य निर्माण, शौचघरों की संख्या की शर्त, समयोपरि (ओवर टाइम) कार्य पर प्रतिबंध, जैसी शर्तें शामिल होती हैं। इन फैक्टरियों को बार–बार ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले स्थल निरीक्षणों का भी सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि किसी फैक्टरी को साल में 20 बार इस तरह के निरीक्षणों का सामना पड़ता है। कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के बारे में जून, 1998 में पारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा में बुनियादी श्रम अधिकारों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है : (क) संगठन बनाने और सामूहिक रूप से मोल–भाव करने के अधिकारों की प्रभावकारी मान्यता; (ख) सभी प्रकार के जबरन या अनिवार्य श्रम की समाप्ति; (ग) बाल श्रम का कारगर उन्मूलन; (घ) रोजगार और व्यवसाय के संदर्भ में भेदभाव की समाप्ति; परंतु उपर्युक्त शर्तें अनुबंध के क्षेत्र से बाहर होती हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका में श्रम मानकों के पक्षधरों का कहना है कि वे सिर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि श्रम अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बुनियादी सिद्धांतों पर अमल किया जाए, परंतु व्यवहार में कुछ और ही देखने में आता है।

विकासशील देशों के लिए चुनौती यह है कि वे शक्तिशाली ठेकेदारों द्वारा लागू की गई श्रम शर्तों से उत्पन्न समस्या का समाधान कैसे करें। जैसा कि उपर कहा गया है कि ये शर्तें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बुनियादी श्रम अधिकारों के दायरे से बाहर हैं, और वे अक्सर, मनमानी, चयनात्मक और अननुमेय होती हैं। उनका विकासशील देशों में परिधान विनिर्माताओं के व्यापार और निर्यात पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, फिर भी प्रभावित कंपनियों के पास अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई उचित माध्यम नहीं होता। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सयुंक्त राष्ट्र व्यापार और विकास परिषद–अंकटाड को विचार करना चाहिए कि इस तरह की अनुचित व्यापार पद्धति का समाधान कैसे हो, और प्रभावित विकासशील देशों की सहायता कैसे की जाए।

वस्त्र और परिधान के लिए बड़े बाजार, यूरोपीय संघ और अमेरिका अपने वरीयता व्यापार भागीदारों का बाजारों और वरीयता समझौतों में प्रवेश कर रहे हैं। किंतु, इसके साथ ही, वरीयता व्यापार समझौतों से प्रमुख बाजारों और उनके वरीयता व्यापार भागीदारों के बीच घनिष्ठ नेटवर्क कायम हो रहे हैं, जिससे मूल वरीयता नियमों के कारण तीसरे देश के आपूर्तिकर्ता अनुचित ढंग से बाहर हो जाते हैं। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों में कैरेबियन बेसिन इनिशियेटिव, ऐन्डीन ट्रेड प्रिफ्रेन्सिज ऐक्ट, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, और अमेरिका के लिए अफ्रीकन ग्रोथ एंड ओपरच्युनिटीज ऐक्ट, और ए सी पी–ई यू ट्रेड एग्रीमेंट, एवरीथिंग बट आर्म्स (ई बी ए) इनिशियेटिव, और यूरो–मेडिटॅरेयिन ऐसोसिएशन एग्रीमेंट फोर द ईयू, प्रमुख हैं।

यूरोपीय संघ और अमेरिका ने वरीयता वाले देशों के साथ कड़े मूल नियमों के तहत समझौते किए हैं, जिनका लक्ष्य उनके तरजीह वाले देशों से आने वाले वस्त्र और परिधान उत्पादों में अपना निवेश बढ़ाना है। तदन्तर दो आयातक देशों में विनिर्माता वरीयता व्यापार भागीदारों में एकत्र किए जाने और वरीयता बाजार पहुंच के जरिए पुनः आयात किए जाने के लिए फैक्टरियों को अंतर्वर्ती निवेश जैसे कट–फैब्रिक, धागा और बटन, आदि की आपूर्ति करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के लिए उनके संबंध वरीयता व्यापार भागीदारों के बीच वस्त्र और परिधान में अंतर–कंपनी व्यापार का अनुपात काफी ऊंचा रहा हैं। भागीदार देशों में यूरोपीय

संघ और अमेरिकी कंपनियों ने परिधान क्षेत्र में काफी निवेश भी किया है। कहा जा रहा है कि वरीयता देने वाले और वरीयता पाने वाले देशों के बीच व्यापार और निवेश के नेटवर्क बनने से तीसरे देश के आपूर्तिकर्ताओं को व्यापार घाटा उठाना पड़ रहा है। यह घाटा उन्हें ऐसी स्थिति में होता है, जबकि उनके उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। एटीसी समाप्त होने के साथ कोटा खत्म हो जाने पर इस बात की काफी संभावना है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका में उत्पादक अपने तथा वरीयता देशों के बीच नेटवर्कों को और मजबूत बनाने के उपाय करने लगें।

एशिया के विकासशील देश जी एस पी योजनाओं को छोड़कर अमेरिका जैसे बड़े बाजार के तरजीह व्यापार नेटवर्कों से अलग हैं। वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए इन देशों की अमेरिकी बाजार में वरीयता पहुंच नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका उन्हें शुल्क एवं कोटा मुक्त बाजार पहुंच के लिए एजीओए का दर्जा प्रदान नहीं करता। वस्त्र और परिधान एशिया के विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण निर्यात हैं, जिनकी उनके आर्थिक और सामाजिक आयातों में महत्वपूर्ण भूमिका है। किंतु अमेरिका में वरीयता पहुंच के अभाव के कारण इन देशों के निर्यात पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में अमेरिका में होने वाले वस्त्र और परिधान आयात का करीब पांचवां हिस्सा वरीयता आधार पर किया जाता है, और अनुमान है कि अगर तरजीह मुक्त व्यापार समझौते की मौजूदा प्रवृत्तियां कुछ वर्षों तक जारी रहीं तो यह भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय वस्त्र निर्यातकों को भारी व्यापार लाभ की संभावना अथवा भारतीय वस्त्र उत्पादकों को भारी नुकसान की आशंका पर विचार किया जाए। बदलते माहौल में यह अनिवार्य है कि गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा दोनों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि परिधान विनिर्माताओं के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों और सुविधा केंद्रों का सक्रिय बनाया जाए, ताकि उनका गुणवत्ता परीक्षण हो सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाए, ताकि असंतुलित ड्यूटी ढांचे से दुष्प्रभावित लागत पर ध्यान दिया जा सके। भारत में पोलिएस्टर का सबसे ज्यादा उत्पादन होने को देखते हुए इस क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए सिंथेटिक उत्पादों पर बल देने की आवश्यकता है। अंततः कहा जा सकता है कि कोटा के अतिरिक्त भावी व्यापार प्रवृत्तियों को निर्धारित करने वाले कई अन्य घटक भी हैं, जैसे आपूर्ति क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता, बाजार पहुंच और विश्व बाजारों में भारत के अलावा अन्य विकासशील देशों की बाजार भागीदारी। इस तरह वस्त्र और परिधान व्यापार में भारत के गतिशील लाभ का अनुमान लगाते समय इन सभी घटकों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। ❑

(वीना झा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की नई दिल्ली शाखा में भारत कार्यक्रम समन्वयक हैं।)

भारतीय राजव्यवस्था एवं भारत का संविधान

कम मूल्य में इतनी अधिक अद्यतन जानकारी अन्यत्र दुर्लभ है

Book Code : 849
Pages : 192
Price : Rs. 80/-

प्रमुख आकर्षण

• भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की विस्तृत विवेचना • भारत के संविधान में अब तक हुए 92 संविधान संशोधन अधिनियमों का समावेश • 800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न • भारतीय राजनीति की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं सितम्बर 2004 तक का यथास्थान और आवश्यक विस्तार के साथ समावेश इस प्रकार यह पुस्तक पूर्णतया अद्यतन (Most up-to-date) है।

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

Aligarh 3153072; Kanpur 2321191; 2321353; Varanasi 2354582; Lucknow 2270019; Allahabad 2461291; Bareilly 2554451; Gorakhpur 2344862; Meerut 2640540; Faizabad 260351; Jaunpur 260888; Jhansi 9839281738; Atarra 211056; Gaziabad 2748051; Moradabad 2313372; Azamgarh 220582; Muzaffarnagar 442739; Rishikesh 436532; Dehradun 2658555; Haridwar 428450; Gwalior 2325179; Bhopal 2543480; Indore 2451933, 2454372; Jabalpur 2655306; Sagar 23109; Satna 34760; Rewa 251753; Raipur 2227343; Bilaspur 505781; Bharatpur 20650; Jaipur 2327405, 2564452; Alwar 2701545; Swaimadhopur 22270; Kota 2323377; Ajmer 2620122; Udaipur 2421577, 2421375; Jodhpur 2626797; Dungarpur 230022; Rohtak 253217; Delhi 23918332; Patna 226540; Bhagalpur 24244830; Gaya 21147; Ranchi 301387; Bokaro 46001; Jamshedpur 2423508; Nagpur 2526191; Ahmedabad 25355755

इतिहास द्वारा रमेश चन्द्रा
सामान्य-अध्ययन द्वारा रमेश चन्द्रा
एवं निबन्ध एवं अन्य अनुभवी विशेषज्ञ

प्रारम्भिक परीक्षा (विशेष सत्र)

प्रारम्भ : 15 फरवरी; अवधि -2 माह (15 फरवरी - 15 अप्रैल)

प्रारम्भिक परीक्षा

- विगत 2-3 वर्षों में प्रा० परीक्षा-पत्र के स्वरूप में आये परिवर्तन के अनुरूप अध्ययन सामग्री एवं कक्षा-योजना का निर्धारण इस प्रकार कि आप आसानी से 95-105 प्रश्न कर सकें।
- उ० प्र०, उत्तरांचल, म०प्र०, बिहार, राजस्थान झारखण्ड, छत्तीसगढ़ आदि राज्य सेवाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का समावेश।
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर परीक्षा के अनुरूप बिन्दुवार अध्ययन सामग्री।
- कक्षा 6,7,8 एवं 11, 12 की की N.C.E.R.T. पुस्तकों के बिन्दुवार नोट्स तथा इनके अध्ययन एवं अभ्यास हेतु विशेष कक्षायें।
- प्रतिदिन २० प्रश्नों का अभ्यास।
- प्रत्येक टॉपिक के समापन के पश्चात् प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न पर टेस्ट।
- परीक्षा के एक माह पूर्व आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की तरह 5 छद्म-परीक्षाओं का आयोजन।

मुख्य परीक्षा

"मुख्य परीक्षा में सफलता विषय के प्रामाणिक ज्ञान तथा उसके सम्यक् प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करता है।"

कक्षा कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ :-

- तीन महीने का विस्तृत कार्यक्रम।
- प्रत्येक टॉपिक पर व्याख्यान।
- टॉपिक से संबंधित संभावित प्रश्नों का उत्तर -प्रारूप एवं उत्तर लेखन।
- उत्तर लेखन पर विशेष बल, अतिरिक्त कक्षायें।
- प्रत्येक विषय पर विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण।
- U P S C पद्धति पर साप्ताहिक मॉडल टेस्ट। टेस्ट में UPSC द्वारा मुख्य परीक्षा में उपलब्ध उत्तर पुस्तिका के अनुरूप पुस्तिका संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
- सम्पूर्ण कम्प्यूटराईज्ड अध्ययन सामग्री।

विशेष I.A.S. -2003 एवं I.A.S. - 2004

इतिहास (मुख्य परीक्षा) में संस्थान में अध्ययन कराये गये प्रश्नों में क्रमशः 12 एवं 14 प्रश्न (कुल 16 प्रश्न) पूछे गये। प्रश्नों से संबंधित टॉपिक पर व्याख्यान, प्रश्नों का प्रारूप, उत्तर लेखन एवं विद्यार्थियों द्वारा उन पर लेखन कार्य भी सम्पन्न हुआ।

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम
विषय : सामान्य अध्ययन, इतिहास

फीस: मुख्य परीक्षा (प्रति विषय) - 2500/- रुपये मात्र।
प्रारम्भिक परीक्षा (प्रति विषय) - 2000/- मात्र।

नोट: कार्यक्रम में नामांकन हेतु दिल्ली में भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट 'रमेश चन्द्रा' के नाम निम्न पते पर भेजें।

प्रारम्भिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 2005 (सामान्य अध्ययन, इतिहास)

- साप्ताहिक टेस्ट प्रारम्भ 16 जनवरी
- 15 टेस्ट : प्रत्येक 75 प्रश्न : 1 घंटा (सा0 अध्ययन), प्रत्येक 60 प्रश्न - 1 घंटा (इतिहास)
- 5 सम्पूर्ण मॉडल टेस्ट प्रत्येक 150 प्रश्न -2 घंटा (सा0 अध्ययन), प्रत्येक 120 प्रश्न (इतिहास)

क्र सं	विषय (सा० अध्ययन)	विषय (इतिहास)	तारीख	दिन
1.	सामान्य विज्ञान (भौतिक, रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर)	प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ	16 जन	रवि
2.	सामान्य विज्ञान (जीव विज्ञान, मानव क्रिया विज्ञान, पशुपालन विज्ञान)	हड़प्पा संस्कृति	23 जन	रवि
3.	भारतीय राज व्यवस्था	वैदिक संस्कृति	30 जन	रवि
4.	भारतीय राज व्यवस्था	मौर्य साम्राज्य	06 फ0	रवि
5.	भारत का भूगोल	गुप्त साम्राज्य एवं हर्ष व	13 फर	रवि
6.	विश्व का भूगोल	प्राचीन काल में धर्म एवं दर्शन (ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, षडदर्शन)	20 फर	रवि
7.	भारतीय इतिहास एवं संस्कृति	दक्षिण भारत (संगम, चोल, विजय नगर पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट)	27 फर	रवि
8.	भारतीय इतिहास एवं संस्कृति	प्रारम्भिक मध्यकालीन इतिहास (राजपूत काल)	06 मार्च	रवि
9.	गणितीय प्रश्न एवं मानसिक योग्यता	दिल्ली सल्तनत	13 मार्च	रवि
10.	गणितीय प्रश्न एवं मानसिक योग्यता	मुगल साम्राज्य	20 मार्च	रवि
11.	भारतीय अर्थव्यस्था	शिवाजी एवं मराठा पेशवा एवं मध्ययकालीन धर्म	27 मार्च	रवि
12.	भारतीय अर्थव्यस्था	आधुनिक भारत - I	03 अप्रैल	रवि
13.	भारतीय अर्थव्यस्था	आधुनिक भारत - II	07 अप्रैल	बृह
14.	समसामयिकी भारत 2005, आर्थिक समीक्षा एव अन्य रिपोर्टें	आधुनिक भारत - III	10 अप्रैल	रवि
15.	समसामयिकी भारत 2005, आर्थिक समीक्षा एव अन्य रिपोर्टें	आधुनिक भारत - IV	14 अप्रैल	बृह
16.	यू०पी०एस०सी० पैटर्न पर मॉडल टेस्ट (150 प्रश्न -२ घंटा)	यू०पी०एस०सी० पैटर्न पर मॉडल टेस्ट (120 प्रश्न -२ घंटा)	17 अप्रैल	रवि
17.	"	"	24 अप्रैल	रवि
18.	"	"	28 अप्रैल	बृह
19.	"	"	01 मई	रवि
20.	"	"	08 मई	रवि

फीस न्यूनतम

नोट : 1. सीमित स्थान, अपना स्थान सुनिश्चित करने हेतु नामांकन पहले करा लें।
2. टेस्ट-सीरीज के बाद प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा होगी।

द हिस्टोरिका

2063(BASEMENT), OUTRAM LINES,
(IN THE LANE BEHIND D.A.V. PUBLIC SCHOOL)
KINGSWAY CAMP, DELHI- 9
TEL.: (011) 55153204 CELL : 9818391120

कपड़े के विश्व व्यापार का नया युग अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर

○ रीमा नानावटी

भारतीय कपड़ा उद्योग का एक महत्वपूर्ण भाग अनौपचारिक क्षेत्र है। विस्तृत विपणन नेटवर्क वाले समन्वित उत्पादन आधार के साथ कई कौशलों में दक्ष श्रमिक अधिक मात्रा में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

नए साल की शुरुआत मल्टी फ़ाइबर (यानी विभिन्न प्रकार के रेशे) से संबंधित समझौते की समाप्ति और पिछले चार दशकों में कपड़े के वैश्विक व्यापार को विनियमित करने वाली कोटा प्रणाली को ध्वस्त करने से हुई। इस उद्योग के सामने प्रतिस्पर्धा की नई चुनौतियों संबंधी चिंताओं के बीच, नीति–निर्माता और विश्लेषक भारत के भावी कार्यनिष्पादन के बारे में आशावादी हैं और उनका अनुमान है कि भारतीय कपड़ा उद्योग का आकार वर्तमान 37 अरब अमेरिकी डालर से बढ़कर 85 अरब डालर हो जाएगा। भारत का कपड़ा निर्यात 2002 में 11 अरब डालर था जो 18 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर से बढ़कर 2010 तक 40 अरब डालर हो गया है। सभी अनुमानों, बहस और भावी रणनीति संबंधी योजनाओं में एक बात की कमी साफ नजर आती है। इनमें यह नहीं बताया गया है कि 'अगले दशक में विश्व के कपड़ा व्यापार में भारत के हिस्से में जो बढ़ोत्तरी होगी उसमें अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान कितना होगा।'' अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत परिधान, वस्त्र, सिले–सिलाए वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग शामिल हैं जो भारत के कपड़ा निर्यात के प्रमुख घटक हैं। इसी संदर्भ में मल्टी फाइबर समझौते के समाप्त होने के बाद के दौर में कपड़े के विश्व व्यापार में इस क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन करना बड़ा जरूरी है।

इस लेख में तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है : (1) भविष्य में विश्व के कपड़ा व्यापार में प्रतिस्पर्धा लाभ को परिभाषित करने वाले प्रमुख घटक; (2) वर्तमान परिदृश्य में कपड़ा उद्योग के असंगठित क्षेत्र की चुनौतियां; और (3) विश्व कपड़ा व्यापार के उदारीकृत दौर में उभरकर सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए असंगठित क्षेत्र की इकाइयों/उपक्रमों को सुदृढ़ तथा सक्षम बनाने की रणनीति।

राष्ट्रों का तुलनात्मक लाभ और विशिष्ट उपक्रमों की प्रतिस्पर्धा स्थिति अब लागत में फायदे की सरल धारणा पर आधारित नहीं होगी। मुक्त बाजार की स्थिति में कई गैर–मूल्य घटक प्रतिस्पर्धा क्षमता का निर्धारण करेंगे। जहां तक मांग पक्ष का सवाल है फैशन वस्तुओं, कशीदाकारी, सजावटी वस्तुओं और मूल्यवान परिधानों जैसी उच्च श्रेणी की वस्तुओं में विशिष्टता से प्रतिस्पर्धा में टिकने की क्षमता बढ़ती है। आपूर्ति के क्षेत्र में जो चीजें प्रमुख निर्धारक होंगी वे हैं : अधिक मात्रा में उत्पादन से लागत में कमी का लाभ उठाने के लिए उचित आकार की इकाइयां, अत्याधुनिक टेक्नोलाजी, रेशे से लेकर डिजाइन तक की प्रक्रियाओं के लिए समन्वित आपूर्ति श्रृंखला, सेवा प्रदान करने की उच्च स्तरीय व्यवस्था, प्रबंधकीय तथा संगठनात्मक दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार डिजाइन सुविधा। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

प्रतिस्पर्धात्मक और उत्पादकता के नए नियम सभी फर्मों पर समान रूप से लागू होंगे। चाहे वे संगठित क्षेत्र की हों या अनौपचारिक क्षेत्र की। अधिकतर तैयारी और नीतिगत पहल संगठित क्षेत्र की बड़ी इकाइयों को सुदृढ़ करने में केंद्रित रहती हैं और भारत के कपड़ा क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग–अनौपचारिक क्षेत्र के सबसे निचले स्तर के उत्पादकों की मदद करने, उन्हें सुदृढ़ करने और तैयार करने की आवश्यकता को लगभग पूरी तरह भुला दिया जाता है।

वर्तमान उदार व्यापारिक माहौल में उभर कर सामने आ रही चुनौतियों को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि अनौपचारिक क्षेत्र के संगठनों के बड़े वर्ग की और उपेक्षा हो सकती है। और जब तक बाजारों को गरीबों की पहुंच के दायरे में लाने की कारगर कार्यनीतियां नहीं बनाई जातीं, उन्हें शायद फायदा उठाने से वंचित किया जा सकता है। गरीब उत्पादों के वर्ग द्वारा मुख्यधारा के बाजार में प्रवेश करने में जिन प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ता है वे हैं : प्रमुख घरेलू और राष्ट्रीय निर्यात बाजारों में स्वीकार्य गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए बाजार आसूचना की कमी, उत्पादों के संभावित खरीदारों और बाजारों के बारे में अपर्याप्त सूचना, नवीनतम उपलब्ध टेक्नोलाजी तक पहुंच की कमी तथा उत्पादन आधार का

IAS – 2005

भावी प्रशासको

आई.ए.एस. 2005 की परीक्षा के लिए इस सत्र में पुनः लोकप्रशासन एवं सामान्य अध्ययन में उच्चतम गुणवत्ता के साथ अत्यन्त परिष्कृत रूप में हम उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में।

लोक प्रशासन द्वारा जे.पी. सिंह

- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अन्तःविषयी दृष्टिकोण के आधार पर विश्लेषण करना ताकि प्रतियोगी न केवल विषय को समग्रता में समझ सकें बल्कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को भी समझ सकें।
- साथ ही टॉपिक के पहलुओं पर आधारित अध्यापन ताकि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में प्रतियोगी समर्थ हों।
- परम्परागत एवं सामयिक पहलुओं का सामंजस्यपूर्ण विश्लेषण।
- प्रश्नोत्तर लेखन शैली पर विशेष बल।
- अद्यतन स्तरीय सम्पूर्ण नोट्स क्लास संस्कृति के भाग।
- प्रत्येक सदस्य पर व्यक्तिगत ध्यान देना तदनुसार सुधार कार्यक्रम लागू करना।

आइए... महसूस कीजिये...
अन्तर स्पष्ट एवं विशिष्ट है।

मुख्य परीक्षा, प्रारम्भिक परीक्षा एवं फाउन्डेशन कोर्स उपलब्ध

सामान्य अध्ययन द्वारा जे.पी. सिंह एवं टीम

- प्रत्येक खण्ड का विशेषज्ञतापूर्ण अध्यापन तथा खण्ड विशेष के प्रत्येक प्रकार के पहलुओं को स्पष्ट करना।
- प्रश्नोत्तर लेखन पर विशेष बल।
- अद्यतन स्तरीय नोट्स।
- प्रत्येक सदस्य पर व्यक्तिगत ध्यान देना तदनुसार सुधार कार्यक्रम लागू करना।
- समय-समय पर ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों का अतिथि व्याख्यान।

मुख्य परीक्षा, प्रारम्भिक परीक्षा एवं फाउन्डेशन कोर्स उपलब्ध

पत्राचार कार्यक्रम (CORRESPONDENCE COURSE)

दिल्ली न आ सकने वाले प्रतियोगियों के लिए हमने एक सम्पूर्ण व अत्यन्त उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है - लोकप्रशासन (मुख्य परिक्षा), सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा), लोकप्रशासन (प्रारम्भिक परीक्षा) एवं सामान्य अध्ययन (प्रारम्भिक परीक्षा) एवं सामान्य अध्ययन (प्रारम्भिक परीक्षा), मुख्य परीक्षा की किसी भी विषय की सामग्री 2500/- में, प्रारम्भिक परीक्षा की सामग्री 2000/- में उपलब्ध है। इन्हे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि का, दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट JAGDISH PRASAD SINGH के नाम भेजें।

बैच प्रारंभ : जून के प्रथम सप्ताह में

प्रारम्भिक परीक्षा कार्यक्रम-2005

लोक प्रशासन एवं सामान्य अध्ययन में गहन कक्षा कार्यक्रम उपलब्ध है। यह कार्यक्रम ऐसे प्रतियोगियों के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जो अभी तक गम्भीर प्रयास के बाद भी प्रारम्भिक परीक्षा में सफलता प्राप्त नही कर सके है।

जहाँ चाह... ... वहाँ राह **The will to win IAS Exam**

हॉस्टल सुविधा उपलब्ध

JIGISHA
IAS ACADEMY

Add.—FLAT NO. 303, IIIrd Floor A 29-30
JAINA HOUSE COMM. COMPLEX
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
Ph. 011-55175836 Cell: 9810569158

विवरणिका (PROSPECTUS) के लिए 50/- का बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर भेजें।

नोट : किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पूर्व हमारे यहां 3 निःशुल्क कक्षाएं अवश्य करें।

बिखरा होना। इसके अलावा गरीब उत्पादकों के कौशल के स्तर और गतिविधियों का सीमित दायरा होने से भी उत्पादन से होने वाली किफायत का लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए उपयुक्त टेक्नोलाजी का इस्तेमाल संभव नहीं हो पाता।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद और 'सेवा' द्वारा अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग में लगे लघु इकाई मालिकों और घर में रहकर काम करने वालों पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कराए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि घर से काम करने वाले 86 प्रतिशत श्रमिक कच्चा माल खुद इकट्ठा करते हैं और अपनी मशीनों पर काम करते हुए तैयार परिधान की आपूर्ति करते हैं। हाल के वर्षों में इनमें से 45 प्रतिशत श्रमिक टेक्नोलाजी के पुराना पड़ जाने और उत्पादों की बदलती मांग के कारण बेरोजगार हो गए हैं। अधिकतर श्रमिक पुरानी पड़ चुकी मशीनों पर काम करते हैं और उनके वर्तमान कौशल आधुनिकतम टेक्नोलाजी की मशीनों, नए प्रकार के कपड़े और डिजाइन आदि के अनुसार नहीं होते। 'सेवा' ने अहमदाबाद में ऐसे 20,000 कपड़ा श्रमिकों को संगठित किया। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलाजी संस्थान के सहयोग से आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 200 से अधिक श्रमिकों को नवीनतम मशीनों और परिधान टेक्नोलाजी का प्रशिक्षण दिया गया ताकि उन्हें उद्योग के औपचारिक क्षेत्रों में कारगर तरीके से समायोजित किया जा सके।

'सेवा' अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सबसे बड़ी एकल यूनियन है। देश के विभिन्न भागों, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के 7,20,000 श्रमिक इसके सदस्य हैं। पिछले चार दशकों से 'सेवा' आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और अपने सदस्यों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास कर रही है। कच्छ और पाटण जिलों में 'सेवा' के 40,000 से अधिक सदस्य बारीक काशीदाकारी में माहिर हैं और यह हुनर उनकी सांस्कृतिक विरासत से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। 'सेवा' ने उन्हें समूहों के रूप में संगठित किया है और उनके परंपरागत कौशल को उनकी आजीविका की प्रमुख गतिविधि में बदल दिया है। यह सूखे की स्थिति से निपटने तथा आपदाओं का असर कम करने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। कपड़े के उदारीकृत व्यापार के वर्तमान युग में सेवा के सदस्यों को जिस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा वह था इन दो जिलों में बिखरी हुई उत्पादन इकाइयों को कारगर तरीके से समन्वित करना, परंपरागत कशीदाकारी कौशल से उच्च लागत के आधुनिक उत्पाद बनाना, हस्तशिल्पियों के कौशल में सुधार करके उन्हें नए किस्म के कपड़े का उपयोग सिखाना, डिजाइन में बदलाव व आधुनिक यंत्रों का उपयोग, खरीदार को समय पर सामान उपलब्ध कराने के लिए समय संबंधी अनुशासन का पालन करना सिखाना, उत्पादों में अधिकतम एकरूपता लाना, मांग में बदलाव का ध्यान रखना और छोटे होते जा रहे उत्पाद चक्र से निपटना।

नई उदारीकृत व्यापार प्रणाली की मांग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सेवा व्यापार सुविधा केंद्र खोला गया। यह सूखा–प्रभावित और आपदाओं की आशंका वाले कच्छ और पाटण के जिलों में 15,000 हस्तशिल्पियों के स्वामित्व वाला साझा उपक्रम (कंपनी) है। गुजरात की इस परीक्षण परियोजना में मुख्य जोर क्षमता उत्पन्न करने और साझेदारों की क्षमता तथा प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुदृढ़ करना है। इसके लिए सुदृढ़ उत्पादन आधार के निर्माण, विस्तृत बाज़ार नेटवर्क बनाने और कौशल के प्रशिक्षण तथा डिजाइन तैयार करने में सहयोग जैसे उपायों का सहारा लिया जा रहा है। सेवा व्यापार सुविधा केंद्र ने तीन स्तरीय उत्पादन ढांचा खड़ा किया है जिसके अंतर्गत अहमदाबाद में समन्वित उत्पादन सुविधा और जिला तथा ग्राम स्तर पर अनेक साझा उत्पादन केंद्रों की शृंखला शामिल है। समन्वित उत्पादन सुविधा के तहत जिला स्तर पर परिधान निर्माण की अत्याधुनिक टेक्नोलाजी पर आधारित मशीनों से युक्त उत्पादन सुविधा और उत्पादों को उच्च गुणवत्ता की कशीदाकारी से सजाने के लिए जिला तथा ग्राम स्तर पर केंद्र शामिल हैं। इससे समूची उत्पादन शृंखला का कारगर तरीके से समन्वय हुआ है तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन से जहां उत्पादन लागत में कमी का फायदा मिला है वहीं उत्पादों की गुणवत्ता तथा एकरूपता भी सुधरी है। सेवा व्यापार सुविधा केंद्र के परीक्षण चरण से प्राप्त अनुभवों और सबक का और फायदा उठाया जाएगा तथा देश के अन्य भागों के हस्तशिल्पियों के समूह भी इसका अनुसरण करेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौशल के प्रशिक्षण और दस्तकारों के हुनर में सुधार से जुड़ा है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलाजी संस्थान के सहयोग से सेवा व्यापार सुविधा केंद्र एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है जिसमें परिधान बनाने वालों को कई तरह के कौशलों का प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि वे उत्पादों की तेजी से बदल रही शैली और डिजाइन के अनुसार बदलाव ला सकें। सभी हस्तशिल्पियों के कौशल की बड़ी गहरी जांच–पड़ताल की जाती है और उनके परंपरागत कशीदाकारी हुनर को निखारने के लिए कौशल बढ़ाने के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

विपणन के क्षेत्र में सेवा व्यापार सुविधा केंद्र विस्तृत बाजार आसूचना उपलब्ध कराता है जिसमें कुछ खास श्रेणियों के उत्पादों के लिए बाजार सर्वेक्षण और खरीदारों संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा व्यापार सुविधा केंद्र का अपना डिजाइन प्रकोष्ठ बाजार पूर्वानुमान के आधार पर लगातार नए उत्पादों के विकास में लगा रहता है। सेवा व्यापार सुविधा केंद्र के अपने कई ऐसे माध्यम हैं जिनमें खुदरा बिक्री केंद्रों, व्यापारियों के बीच खरीदारी तथा भारत व विदेशों के महानगरों में प्रदर्शनियों का आयोजन कर बिक्री बढ़ाई जाती है। व्यापार सुविधा केंद्र ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों में भाग लेकर नए निर्यात बाजारों का पता लगाया है।

इस समय यह अपने दस्कार सदस्यों के उत्पाद अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। लागत को तर्कसंगत बनाने, प्रक्रियाओं में कार्यकुशलता लाने, सूचना टेक्नोलाजी के इस्तेमाल, अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन अपनाने तथा राष्ट्रीय विश्व बाजार के साथ

मजबूत विपणन नेटवर्क बनाकर सेवा व्यापार सुविधा केंद्र ने एक शानदार व्यापारिक मॉडल प्रस्तुत किया है।

गरीब उत्पादों को वस्त्र और हस्तशिल्प के विश्व व्यापार के नए माहौल में कारगर तरीके से समन्वित करने के लिए सेवा ने सबसे निचले स्तर पर व्यापार नेटवर्क (ग्रासरूट ट्रेडिंग नेटवर्क जी.टी.एन.) स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है। जी.टी.एन तीन महाद्वीपों – एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों की सरकारों और विश्व बैंक द्वारा गठित सबसे निचले स्तर के उत्पादों के संगठनों की साझेदारी वाला संगठन है। यह व्यापारिक समन्वय और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्यों पर आधारित है। जीटीएन से बाजारों तक गरीब महिलाओं की पहुंच बढ़ेगी और वे व्यापार तथा निवेश के प्रवाह का लाभ उठा सकेंगी। विश्वव्यापी नेटवर्क में जीटीएन एक संपर्क बिंदु होगा और विश्वस्तरीय नेटवर्क कायम करने तथा गरीबों को व्यापार का फायदा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कपड़े के विश्व व्यापार से भारत के कार्यनिष्पादन के बारे में आशावादी दृष्टिकोण इस क्षेत्र में सबसे निचले स्तर के उत्पादक संगठनों के विकास का भी नतीजा है। कपड़े के विश्व व्यापार में 30 अरब अमेरिकी डालर की अतिरिक्त आय में से कम से कम एक तिहाई इस क्षेत्र से प्राप्त होना चाहिए क्योंकि यह भारत के कपड़ा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तभी संभव होगा जब सरकारी नीतियों में समन्वय हो। बड़े कपड़ा उत्पादकों के लिए बनाई गई वर्तमान एप्पेरल पार्क (परिधान पार्क) और विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसी सरकारी योजनाओं में सबसे निचले स्तर के उत्पादक संगठनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेवा बाजार सुविधा केंद्र और राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलाजी संस्थान के बीच साझेदारी जैसी पहल को बढ़ावा देकर कौशल के प्रशिक्षण तथा उच्चीकरण में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना चाहिए। एक अन्य क्षेत्र जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है वह है अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों को अनुसंधान और विकास सहायता देने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता। अनुसंधान और विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने वाले यंत्रों तथा उपकरणों का विकास, विनिर्माण की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलाजी का विपक्ष और प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए सूचना संचार टेक्नोलाजी उपकरणों का विकास, ब्राड बैंक संपर्क के जरिए संचार में सुधार, विश्व के अन्य देशों के खरीदारों तथा फुटकर विक्रेताओं के साथ संपर्क के लिए बाज़ार प्रवृत्तियों के बारे में सूचनाओं के आदान–प्रदान में सुविधा होगी और अनौपचारिक क्षेत्र की कंपनियों को उद्योग में दुनिया के बेहतरीन तौर–तरीके अपनाने तथा नई रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। अनौपचारिक क्षेत्र को सुदृढ़ करके और बढ़ावा देकर तथा उसे औपचारिक प्रणाली में समन्वित करके यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया गरीबों के लिए फायदेमंद साबित हो और ऐसा करने के लिए ये कदम अनिवार्य हैं। ❑

(लेखिका इकोनोमिक एंड रूरल डेवलपमेंट, सेवा, अहमदाबाद की निदेशक हैं।)

LAND & PEOPLE

OF INDIAN STATES & UNION TERRITORIES

Editors : **S.C. Bhatt** & **Gopal K. Bhargava**

Extensively Researched

36 volumes

One about each State or Union Territory

The extensive research and updated work has about 2500 data tables to provide extensive statistical detail. A general list of the chapters reads as:

1. History
2. Physical Aspect
3. Population
4. Scheduled Caste
5. Scheduled Tribe
6. Other Backward Classes
7. Government and Politics
8. Education
9. Transport and Communication
10. Language and Literature
11. Medical Facilities
12. Industry
13. Finance Sector
14. Natural Wealth
15. Agriculture
16. Wildlife
17. Tourism
18. Archaeological Site
19. Natural Calamities
20. Customs, Fairs and Festivals
21. Arts and Crafts
22. Rural Development
23. Urban Development
24. Newspapers
25. Important Events
26. Non Governmental Organisations
27. Planning Outlay

2005, 14600 pp., Tables 2500,

ISBN: 81-7835-356-3 (Set), Price : 31500 (Set)

GYAN BOOKS PVT. LTD.

5, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002 (India)

Phones: 23261060, 23282060 Fax : 23285914

e-mail : gyanbook@vsnl.com website : gyanbooks.com

Y.D. Misra's IAS

Join 4 months 100% Result Course *for*
HISTORY Prelim-cum-Main 2005/2006 *by* **Y D Misra**

at: **Dr. Mukherjee Nagar Centre** & *at:* **East Patel Nagar Centre**

C/o MIPS Education, B-19, Satija House, Commercial Complex, Near UTI ATM, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.27652738, 27651700, Cell:9810345023
For further enquiry please contact: Manoj K. Singh
(Director: MIPS Education)

Head Office: 30/27, East Patel Nagar, New Delhi-8 (Opp. Mughal Mahal Restaurant, Close to Siddhartha Hotel Main Gate Road) Ph. 55486332/34/35, Cell: 9810573354
For further enquiry please contact: Jaya Sharma
(Director: Y.D. Misra's IAS)

Y.D. Misra's IAS

30/27, East Patel Nagar Centre *offers* **Admission** *for* **IAS Prelim-cum-Main-2005/2006**

ONE YEAR COMPACT COURSE

100% RESULT COURSE

Which includes both the Optional Subjects + GS + Essay + Qualifying Languages + Interview Guidance
Covering the entire course twice + two revisions + 30 Prelim Tests 2 hrs. Each + 20 Main Exam Tests 3 hrs. Each in every subject.

Or Join 4 Months Course in individual subjects

General Studies	by Y.D. Misra & Team	Pol. Sc.	By Y.D. Misra & most committed, goal oriented supportive, unbelievable faculty
History	by Y.D. Misra	Economics	
Pub. Admn.	by Ajay Sharma & Team	Geography	
Sociology	by Jaya Sharma	Philosophy	
		Hindi Lit.	

IAS Prelim 2005

100% Guarantee Course

New Batches to Begin On 7th January, 2005

Follow our method and approach To Qualify Prelim2005 & Later score more than 400 marks In IAS-Main-2005 GS & other Subjects

at Y.D. Misra's IAS

30/27, East Patel Nagar, New Delhi-8 (Opp. Mughal Mahal Restaurant, Close to Siddhartha Hotel Main Gate Road)
Ph. 55486332/55486334/ 55486335 Mobile: 9810573354

भारतीय वस्त्र उद्योग का भविष्य

○ डी.के. नायर

वस्त्र उद्योग के शेयरों में जिस तरह की तेजी देखी जा रही है, जिस तरह से अभी सबका ध्यान वस्त्र और परिधान क्षेत्र की ओर लगा हुआ है तथा इसके विस्तार और मजबूती की जो खबरें आ रही हैं उनसे इस बात के संकेत मिलते हैं कि सरकार और वस्त्र उद्योग, दोनों ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भारत में वस्त्र निर्माण की बड़ी पुरानी परम्परा रही है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है और हमारे वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुशल और अर्द्धकुशलकर्मी उपलब्ध हैं, लेकिन परिधान एक ऐसा उद्योग है जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। भारत में इसे व्यावसायिक आयाम 1970 के दशक के बाद ही मिला। इस उद्योग द्वारा कला और शिल्प पर खास ज़ोर दिये जाने तथा सरकार की ओर से लघु उद्योगों पर बल देने से हमारे वस्त्र और परिधान क्षेत्र के सभी पक्षों में कुटीर उद्योग की तरह की उत्पादन सुविधाओं का बोलबाला रहा है। इसी तरह रेशे की खपत के लिहाज से हम मुख्य रूप से कपास पर निर्भर हैं क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक क्षेत्र में कपास की खेती भारत में ही होती है और कृत्रिम रेशे पर भारी कर लगाया गया है।

हाल के वर्षों में उद्योग ने आधुनिक टेक्नोलाजी के इस्तेमाल का प्रयास किया है, लेकिन इससे केवल कताई का ही अधिक विकास हुआ है। इस समय हमारा कताई उद्योग बड़ी कुशलता से कार्य कर रहा है और दक्षता में यह विश्व स्तर का है। यह दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन संगठित क्षेत्र में होता है। इस प्रगति का श्रेय कुछ हद तक इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम हस्तक्षेप की सरकारी नीतियों को जाता है। प्रतिबंध न लगाने की नीतियों का अपवाद 1990 के दशक में छोटी कताई इकाइयों पर कुछ समय के लिए और धागे के लच्छों पर लंबे समय तक दी गई उत्पाद शुल्क में छूट थी। लेकिन परिधान के मामले में 95 प्रतिशत से अधिक उत्पादन लघु उद्योग की श्रेणी में आने वाली विकेन्द्रित हथकरघा, पावरलूम और बुनाई इकाइयों में होता है। 1967 और 1985 के बीच सरकार ने संगठित बुनाई उद्योग के विस्तार की इजाजत नहीं दी। 1985 में घोषित वस्त्र नीति में संगठित बुनाई इकाइयों के विस्तार पर प्रतिबंध हटा दिया गया। लेकिन वित्तीय नीति में संगठित बुनाई और प्रसंस्करण इकाइयों के साथ भेदभाव होता रहा। सरकारी नीतियों में इस भेदभाव की वजह से संयुक्त मिलों ने आधुनिकीकरण के क्षेत्र में निवेश करने में और अधिक दिलचस्पी नहीं ली। इससे 1960 के दशक के बाद लगातार इस क्षेत्र का ह्रास हुआ और देश के कुल वस्त्र उत्पादन में संगठित क्षेत्र का हिस्सा 1951 के 70 प्रतिशत से घटकर 2004 में 4 प्रतिशत से भी कम रह गया।

सारणी–1

कपड़ा उत्पादन में संगठित क्षेत्र का हिस्सा

वर्ष	कुल कपड़ा उत्पादन में संगठित क्षेत्र का हिस्सा
1951	70.19
1961	66.46
1971	47.88
1981	36.55
1991	13.36
2001	4.21
2002	3.74
2003	3.62
2004	3.44

2001 तक हमारा परिधान उद्योग लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था। बुनाई और बुने हुए परिधानों से संबंधित उद्योग आज भी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है। बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान निर्माण में उद्योग के विकेन्द्रित स्वरूप और इकाइयों के छोटे आकार के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत में आने वाली कमी का फायदा नहीं मिला है। इसी तरह उत्पादकता और दुनिया में इस क्षेत्र में हुई तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने से भी

यह क्षेत्र वंचित रह गया है। इससे वस्त्र और परिधान निर्माण में बड़े पैमाने पर काम आने वाले कपड़े, दोनों ही के मामले में लागत संबंधी हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ा है। प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का क्या महत्व है, यह बात इस तथ्य से उजागर हो जाती है कि जहां सूती धागे के विश्व–व्यापार में हमारा हिस्सा 25 प्रतिशत है वहीं वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में यह केवल 3 प्रतिशत है और यह भी कुछ खास तरह के वस्त्रों और परिधानों तक सीमित है। चूंकि विद्युत चालित करघों में बने वस्त्र बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं की आवश्यकता पूरी नहीं करते इसलिए हमारा वस्त्र निर्यात आम तौर पर फैशन परिधानों और अनौपचारिक परिधानों तक ही सीमित रहा है।

सरकारी नीतियों में सकारात्मक बदलाव

हाल के वर्षों में वस्त्र क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति में सकारात्मक बदलाव आया है। 1999 में सरकार ने समूची वस्त्र श्रृंखला में बेंचमार्क टेक्नोलाजी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलाजी उच्चीकरण कोष योजना प्रारंभ की। 2000 में कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए कपास टेक्नोलाजी मिशन गठित किया। 2001–02 के बाद से वस्त्र उद्योग में उत्पाद शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसका उद्देश्य विकेन्द्रित तथा लघु इकाइयों की ओर झुकाव समाप्त करना और इस उद्योग के तमाम क्षेत्रों को बराबरी का मौका उपलब्ध कराना था। यह प्रक्रिया इस साल कमोबेश पूरी हो गई है। इसके अंतर्गत समूचे वस्त्र क्षेत्र को विकल्प दिया गया है कि या तो वह उत्पाद शुल्क का भुगतान करे और उत्पादन के पूर्ववर्ती चरण में चुकता शुल्क पर सेनवेट साख का लाभ उठाए या फिर उत्पाद शुल्क का जरा भी भुगतान न करे।

उद्योग की सकारात्मक प्रतिक्रिया

सरकार की इन सभी नीतिगत पहल पर कपड़ा उद्योग ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिससे वस्त्र और परिधान क्षेत्र में नए जीवन का संचार हुआ है जबकि इससे पहले डूबता उद्योग समझ कर इस उद्योग की उपेक्षा कर दी जाती थी। अब तक करीब 26,000 करोड़ रुपये का निवेश टेक्नोलाजी उच्चीकरण कोष योजना में हुआ है जिसमें 9,500 करोड़ रुपये के ऋण भी शामिल हैं, इससे इस क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलाजी के उद्योग में पर्याप्त सुधार हुआ है। योजना के अंतर्गत निवेश के रुझान से पता चलता है कि उत्पाद शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया से निवेश को भारी प्रोत्साहन मिला है और प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इस साल निवेश पिछले साल की तुलना में दुगना हो जाने की संभावना है।

सारणी–2

टेक्नोलाजी उच्चीकरण कोष योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2001–02	629.60
2002–03	838.66
2003–04	1340.65
अप्रैल–नवम्बर 2004	2039.14

कपास टेक्नोलाजी मिशन के संचालन का स्वागत और इसके संचालन में अपने बीज अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से सहयोग करते हुए कई औद्योगिक संगठन तथा निजी मिलें भी मिशन को सहयोग दे रहे हैं और कपास किसानों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में शानदार वृद्धि हुई है। बढ़े हुए उत्पादन से जहां कपास की मांग और आपूर्ति का अंतर काफी कम हो गया है और इसकी कीमतें भी नीचे आ गई हैं वहीं उपज बढ़ाने से किसानों को उचित लाभ मिला है। (देखें सारणी 3)

उद्योग का परिकल्पना–पत्र

भारतीय कपास मिल परिसंघ के हाल में जारी परिकल्पना–पत्र के अनुसार 2010 तक वस्त्र और परिधान क्षेत्र 36 अरब अमेरिकी डालर के अपने वर्तमान आकार से 85 अरब अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच सकता है। इसी तरह इस अवधि में निर्यात 12 अरब अमेरिकी डालर से बढ़कर 40 अरब डालर पहुंच सकता है। इससे 1.2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे। इस क्षमता के उपयोग के लिए सरकार को अनेक नीतिगत पहल करनी होंगी और उद्योग को भी कदम उठाने होंगे। परिकल्पना–पत्र में इस उद्योग के तमाम क्षेत्रों में उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1,40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 50,000 करोड़ रुपये की अकेले प्रसंस्करण क्षेत्र को आवश्यकता होगी।

लंबित कार्यसूची

जहां सरकार की नीतिगत पहल और उस पर उद्योग की सकारात्मक प्रतिक्रिया से निवेश माहौल और वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की संभावनाओं में व्यापक सुधार हुआ है, वहीं इस उद्योग की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। उत्पाद शुल्क में कपास और कृत्रिम रेशा क्षेत्र में अंतर अब भी बना हुआ है। सूती कपड़े के मामले में अगर उद्योग सेनवेट श्रृंखला से बाहर रहना चाहता है तो उसे कच्चे माल पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं देना पड़ता क्योंकि कपास कृषि उत्पाद होने के कारण उस पर किसी तरह का उत्पाद शुल्क देय नहीं है। लेकिन कृत्रिम वस्त्र के मामले में उद्योग को रेशे पर 16 प्रतिशत और पालिएस्टर तंतु पर 24 प्रतिशत अनिवार्य उत्पाद शुल्क देना होता है। कृत्रिम और उसके मध्यवर्ती उत्पादों पर वर्तमान सीमा शुल्क 20 प्रतिशत है जो औद्योगिक उत्पादों पर देश में लगने वाली सीमा शुल्क की

अधिकतम दर है।

दुनिया में धागे की खपत के आंकड़ों से पता चलता है कि विश्व में कृत्रिम रेशे/फिलामेंट का उपयोग 60 प्रतिशत और सूती धागे का 39 प्रतिशत से कम है। लेकिन भारत में यह आंकड़ा इसके एकदम उलट है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हमारे कपड़ा उद्योग के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और यह मानव निर्मित रेशे के उत्पादों के क्षेत्र में अपना विस्तार कर सकता है। इस क्षमता के उपयोग के लिए रेशे और उसके मध्यवर्ती उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना बहुत जरूरी है।

सारणी–3

कपास का उत्पादन और उपज

वर्ष	उत्पादन (लाख गांठें)	उपज (किग्रा./हैक्टेयर)
2000–01	140	278
2001–02	158	308
2002–03	136	302
2003–04	177	387
2004–05*	213	404

* अनुमान स्रोत : कपास सलाहकार बोर्ड

पुराने कायदे–कानून

कपड़ा बनाने में काम आने वाले उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने, लच्छी वाले धागे के उत्पादन की शर्त तथा हथकरघा और लघु उद्योग क्षेत्र की बुनाई इकाइयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की उपयोगिता समाप्त हो गई है जबकि इसका प्रावधान अब भी बरकरार है। इन्हें हटाने की आवश्यकता है ताकि बाजार शक्तियां वस्त्र और परिधान क्षेत्र की सभी इकाइयों के कार्य निष्पादन में कारगर भूमिका निभा सकें।

आधारभूत ढांचा

बंदरगाह, सड़क और ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं। बड़े जहाज भारत के बंदरगाहों में नहीं आते। निर्यातकों को भारत से नौकाओं के जरिए सामान सिंगापुर, कोलम्बो या दुबई भेजना पड़ता है जहां उन्हें जहाजों में लादा जाता है। इससे समय और संसाधनों का बड़ा नुकसान होता है। भारत में कुछ बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाकर उनमें बड़े जहाजों के ठहरने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। सड़क परिवहन भी गंभीर समस्या है। वैसे इस क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसी सकारात्मक पहल हो चुकी है। लेकिन सड़कों में सुधार के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धता, गुणवत्ता और मूल्य संबंधी समस्याएं हैं। सभी राज्य बिजली बोर्ड भारी घाटे में चल रहे हैं,

ECONOMY by
Dr. Ramesh Singh
M. A. (Delhi School of Economics), Ph.D.(Social Eco.)
"Economy के लिए भारत में सर्वोत्तम"
"The Best in India"
New Batch: 15th Feb. 2005
Eng/हिन्दी
CIVILS INDIA®
A Quality Institute for IAS
A/12-13,202-203, ANSALBUILDING
BEHIND BATRA CINEMA,
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09
Ph.: 27652921, 9810553368 (Dr.) 9818244224 (Couns.),

लेकिन विभिन्न राज्य सरकारें उद्योगों को अपने बिजलीघर लगाने की या तो इजाजत नहीं देतीं या फिर इसे कर लगाकर हतोत्साहित किया जाता है।

जब तक राज्य बिजली बोर्ड वाजिब दामों पर बिजली की सुचारु आपूर्ति की स्थिति में नहीं आ जाते तब तक उद्योगों को अपने बिजलीघर लगाकर विद्युत उत्पादन करने की पूरी छूट होनी चाहिए और इसमें मदद भी दी जानी चाहिए।

श्रम संबंधी मुद्दे

निवेशकों को श्रम–प्रधान कपड़ा क्षेत्र में प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावहारिक निकासी नीति आवश्यक है। इस समय 100 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली किसी भी औद्योगिक इकाई को बंद करने से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, भले ही वह लगातार भारी घाटे में क्यों न चल रही हो। इसकी अनुमति भी कभी–कभार ही मिल पाती है। दूसरे शब्दों में निवेशकों के पास मिल को चलाने (और फिर घाटा उठाने) या घाटे में चल रही मिलों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ऐसी स्थिति में श्रम–प्रधान गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा नहीं मिलता, जो कि श्रमिकों और अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। वस्त्र उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक श्रम–प्रधान उद्योग है और इसमें भी परिधान निर्माण और अधिक श्रम प्रधान कार्य है। भारतीय परिधान उद्योग मौसम पर अत्यधिक निर्भर है। यह वसंत और गर्मी के परिधान की आवश्यकता ही अधिक पूरी करता है। मौसमी तथा गौण गतिविधियां ठेका मजदूरों के माध्यम से पूरी कराने से यह उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादक रोजगार उपलब्ध करा सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अधिक बड़े हिस्से की जरूरतें पूरी कर सकेगा। श्रम कानूनों का मुख्य जोर वर्तमान पदों को बचाने की बजाय उत्पादक रोजगार उत्पन्न करना होना चाहिए।

सरकार की ओर से सकारात्मक नीति, उद्योगों द्वारा इस नीति पर उचित कार्रवाई, बढ़ते मध्यम वर्ग की फालतू आमदनी में बढ़ोत्तरी तथा अतीत में वस्त्र और परिधान उत्पादों के निर्यात को आधे से भी कम स्तर पर बनाए रखने वाली कोटा प्रणाली ने आने वाले समय में इस क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में जबर्दस्त विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। हाल के महीनों में कपड़ा उद्योग के शेयरों में तेजी, देश में वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के साथ–साथ विदेशी एजेंसियों और आयातकों द्वारा वस्त्र और परिधान क्षेत्र को दिए जा रहे महत्व और जन–संचार माध्यमों में इस क्षेत्र के मजबूत होने तथा विस्तार करने के बारे में बार–बार आ रही खबरें इस बात का संकेत देती हैं कि सरकार और यह उद्योग, दोनों सही रास्ते पर हैं। ❑

(श्री डी.के. नायर भारतीय सूती मिल परिसंघ के महासचिव हैं।)

IAS/PCS - 2005-06
Prelims/Mains हिन्दी माध्यम
सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थान
समाज शास्त्र
द्वारा **धर्मेन्द्र**
'SYNONYM OF SOCIOLOGY'

रूपरेखा :
* अध्यापन की शुरुआत सतही रूप से।
* सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान।
* सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की वैज्ञानिक संरचना।
* ईक्नॉमिकल एवं पालिटिक्स वीक्ली, योजना एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं से समृद्ध क्लॉस नोट्स।
* पर्याप्त लेखन अभ्यास।
* नवीनतम समाज शास्त्रीय अध्ययन, विवेचना के साथ।

पत्राचार उपलब्ध IAS/PCS/UGC-NET के लिए :
1. ईक्नॉमिक एवं पालिटिकल वीक्ली, योजना एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के सूचनाओं से समृद्ध क्लॉस नोट्स।
2. 10 वर्षों के प्रश्नपत्र का विश्लेषण।
3. मॉडल उत्तर।
4. स्टडीज का विवरण।
5. लेखन कला पर विशेष सूचना / बुकलेट।

Correspondence Fees : 2500 (P+M) & 2000 (M)
DD in favour of Dharmendra Kumar payable at Delhi.

मनोविज्ञान
द्वारा **ओ.पी. चौधरी**
'अग्रणी पहलकर्त्ता'

हिन्दी माध्यम में भी सफलता की ओर अग्रसर
VIPUL GOYAL = 341 (2002, UPSC),
AMIT MISRA = SDM (UPPCS 2000), SDM (MPPCS 1999)

विषय के बारे में :
* पृष्टभूमि की आवश्यकता नहीं।
* प्रथम पत्र के साथ–साथ द्वितीय पत्र में भी 180+/300 स्तर का अंक प्राप्त करना संभव क्योंकि द्वितीय पत्र में आधे यूनिट तकनीकी/अवधारणात्मक।
* सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 800 पृष्ट में समाहित।
* गैप की सुविधा।
* अत्यंत रूचिपूर्ण एवं बोधगम्य विषय।

नोट : * अंग्रेजी के समतुल्य पूर्णतः परिभार्जित सामग्री हिन्दी में उपलब्ध * पत्राचार उपलब्ध।

सा० अध्ययन ओम प्रकाश चौधरी, संजय सिंह, प्रकाश एवं अन्य

नामांकन प्रारंभ
Compulsory/Spoken English
by **PANKAJ K. SINGH**
For all competitive exams including IAS/PCS/Judicial Exam

AAS
AN IAS ACADEMY
302, A-12-13, Top Floor, Ansal Building, Mukherjee Nagar, Delhi-9.
Ph.: 55152590 Cell.: 9891567782, 9312280722

हमारे टॉपर्स

Amritendu Sekhar
BPSC 1st Topper

"सर के G.S. पढ़ाने-समझाने एवं अभिभावक की तरह मार्गदर्शन का तरीका अद्भुत है"

Ajay Kumar
BPSC 8th Topper

ILA G. PARMAR
IAS 2003

वैकल्पिक विषय के रूप में / इतिहास / का वैज्ञानिक तरीके से अध्यापन जिससे प्री० में 90 से 100 प्रश्न सही, मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 350 अंक

सामान्य अध्ययन के कुल 600 अंक में 588 अंक और निबंध के 200 अंक नोट्स एवं कक्षा में किए गए अभ्यास के अनुरूप आया है तब अधिक भटकाव क्यों?

G.S.

सामान्य अध्ययन

IAS/PCS (फाउंडेशन + मुख्य + प्रारम्भिक) + टेस्ट सीरिज + मानक प्रश्न-उत्तर प्रारुप कक्षाएँ

By

R. Kumar & Team

हमारे टॉपर्स

Shashi Bhusan Singh
UPPCS Topper

"G.S. और इतिहास मेरे लिए सबसे अंकदायी रहा इसका सम्पूर्ण श्रेय सर को जाता है।"

Sunil Kumar Agarwal
IAS 2003

Updated जीवंत पत्राचार

सामान्य अध्ययन :-
मुख्य परीक्षा - 7 Booklet
प्रारंभिक परीक्षा - 4 Booklet
इतिहास :-
मुख्य परीक्षा - 3 Booklet
प्रारंभिक परीक्षा - 3 Booklet
हिन्दी साहित्य - 3 Booklet

Science & Tech. by R. Kumar IAS TUTORIALS
Economics by R. Kumar & Team IAS TUTORIALS
Indian Polity by R. Kumar IAS TUTORIALS
History by R. Kumar IAS TUTORIALS
G. Science by R. Kumar IAS TUTORIALS
...

शुल्क एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें:-

अन्य विषय	इतिहास द्वारा विशेषज्ञ समूह	समाज शास्त्र द्वारा डॉ० एस.आर. सिंह	लोक प्रशासन द्वारा मनीषा सिंह	हिन्दी साहित्य द्वारा वी.एस. सिंह

आवासीय सुविधा उपलब्ध

आस्था IAS TUTORIALS
102-103, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: (O) 27651392 Cell.: 9810664003

1 मई, 2004 से IAS TUTORIALS का नया नाम आस्था IAS TUTORIALS हो गया है।

प्रधानमंत्री की अपील

मेरे प्यारे देशवासियो,

जैसा कि आप जानते ही हैं, भीषण प्राकृतिक आपदा ने अंडमान–निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी तथा तमिलनाडु में जबर्दस्त तबाही और मृत्यु तथा विनाश का भयावह तांडव मचाया है। भूकंप से उठी सुनामी लहरों ने हजारों लोगों को देखते ही देखते मौत की नींद सुला दिया। हम सभी ने दुख–दर्द, बेबसी, जान–माल के भारी नुकसान की बदनुमा तस्वीर देखी है। हमने अपने पड़ोसी देशों – मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड में भी इस अनहोनी का क्रूर चेहरा देखा है।

हमारी सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे विश्वास है कि संकट की इस घड़ी में हममें से हर कोई स्वेच्छा से यथासंभव मदद और सहयोग के लिए सामने आएगा। यही वह समय है जब हमें अपने भीतर छिपी मानवीय संवेदनाएं जगाते हुए संकट से निपटने में, हर संभव सहयोग करना चाहिए।

मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वे विपदा की इस घड़ी में सरकार का हाथ बंटाएं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में उदारता से दान दें।

मनमोहन सिंह

भुगतान **"प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष"** के नाम से चैक अथवा ड्राफ्ट से **प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली–110011** को भेजा जा सकता है। बैंक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के नाम से बनने वाले ड्राफ्टों के लिए कोई कमीशन नहीं लेंगे।

योगदान राशि इन जगहों में भी जमा कराई जा सकती है :

- बैंकों की किसी भी शाखा में
- http://pmindia.nic.in या http://pmindia.gov.in पर ऑनलाइन भुगतान
- मनीऑर्डर से जिसके लिए कोई कमीशन नहीं देना होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 80(जी) के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दी गई राशि पर कर योग्य आय से शत प्रतिशत छूट दी जाती है।

सत्यमेव जयते

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, भारत सरकार

WE ARE THE WORLD

These images from around the world carry the same message — the survivors need more than just sympathy to make it through

LOSSES ON COAST...

Govt pegs loss in TN, Kerala, Andhra, Pondy at Rs 5322 cr

- Loss in TN is Rs 2730.7 cr, Andhra is Rs 720.73cr, Kerala is Rs 1358.62cr and Pondicherry is Rs 512 cr
- 162 km of national highways, 462 km of state and dist highways, seven bridges damaged
- 7 Indian casualties in Sri Lanka, Maldives, Thailand, Indonesia
- World Bank offers $3bn loan. US offers rehab help, Japan too pitches in

ANDAMANS...

Total loss in the Andamans estimated at Rs 2,500 cr

- Rs 800 cr losses incurred from damages to public, private infrastructure, defence installations, power supply system, roads and hospitals, according to agency reports
- Losses to tourism industry pegged at 375 cr, which includes drop in tourist flow and damage to jetties
- Loses to small and medium industries pegged at over Rs 100 cr

REST OF ASIA

Loss over $14bn, says world's largest re-insurer Munich Re

- Thailand, Indonesia face GDP cuts by 0.2-0.5 %. Thailand estimates losses at $510 million
- Disaster will set back Sri Lanka's economy by a year and could cause contraction
- Nations worldwide have pledged around $3.7bn in aid
- UN appeals for $977 million aid for covering basic humanitarian needs

मल्टी फाइबर व्यवस्था की समाप्ति का असर

31 दिसंबर, 1994 तक कुछ विकसित देशों के (उदाहरणार्थ अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्य देश, कनाडा) कपड़ों का निर्यात, भारत और इस देशों के बीच हुए आपसी कपड़ा समझौतों द्वारा नियंत्रित होता था। मल्टी फाइबर समझौते (एक समझ) के तहत होने वाले ये समझौते टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य समझौते (गैट) के नियमों से बाहर होते थे। लेकिन पहली जनवरी, 1995 से मल्टी फाइबर समझौते के तहत आपसी समझौतों में आज भावात्मक प्रतिबंध (आयात कोटे) कपड़े और परिधान समझौते (एटीसी) द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। यह समझौता गैट के उरुग्वे दौर समझौतों के अंतिम संस्करण में निहित हैं।

एटीसी के अनुसार, कपड़े के कोटे धीरे–धीरे खत्म कर दिए जाएंगे और पहली जनवरी, 2005 से कपड़ा क्षेत्र को विश्व व्यापार संगठन (डब्लू टी ओ) में पूरी तरह समाहित कर लिया जाएगा।

उदारीकृत व्यापार व्यवस्था से कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे निर्यात के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और साथ ही घरेलू उद्योग का घरेलू बाजार में आयातों के प्रवेश का सामना होगा। उद्योग को उभरती विश्व प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए अपनी दक्षता और उत्पादकता सिद्ध करनी होगी।

कोटे की समाप्ति से निम्नलिखित फायदे होंगे।

- कोटा के तहत आपूर्तिकर्ता देशों से निर्यात की औसत वृद्धि दर काफी बढ़ जाएगी;
- आपूर्तिकर्ता देशों में तुलनात्मक लाभ के आधार पर कपड़ा और परिधान क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- आपूर्तिकर्ताओं, क्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच माल के मुक्त प्रवाह के लिए एक समता–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित हो जाएगी;
- विश्व व्यापार संगठन में निहित बहु–स्तरीय व्यवस्था मजबूत होगी।
- उपभोक्ताओं और वितरकों के लिए उपभोक्ता मूल्यों और सौदे की लागत सभी के लिए कम हो जाएगी।

कोटा उपरांत व्यवस्था में निम्नलिखित प्रतिकूल बातों की संभावना है:

- क्षेत्रीय तथा अधिमानी व्यापार व्यवस्थाओं की स्थापना, कपड़ा उत्पादों पर लगातार एंटी डम्पिंग कार्यवाहियों की शुरुआत, मूल संबंधी नियमों की परिभाषा को इकतरफा बदलने, नशीली दवाओं के कार्यक्रमों, पर्यावरण सुरक्षा और श्रममानक जैसे गैर–व्यापारिक मुद्दों के आधार पर भेदभाव जैसे विविध गैर–टैरिफ मुद्दों से पता चलता है कि विकसित देश विभिन्न तरीकों से प्रतिबंधों को जारी रखना चाहते हैं।
- क्षेत्रीय और अधिमानी व्यापार व्यवस्थाओं से किसी भी बड़े व्यापार ब्लाक के सदस्य न होने वाले भारत जैसे विकासशील देशों के व्यापार अवसर कम हो रहे हैं। 'नाफ्टा' जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौतों तथा व्यापार विकास एक्ट पर अमेरिका द्वारा कनाडा, मेक्सिको और उप–सहारा अफ्रीका तथा कैरीबियाई द्वीपसमूहों के साथ हस्ताक्षर से भारतीय निर्यात पर भारी असर पड़ेगा।
- ऐसे अधिमानी समझौतों के कारण काफी मात्रा में व्यापार दूसरे देशों को चला जाता है, क्योंकि लाभार्थी देशों को कोटा समाप्ति के बाद या तो कोटा मुक्त या शुल्क मुक्त सप्लाई या दोनों ही की सुविधाएं मिलती रहती हैं। बढ़ती विश्व प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए घरेलू कपड़ा उद्योग को मजबूत करने के वास्ते 2004–05 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:
- टेक्सचराइज्ड यार्न, सिंथेटिक आदि कृत्रिम रेशों तथा सिंथेटिक और अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर, संपूर्ण मूल्यवर्धित शृंखला को उत्पाद शुल्क से छूट का विकल्प दिया गया है।
- कपड़ा और कपड़े की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।
- विभिन्न कपड़ा मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, उभरती विश्व प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कपड़ा उद्योग को समर्थ परिवेश प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार समय–समय पर कई कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:
  i. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन में मदद के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना को पहली अप्रैल, 1999 से चालू कर दिया गया है।
  ii. कपास की पैदावार और गुणवत्ता सुधारने के लिए, सरकार ने कपास टेक्नोलाजी मिशन आरंभ किया है, जिसमें चार मिनी मिशन हैं। इन मिशनों का कृषि मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप

से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन का महत्वपूर्ण अंग कपास प्रोसेसिंग सुविधाएं हैं, मौजूदा ओटाई (ग्रिनिंग) और बिलाई (प्रैसिंग) सुविधाओं को उन्नत/ आधुनिक बनाकर और मंडी के नए यार्ड बनाकर/मौजूदा मंडी यार्डों को सुधार करके उपलब्ध कराई जाएंगी।

iii. सरकार ने संभावित विकास केंद्रों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली परिधान विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने और निर्यातों के तेजी लाने पर जोर देने के लिए निर्यात योजना के लिए 'परिधान पार्क' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है।

iv. महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए, 'कपड़ा केंद्र संरचना विकास योजना' शुरू की गई है।

भविष्य के लिए उम्मीदें

व्यापार के कोटों की समाप्ति के बाद भारतीय कपड़ा निर्यातों में तेजी आने की उम्मीद है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे चोटी के कपड़ा आयातक देश ऊपरी आयात संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। हाल में किए गए कई अध्ययनों के अनुसार भारत, चीन के लिए एक वैकल्पिक सप्लाई स्रोत के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

निर्यात में भारत की प्रगति को मूल्यवर्धित मेड–अप्स और परिधानों से मदद मिलेगी, क्योंकि (i) अपेक्षाकृत कम खर्चीली और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता (ii) डिजाइन विशेषज्ञता (iii) देश में उगाई कपास, धागों और कपड़ों जैसे बुनियादी कच्चे माल के व्यापक उत्पादन आधार, और (vi) कपड़ों की विस्तृत श्रेणी की उपलब्धता के बारे में भारत को अपने प्रतियोगियों से बढ़त प्राप्त है।

आईसीएमएम द्वारा प्रायोजित 'क्रिसिल' के एक हाल के अध्ययन के अनुसार 2010 तक भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग 85 अरब अमेरिकी डालर की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इसमें से घरेलू बाजार 45 अरब अमेरिकी डालर का होगा और निर्यात क्षमता 40 अरब डालर की होगी। लगभग 60 प्रतिशत निर्यात तैयार वस्त्रों का होगा। इससे 120 लाख नौकरियां उत्पन्न होंगी, जिनमें से 50 लाख नौकरियां सीधे कपडा उद्योग में होंगी और 70 लाख संबद्ध क्षेत्रों में होंगी। ❑

(पसूका से साभार)

प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में इलाहाबाद के गौरव को पुर्नस्थापित करने का एक अप्रतिम प्रयास

इतिहास

- उपनिवेशवादी
- नव उपनिवेशवादी (कैम्ब्रिज स्कूल)
- राष्ट्रवादी
- राष्ट्रवादी मार्क्स वादी
- उपाश्रय वादी
- राजनैतिक
- सामाजिक धार्मिक
- आर्थिक
- सवार्ल्टन

द्वारा

शशांक शेखर

SATYA

चन्द्रशेखर प्वाइंट

47, C. Y. चिन्तामणि रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद मोबाइल : 3154397

PUBLIC ADMINISTRATION

By

S. N. UNIYAL

ENGLISH MEDIUM / हिन्दी माध्यम में

अभिनन्दन समारोह

व

अतिथि व्याख्यान

द्वारा

GALAXY

STAR OF THE YEAR

श्री कांत नामदेव
IRS

लोक प्रशासन में अंक 368 (हिन्दी माध्यम में सार्वाधिक अंक)

22 फरवरी 2005*

विस्तृत साक्षात्कार देखें :
चाणक्य सिविल सर्विसेज क्रोनिकल नवम्बर 2004

* श्रीकांत के अपने प्रशिक्षण क्रम में Parliamentary Attachment हेतु नई दिल्ली आगमन के अवसर पर।

GALAXY

Flat No. 203, Jaina House, IInd Floor, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Contact : 9818906330, 9810867855

लोक प्रशासन में नवीनतम विकासों के लिए देखें योजना पत्रिका के फरवरी व मार्च अंक।

सुनामी लहरों का तांडव

○ मधु आर. शेखर

भारत के दक्षिणी राज्यों – तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और केरल के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने और 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें लेने वाली सुनामी लहरों के आने के बाद अब जबकि राष्ट्र फिर से सामान्य हो रहा है, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की नई रणनीतियों पर विचार किया जाने लगा है।

हिंद महासागर में 26 दिसंबर, 2004 को समुद्रतल में भयंकर भूकंप आया जिसके कारण सुनामी (समुद्री लहरें) पैदा हुईं, जिन्होंने 15 मीटर ऊंचे उफान से इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और अन्य देशों के तटीय इलाकों को तहस–नहस करके रख दिया।

भारत के दक्षिणी राज्यों – तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और केरल के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने और 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें लेने वाली सुनामी लहरों के आने के बाद अब जबकि राष्ट्र फिर से सामान्य हो रहा है, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की नई रणनीतियों पर विचार किया जाने लगा है। एशिया– प्रशांत के विकासशील देश दुनिया की खतरनाक पट्टी पर स्थित हैं और वहां बाढ़, अकाल, समुद्री तूफान, भूकंप, अंधड़, समुद्री उफान और भू–स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। इन आपदाओं के पीछे हैं जलवायु और भूकंपीय कारण तथा क्षेत्र की विलक्षणताएं। 1990 के प्राकृतिक आपदा बचाव दशक के बाद से इस क्षेत्र में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण मरने वालों की संख्या तीन लाख को पार कर गई है। संपत्ति को 200 अरब अमेरिकी डालर मूल्य के बराबर नुकसान हो चुका है। तेजी से हो रहे शहरीकरण, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और समुचित नियोजन और तैयारी के अभाव के कारण इन आपदाओं का खतरा बढ़ गया है।

आपदाएं समुद्री तूफान और अंधड़, भारी बाढ़ और समुद्री तथा नदी उफानों का परिणाम हो सकती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और सुनामी जैसी भौगोलिक प्रक्रियाएं भारी विनाश कर सकती हैं। पूर्वी क्षेत्र में औसत समुद्री तल स्तर में कमी लाने वाली अल नीनो जैसी प्राकृतिक घटनाओं और भारत, इंडोनेशिया तथा आस्ट्रेलिया में अनावृष्टि सामान्य जन–जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।

ऊष्ण–कटिबंधीय वनों और मूंगे की चट्टानों से तटवर्ती बस्तियों का समुद्री उफान से बचाव होता है। मानवकृत विनाश से इन्हें नुकसान पहुंचा है और तटीय क्षेत्रों के प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने की आशंका बढ़ गई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मौतों के मामले में चीन, भारत और बांग्लादेश क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आ गए हैं।

हिंद महासागर के समुद्रतल में 26 दिसंबर, 2004 को भयंकर भूकंप आया जिसके कारण सुनामी (समुद्री लहरें) पैदा हुईं जिन्होंने 15 मीटर ऊंचा समुद्री उफान लाकर इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, थाइलैंड, और अन्य देशों में तटीय इलाकों को तहस–नहस करके रख दिया। इस उफान के थपेड़े भूकंप के केंद्रबिंदु से 4500 किलोमीटर या इससे भी अधिक दूर पूर्वी अफ्रीका और सोमालिया तट तक लगे और इसे आधुनिक इतिहास की सबसे भयंकर आपदाओं में से एक माना गया। जबर्दस्त ताकत वाला यह भूकंप हिंद महासागर स्थित उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट से उठा और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 9 दर्ज की गई। इसका केंद्रबिंदु सुमात्रा से 160 किलोमीटर पश्चिम 3.316 उत्तरी अक्षांश, 95.855 देशांतर औसत समुद्र तल से 30 किलोमीटर गहराई में था। यह 'अग्नि चक्र' कहे जाने वाले उस इलाके के धुर पश्चिमी सिरे पर था जहां दुनिया के सबसे तेज माने जाने वाले 81 प्रतिशत भूकंप आते हैं। इस भूकंप के झटके भारत, मलयेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश और मालदीव जैसे सुदूर देशों में महसूस किए गए। यह असाधारण रूप से शक्तिशाली था और इसके कारण करीब 1200 किलोमीटर लंबी फाल्टलाइन भारत प्लेट और बर्मा प्लेट के मिलन स्थल पर 20 मीटर सरक गई। अनुमान है कि इसकी वजह से बर्मा प्लेट का समुद्र तल भारत प्लेट की अपेक्षा कई मीटर ऊपर उठ गया जिससे हिंद महासागर उद्वेलित हो उठा। अनुमान है कि इस उफान के कारण उठा ज्वार 800 किलोमीटर की रफ्तार से चला जिससे सुनामी लहरें पैदा हुईं जो गहरे समुद्र में एक मीटर ऊंची थीं। भारतीय तट पर पहुंचकर इन्होंने भारी तबाही मचाई।

अलास्का से दूर 1964 में आए गुड फ्राइडे कहे जाने वाले 9.2 डिग्री तीव्रता वाले भूकंप के बाद का यह सबसे बड़ा और 1900 के बाद का चौथा सबसे ताकतवर जलजला था। 1900 से भूकंपों का लेखा–जोखा रखने

की शुरुआत की गई थी। पिछली सदी के प्रारंभ से जिन भयंकर भूकंपों का विवरण रखा गया है उनमें 1960 का चिली का भीषण भूकंप (तीव्रता 9.5), अलास्का के दो भूकंप (1964 का प्रिंस विलियम साउंड का 9.2 तीव्रता वाला गुड फ्राइडे और 9 मार्च 1957 का एंड्रीयेनोफ द्वीप में 9.1 तीव्रता वाला) शामिल हैं। इनके अलावा जिस अन्य भयंकर भूकंप का विवरण ज्ञात है वह है 1952 का कमचटका के दक्षिण–पूर्वी तट के पास आया 9.0 तीव्रता वाला भूकंप। इन भूकंपों के कारण भी सुनामी लहरें उठी थीं लेकिन उनसे जान–माल का नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ। संभवतः इसका कारण यह था कि इससे प्रभावित इलाकों में आबादी का घनत्व कम था।

भारत प्लेट इंडो–आस्ट्रेलियाई प्लेट का एक भाग है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अपनी जगह से 6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की औसत दर से उत्तरपूर्व की ओर सरक रही है। भारत प्लेट यूरेशियन प्लेट का भाग मानी जाने वाली बर्मा प्लेट से सुंडा ट्रेंच पर मिलती है। बर्मा प्लेट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शमिल हैं। भारत प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे गहराई में जा रही है। इसके कारण तापमान और दबाव बढ़ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार का अर्द्ध–द्रव लावा निकल रहा है। यही लावा ज्वालामुखी विस्फोटों के रूप में धरती की सतह पर आता है। प्लेटों के दबाव के कारण यह प्रक्रिया कई सदियों तक रुकी रहती है और जब बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है तो यही भयंकर भूकंप या सुनामी के रूप में फूट पड़ती है।

रिक्टर पैमाने की 9.0 तीव्रता वाले भूकंप के कारण टीएनटी के 32000 मेगाटन शक्ति के बराबर ऊर्जा निकलती है। यह किसी एक वर्ष में अमेरिका में खपत होने वाली कुल ऊर्जा के 30 प्रतिशत से अधिक के बराबर है।

सुनामी (त्सुनामी) शब्द जापानी भाषा का है। त्सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का मतलब है लहरें। यह शब्द उन मछुआरों के बीच बोला जाता है जो बंदरगाह लौटने पर उसे लहरों द्वारा तहस–नहस पाते हैं हालांकि गहरे समुद्र में होने कारण उन्हें लहरों की प्रचंडता का पता नहीं चल पाता। सुनामी तकनीकी तौर पर तो नहीं है मगर उसे समुद्री लहर ही माना जाता है। यह कई लहरों की श्रृंखला है जो पानी के उद्वेलन या उसमें एकाएक उथल–पुथल होने के कारण पैदा होती है और पानी की ऊंची दीवार के रूप में ऊपर को उठती दिखती है। यह उथल–पुथल जलक्षेत्र में भूकंप, भू–स्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, धमाकों अथवा उल्का गिरने के कारण हो सकती है। इससे उठी ऊंची लहरें किनारे को डुबा सकती हैं और जान–माल का भारी नुकसान कर सकती हैं। ऐसी लहरें तब पैदा होती हैं जब समुद्र तल एकाएक विरूपित हो उठता है और पानी को उठाकर फेंक देता है। प्लेट सीमाओं पर धरती की सतह में ऊर्ध्व गति पैदा हो सकती है। जब घनी समुद्री प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की ओर फिसलती है तो इसके परिणामस्वरूप आने वाले भूकंप से सुनामी आती हैं।

सुनामी सामान्य लहरों से एकदम अलग तरह की होती हैं। वे बहुत तेज रफ्तार से उठती हैं और बिना तेजी कम हुए हजारों मील तक चली जाती हैं और अपने उद्गम स्थल से हजारों मील दूर भारी तबाही मचा सकती हैं। परिणामस्वरूप उद्गम स्थल से उठने और इनके तट पर पहुंचने के बीच कई घंटे का समय लग सकता है। खुले समुद्र में एक सुनामी और उसके बाद वाली सुनामी के आने के समय में काफी अंतराल हो सकता है। यह कुछ मिनटों से घंटों का हो सकता है। लहरों की लंबाई कई सौ किलोमीटर हो सकती है। सामान्य अवस्था में एक लहर से दूसरी के बीच का अंतराल मात्र 10 सेकेंड का और लंबाई सिर्फ 150 मीटर होती है। खुले समुद्र में सुनामी लहर की वास्तविक ऊंचाई एक मीटर से कम होती है। जहाजों या उपग्रहों से इन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये समुद्र में 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। जैसे ये उथले पानी या तट की ओर बढ़ती हैं, ये धीमी पड़ जाती हैं और इकट्ठी होने लगती हैं तो ऊंची और लंबी हो जाती हैं। तट तक पहुंचते–पहुंचते ये 30 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं। पानी की गहराई और लहर की लंबाई कम होने पर ये लहरें उथले पानी की लहरें बन जाती हैं। सुनामी लहरों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है अतः वे गहरे समुद्र में उथले पानी की लहर जैसा काम करती हैं। उथले पानी की लहरों की रफ्तार गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता और पानी की गहराई के गुणनफल

भारत और उसके पड़ोस में आए महत्वपूर्ण भूकंपों की सूची

तारीख	केंद्रबिंदु		स्थान	तीव्रता
	अक्षांश (डिग्री उत्तर)	देशांतर (डिग्री पूर्व)		
1819, जून. 16	23.6	68.6	कच्छ, गुजरात	8.0
1869, जन. 10	25	93	कछार के पास, असम	7.5
1869, मई 30	34.1	74.6	सोपोर, जम्मू–कश्मीर	7.0
1897, जून 12	26	91	शिलांग प्लेटो	8.7
1905, अप्रैल 04	32.3	76.3	कांगड़ा, हि. प्र.	8.0
1918, जुलाई 08	24.5	91.0	श्रीमंगल, असम	7.6
1930, जुलाई 02	25.8	90.2	धुबरी, असम	7.1
1934, जन. 15	26.6	86.8	बिहार–नेपाल सीमा	8.3
1941, जून 26	12.4	92.5	अंडमान द्वीप समूह	8.1
1943, अक्टू. 23	26.8	94.0	असम	7.2
1950, अग. 15	28.5	96.7	अरुणाचल–चीन सीमा	8.5
1956, जुलाई 21	23.3	70.0	अंजर, गुजरात	7.0
1967, दिस. 10	17.37	73.75	कोयना, महाराष्ट्र	6.5
1975, जन. 19	32.38	78.49	किन्नौर, हि.प्र.	6.2
1988, अग. 06	25.13	95.15	मणिपुर–म्यांमार सीमा	6.6
1988, अग. 21	26.72	86.63	बिहार–नेपाल सीमा	6.4
1991, अक्टू. 20	30.75	78.86	उत्तरकाशी, उत्तरांचल	6.6
1993, सित. 30	18.07	76.62	लातूर,–उस्मानाबाद, महा.	6.3
1997, मई. 22	23.08	80.06	जबलपुर, म.प्र.	6.0
1999, मार्च. 29	30.41	79.42	चमोली, उत्तरांचल	6.8
2001, जन. 26	23.40	70.28	भुज, गुजरात	6.9

PUBLIC ADMINISTRATION

जानिए ?

क्या है संकल्पनाओं की अन्तर्सबंधता (Co-relation in Concepts)
क्या है UPSC MAINS का Pattern.
क्यों आते हैं- सामान्य अभ्यर्थी के 218/600 अंक

- क्या अच्छा अभिशासन (Good Governance) और लोक तंत्र (Democracy) एक-दूसरे के विरोधाभासी (Contradictory) हैं (UPSC-2004), यदि हाँ तो कैसे? अच्छे अभिशासन के घटक क्या हैं - राज्य (State), बाजार (Market) तथा नागरिक समाज (Civil Society), लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है - उत्तरदायी शासन (Accountable Governance), अच्छा अभिशासन एकीकृत अभिशासन पर बल देता है तथा बाजार व नागरिक समाज को शासन की व्यापक प्रक्रिया में समाहित करता है। लेकिन बाजार (Market) व नागरिक समाज (NGO's) का उत्तरदायित्व (Accountability) कैसे सुनिश्चित हो यह स्पष्ट नहीं करता।

  (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।)

  पुनः लोकतंत्र से आशय है स्वशासन (Self rule) जिसमें अपने लिए अभिशासन का स्वरूप सुनिश्चित करना भी समावेशित हैं, जबकि अच्छा अभिशासन विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित संकल्पना है, जिसका उल्लेख विश्व बैंक द्वारा पहली बार सन् 1989 में तथा दूसरी बार सन् 1992 में किया गया तथा इस संकल्पना को विकास मूलतः तृतीय विश्व के "अति ऋणीकृत देशों {HIPCs-Highly Indebted Poor Countries} के सन्दर्भ में ऋण प्राप्त करने की पूर्वशर्त के रूप में किया गया।

  (HIPCs - को विश्व बैंक के प्रख्यात अर्थशास्त्री William Easterly नें विफल राज्यों (Failed States) की संज्ञा दी है क्यों कि विश्व बैंक 1950 से अब तक तीन बार Toronto, Trinidad & Neples Rounds इनके ऋण माफ कर चुका है) अतः अधिकतर राजनीतिक विश्लेषक अच्छे अभिशासन की संकल्पना को लोक तांत्रिक राष्ट्रों की संप्रभुता (Sovereignty) पर आक्षेप के रूप में मानते हैं।

  (पूरा उत्तर लिखने के लिए विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1989 व 1992 में दी गई विमाओं का विश्लेषण करना आवश्यक होगा)

- क्या सूचना का अधिकार (Right-to-Information) को शासन का अधिकार (Right-to-Governance) का पर्याय माना जाना चाहिए? क्या सूचना का अधिकार भारत में मौन न्यायिक क्रांति का अग्रदूत बन सकता है (Mains-2004). निश्चित रूप से- यदि सूचना के अधिकार को अन्य सहवर्ती संकल्पनाओं - नव सामाजिक अधिकार सिद्धान्त (New Social Right Theory) तथा सामाजिक क्रिया याचिकावाद (Social Action Litigation) से जोड़कर विश्लेषित किया जाय तो यह समाज के उस वर्ग का भी सशक्तिकरण कर सकता है जो दशकों से भारतीय लोकतंत्र के सीमान्त पर जीने को अभिशप्त रहा है।

  (Case Studies के लिए देखें योजना पत्रिका के आगामी अंक)

- क्या तुलनात्मक लोक प्रशासन (CPA) व अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन (International Administration) परस्पर संबधित संकल्पनायें हैं। (UPSC-2004), क्या विगत एक दशक में इन दोनों उपविधाओं (Sub-Field) का समेकन (Convergence) हुआ है, जैसा कि Ferrel Heady अपनी नवीनतम कृति "Issues-in-Comprative & International Administration (1992)" में रेखांकित करते हैं। विश्व स्तर पर इस दिशा में प्रयासरत संस्था {The Section of International & Comparative Administration - SICA} के उद्देश्य क्या हैं? क्या भूमण्डलीकरण व नवलोकप्रबंधन ने तुलनात्मक अध्यनों का स्वरूप बदल दिया है, जैसा कि G.E. Caden & Neomi Caden अपनी नवीनतम कृति "Towards the Future of Comparative Public Administration (2000)" में रेखांकित करते हैं, क्या अब तुलनात्मक लोक प्रसाशन को नया नाम दे दिया जाना चाहिए जिसकी आवश्यक्ता Ali Farazmand अपनी कृति "The New World Order & Global Public Administration (1999)" में दर्शाते है।

  मौलिक विश्लेषण के लिए संकल्पनाओं की पूर्ण समझ व अधतन जानकारी आवश्यक है।

- क्या विकास प्रशासन का समकालीन प्रतिमान (सशक्तिकरण प्रतिमान - Empowerment Approach) (UPSC-2004) - सतत्ता के ामान्य सिद्धांत General Theory of Sustainability से अभिप्रेरित हैं जैसा कि R. Flint & M. Danner अपनी कृति "The Nexus of Sustainability & Social Equity (2001)" में दर्शाते हैं तथा जिसका प्रतिबिंबन UNDP के Millennium Project (2002) तथा Millennium Development Goals (MDGs) में भी होता है। सशक्तिकरण की विमाऐं - आर्थिक सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक सहभागिता व उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक जीविता (Cultural vitality), संस्थागत प्रभावशीलता, समेकित प्रयास व अनुकूलित प्रबंधन (Adaptive Managment)

  (60 अंक के प्रश्न में इन विमाओं का संक्षिप्त विश्लेशण आवश्यक होगा)

  सटीक विश्लेषण के लिए लोक प्रशासन में संकल्पनाओं को अर्न्तसम्बन्धित करके समझना आवश्यक है।

GALAXY Flat No. 203, Jaina House, IInd Floor, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

By S.N. Uniyal 9818906330 Foundation Course for beginers 15th June 2005 onward.

दक्षिण एशिया में सुनामी

वर्ष / तारीख	स्थान
1524	दाभोल के निकट, महाराष्ट्र
02 अप्रैल, 1762	अराकान तट, म्यांमार
16 जून, 1819	कच्छ का रण, गुजरात
31 अक्टूबर, 1847	ग्रेट निकोबार द्वीप
31 दिसंबर,1881	कार निकोबार द्वीप
26 अगस्त, 1883	क्राकातोआ ज्वालामुखी विस्फोट
28 नवंबर, 1845	मकरान तट, बलूचिस्तान

स्रोत : एमेच्योर सीस्मिक सेंटर

के वर्गमूल (9.8 मी / वर्ग) के बराबर होती है। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर में जहां आमतौर पर समुद्र की गहराई 4000 मीटर है, सुनामी की रफ्तार लगभग 200 मीटर / सेकेंड (720 किलोमीटर / प्रतिघंटा या 442 मील प्रतिघंटा) होगी और इसकी ऊर्जा का क्षय नहीं होगा लेकिन जहां गहराई 40 मीटर है वहां रफ्तार 20 मीटर / सेकेंड या 72 किलोमीटर / प्रतिघंटा होगी जो गहरे समुद्र के मुकाबले काफी कम है। सामान्यतः समुद्रतलीय भूकंप से 3 से 5 तक विशाल लहरें पैदा होती हैं। इनमें से दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी होती है। आमतौर पर प्रभावित तटवर्ती क्षेत्र काफी सुरक्षित होते हैं। सुनामी अपने उद्गम से बाहर की तरफ चलती हैं और लहरें किसी एक दिशा में अन्य दिशाओं के मुकाबले अधिक प्रचंड हो सकती हैं।

प्रशांत महासागर की तरह हिंद महासागर में सुसंगठित सतर्ककारी सेवा उपलब्ध नहीं है। इसका आंशिक कारण यह है कि 1883 के क्राकातोआ विस्फोट के बाद यहां सुनामी की कोई बड़ी घटना प्रकाश में नहीं आई।

लिस्बन के बड़े भूकंप (1 नवंबर, 1755) के बाद कुछ ही मिनटों में प्रचंड सुनामी लहरें उठीं और हजारों लोग मारे गए थे। भूकंप, सुनामी और बाद में लगी आग से लिस्बन नगर की एक तिहाई से ज्यादा आबादी मारी गई और इनसे वास्कोडिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के खोजी यात्रा वृत्तांतों के अनेक दस्तावेज भी नष्ट हो गए। अनेक इमारतें, पुस्तकालय और कलाकृतियों के खजाने बर्बाद हो गए। इस घटना से पुर्तगाल साम्राज्य की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं को भी जबर्दस्त धक्का लगा। उस युग के अनेक दार्शनिकों – खासतौर से वोल्टेयर ने इस घटना के बारे में विवरण लिखे। कहा जाता है कि इमैनुअल कांट ने अपनी रचना 'आब्जर्वेशन्स' में सौंदर्य और परिमार्जन पर जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उस परिमार्जन बोध की दार्शनिक अवधारणा की प्रेरणा उसे लिस्बन के भूकंप और उसके बाद की सुनामी लहरों की प्रचंडता को समझने के प्रयासों से मिली थी।

26 अगस्त, 1883 को क्राकातोआ द्वीप का ज्वालामुखी फूट पड़ा जिससे भूगर्भ में मौजूद सारा लावा बाहर आ गया। यह विस्फोट इतना जोरदार था कि इसके कारण वहां की धरती और समुद्र एक हो गए। जबर्दस्त सुनामी लहरें उठीं जिनकी ऊंचाई 40 मीटर तक थी। ये लहरें इंग्लिश चैनल तक पहुंचीं। समुद्र का पानी दूसरी ओर के सुमात्रा और जावा के तट के कई मील अंदर तक घुस गया और जिस स्थान से इस बाढ़ का पानी वापस नहीं गया वह अब उजुंग कुलोन के प्राकृतिक वन के नाम से मशहूर है।

दुनिया का अब तक का सबसे भयंकर माना जाने वाला भूकंप जिसका विवरण उपलब्ध है, 22 मई 1960 को चिली में आया। दक्षिण मध्य चिली के पास समुद्र में आए इस भूकंप के कारण उठी सुनामी से बीसवीं सदी की सबसे भीषण त्रासदी हुई थी।

प्राकृतिक आपदाओं की जननी है भूकंप और भूकंप तब से आते रहे हैं जब से पृथ्वी की सतह अस्तित्व में आई। अब तक के कुल के 70 प्रतिशत भूकंप एशिया प्रशांत क्षेत्र में आए हैं और इनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 या अधिक रही है। औसतन हर साल 15 भूकंप आते रहे हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश देश प्रशांत महासागर या हिंद महासागर के भूकंपीय क्षेत्र में स्थित हैं। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार भारत के 50–60 प्रतिशत भूभाग को भूकंपीय हलचल का खतरा है। हिमालयी क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे ही इलाके हैं। चीन का 80 प्रतिशत भूभाग, 60 प्रतिशत इसके बड़े शहर और 70 प्रतिशत शहरी इलाके जिनमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं, भूकंपीय क्षेत्र में स्थित हैं। 28 जुलाई, 1976 को चीन का तंगशान भूकंप हाल के वर्षों का भीषणतम भूकंप था। इसमें 3,00,000 लोग मारे गए थे। जापान प्रशांत तट पर स्थित है जो भूकंपीय क्षेत्र है। वहां हर 10 वर्षों में रिक्टर पैमाने पर 8 या अधिक की तीव्रता वाला एक भूकंप हर साल आता है। दो अतिशय सक्रिय निर्माणात्मक प्लेटों पर स्थित फिलीपीन्स में औसतन पांच भूकंप रोज आते हैं। न्यूजीलैंड में हर साल लगभग 200 स्पष्ट भूकंप आते हैं जिनमें से कम से कम एक की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 से ज्यादा होती है।

प्रशांत तट सक्रिय ज्वालामुखियों से भी प्रभावित है। जिन देशों में ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा है वे हैं – फिलीपीन्स, इंडोनेशिया, जापान, पापुआ न्यूगिनी, न्यूजीलैंड, सोलोमन द्वीप, टोंगा और वनुआतू। सबसे अधिक प्रभावित देशों में इंडोनेशिया में 129, जापान में 77 और फिलीपीन्स में 21 सक्रिय ज्वालामुखी हैं।

एशिया–प्रशांत क्षेत्र में पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और प्राकृतिक आपदाएं सीधे तौर पर इनसे जुड़ी हैं। जिन देशों को प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है उनमें पर्यावरणीय अपक्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। आपदाओं से खतरे और गरीबी का भी सीधा संबंध है। कुछ अनुमानों के अनुसार कम आमदनी वाले देशों में हर प्राकृतिक आपदा में लगभग 3000 लोग मरते हैं जबकि मध्य और उच्च आय वाले देशों में एक आपदा में मरने वालों की संख्या 400 से कम होती है। मुख्यतः इसका कारण इन देशों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधा का न होना है। जापान के लोग क्षेत्र के अन्य देशों के मुकाबले कम प्रभावित होते हैं क्योंकि वहां भवन निर्माण संहिता, क्षेत्रीय विनियमन आदि सख्ती से लागू किए गए हैं, भूकंप आपदा प्रशिक्षण की व्यवस्था है और संचार व्यवस्था सुदृढ़ है।

जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण भी आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि आपदा–बहुल क्षेत्रों में बस्तियां बढ़ रही हैं और इस कारण मानव जीवन को खतरा बढ़ जाता है। अनुमान है कि कुछ देशों में हर साल बाढ़ के कारण इस समय जितनी तबाही हो रही है वह 1950 के दशक के मुकाबले 40 गुना अधिक है।

अब इस क्षेत्र में व्यापक आपदा प्रबंधन तंत्र, आपदा निवारण और बचाव का महत्व अधिक महसूस किया जा रहा है। क्षेत्र के देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए

अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रभावी संस्थान, योजनाएं और कार्यक्रम तथा कानून बनाए हैं।

भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा पर मत्रिमंडलीय समिति गठित की है।

जापान ने अपने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च–स्तरीय समिति गठित की है जो प्राकृतिक आपदा संबंधी गतिविधियों पर नजर रखेगी। पिछले वर्षों में जापान ने प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम करने के उद्देश्य से संगठनों का बहुत कुशल तंत्र विकसित कर लिया है।

बांग्लादेश में राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक प्राकृतिक आपदा निवारण परिषद बनाई गई है। यह प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना, प्रबंधन और आपदाओं के बाद के राहत और पुनर्वास कार्यों से संबंधित सरकार के कार्यों, योजनाओं और गतिविधियों में तालमेल करेगी।

श्रीलंका ने बाढ़, समुद्री तूफान, भू–स्खलन और भूमि कटाव की समस्याओं से निपटने के लिए मत्रिमंडल की एक उप समिति बनाई है।

म्यांमार में समाज कल्याण मंत्रालय का राहत और पुनर्वास विभाग अन्य सरकारी विभागों के साथ प्राकृतिक आपदा निवारण और उससे निपटने की तैयारी संबंधी गतिविधियों में हाथ बंटाकर उनमें समन्वय लाएगा।

इंडोनेशिया में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा तैयारी और राहत समन्वय बोर्ड गठित किया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य में प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति बनाई गई है।

पापुआ न्यू गिनी में राष्ट्रीय आपदा एवं आपात सेवा विभाग आपदा प्रबंधन गतिविधियों में समन्वय का काम करता है।

फिलीपीन्स में कई मंत्रालयों और गैर– सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व वाली राष्ट्रीय आपदा समन्वय परिषद कायम की गई है जो आपातस्थिति के लिए तैयारी, राहत एवं पुनर्वास कार्यों के संचालन के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश तय करती है।

इस क्षेत्र में जलवायु और पानी आधारित आपदाओं की पूर्व सूचना, चेतावनी, तथा खतरे का अनुमान लगाने जैसे क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है। भारत में देश के पूर्वी और पश्चिमी तटीय इलाकों में तूफान की पूर्व सूचना देने वाले उच्च शक्ति के दस राडार केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपदा संभावित क्षेत्रों में पूर्व सूचना एवं चेतावनी की व्यवस्था पर चालू पंचवर्षीय योजना में बहुत जोर दिया गया है। चीन जनवादी गणराज्य ने उड्डयन, दूर–संवेदी उपग्रह और भूमि आधारित संवेदी टेक्नोलाजी के जरिए प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने के हाल में वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

हर तरह के निवारण तंत्र जुटाए जाने के बावजूद प्रकृति का पूर्वानुमान लगा पाना कठिन काम है। हम मानव प्रकृति पर हर प्रकार का दुराचार करते रहते हैं। हम उसके प्रति कोई दुराचार न करें। प्रकृति को जननी और अपने आप को उसकी संतान मानें। हम हर हाल में उसका ध्यान रखें और हर प्रकार की प्रगति करें लेकिन हर कदम पर उसका ख्याल रखें। प्रगति या औद्योगीकरण की धुन में अगर हमने उसका सम्मान न किया तो यह संपूर्ण मानवता के प्रति अहितकर सिद्ध होगा। ❑

भारतीय अर्थव्यवस्था

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर
इतनी अद्यतन जानकारी
इतने कम मूल्य पर
अन्यत्र दुर्लभ है

Book Code : 851
Pages : 254
Price : Rs. 100/-

प्रमुख आकर्षण

• सितम्बर 2004 में जनगणना आयोग द्वारा भारत की जनगणना से सम्बन्धित प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों का समावेश • आर्थिक सर्वेक्षण 2003-2004 • भारत 2004 • केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004 • विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2004 • अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004 • विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • अंकटाड (UNCTAD) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2004 • मानव विकास रिपोर्ट 2004 • World Economic Outlook, Sept. 2004 • Global Development Finance 2004 • Statesman's Year Book 2004 • दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 • 545 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्नों सहित

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

Aligarh 3153072; Kanpur 2321191; 2321353; Varanasi 2354582; Lucknow 2270019; Allahabad 2461291; Bareilly 2554451; Gorakhpur 2344862; Meerut 2640540; Faizabad 260351; Jaunpur 260888; Jhansi 9839281738; Atarra 211056; Gaziabad 2748051; Moradabad 2313372; Azamgarh 220582; Muzaffarnagar 442739; Rishikesh 436532; Dehradun 2658555; Haridwar 428450; Gwalior 2325179; Bhopal 2543480; Indore 2451933, 2454372; Jabalpur 2655306; Sagar 23109; Satna 34760; Rewa 251753; Raipur 2227343; Bilaspur 505781; Bharatpur 20650; Jaipur 2327405, 2564452; Alwar 2701545; Swaimadhopur 22270; Kota 2323377; Ajmer 2620122; Udaipur 2421577, 2421375; Jodhpur 2626797; Dungarpur 230022; Rohtak 253217; Delhi 23918332; Patna 226540; Bhagalpur 24244830; Gaya 21147; Ranchi 301387; Bokaro 46001; Jamshedpur 2423508; Nagpur 2526191; Ahmedabad 25355755

PUBLIC ADMINISTRATION

जानिए ?

क्यों है आपके लिए लो० प्र० कठिन? (अपवादों को छोड़कर)
क्यों है अवधारणात्मक स्पष्टता (Conceptual Clearitry)
आपके लिए महत्वपूर्ण

Theories & Thinkers पर अच्छी पकड़ लोक प्रशासन में सफलता का मूल मंत्र है।

- आपने पूरा लो० प्र० पढ़ा है लेकिन लो० प्र० क्या है- एक संरचना (Structure) या एक कौशल (Craft) अथवा एक संस्था (Institution) आप नहीं समझ पाते क्योंकि आप संरचना व संस्था में अन्तर नहीं कर पाते।
- आपने हेनरीफेयोल पूरा पढ़ा है लेकिन फेयोन लो० प्र० का "प्रथम प्रकार्यवादी" (First Funtionalist) क्यों है आप नहीं समझ पाते कि क्योंकि आप प्रकार्य (जैविक अवधारणा) को नहीं समझ पाते।
- आपने FW टेलर पूरा पढ़ा है लेकिन वैज्ञानिक प्रबन्धन व टेलरवाद में क्या अन्तर है आप नहीं समझ पाते क्योंकि आप वै० प्र० का मूलाधार "अपेक्षित कार्य निष्पादन" (EWP- expected work performence) को नहीं समझ पाते।
- आपने बनार्ड को पूरा पढ़ा है लेकिन उसे सामाजिक व्यवस्था उपागम (Social system school) का आध्यात्मिक पिता क्यों कहते है आप नहीं समझपाते क्योंकि आप सामाजिक व्यवस्था उपागम की आधार भूत मान्यताएं नहीं जानते।
- आपने साइमन पूरा पढ़ा है लेकिन उसका दृष्टिकोण (Approach) तार्किक प्रत्यक्षवाद (logical positviom) क्यों है आप नहीं जानते क्योकि आप प्रत्यक्षवाद (Positivism) नही समझपाते (जो एक समाजशात्रीय अवधारणा है जिसे जेवियर अगस्त ने 1887 में दिया था) (UPSC-P.T. 2004)
- यदि आप प्रत्यक्षवाद नहीं जानते तो भले ही आपने पूरा पढ़ा हुआ हो कि नवलोकप्रशासन का साहित्य अप्रत्याक्षवादी (Anti-positivist) है लेकिन क्यों है, यह आप विश्लेषित नहीं कर पाते।
- यदि आप प्रत्यक्षवाद नहीं जानते तो व्यवहार वाद की मूलभूत कमी "गैर ऐतिहासिक प्रकृति" (anti-historical nature) को भी नही समझ पाते फलतः आप यह भी नही समझ पाते डेविड ईष्टन ने क्यों उत्तर व्यवहारवादी (post behavioural revolution) क्रांति शुरू की (UPSC PT .2004)।
- आपने मैक्स वेबर की नौकरशाही पूरी पढ़ी है लेकिन मैक्स वेबर नौकर शाही को सार्वभौमिक परिघटना (Uniiversal Phenomena) क्यों मानता है (आपका तर्क होगा कि यह सभी देशों में पायी जाती है। क्योंकि आप नौकरशाही तथा लो० प्र० में अन्तर नहीं करपाते तथा यही भी नहीं जानते क्यों नौकरशाही एक संरचना (Sturcture) है तथा लो० प्र० एक प्रकार्य (Function) (UPSC Mains-2001)।
- मैक्स वेबर नौकरशाही को एक सामाजिक संगठन क्यों मानता है आप नहीं समझपाते क्योकि आप मैक्स वेबर के उपागम सांगठनिक समाजशास्त्र (Organisational sociology) को नहीं समझते। UPSC MAINS 2005.
- आपने वेबरीय नौकरशाही में व्याप्त "प्रशिक्षित अक्षमता" (Trained incapacity) को पढ़ा है लेकिन क्यों प्रशिक्षित अक्षमता सामान्यज्ञ प्रधान प्रशासन का विशेष गुण क्यों है आप नही समझपाते क्योंकि आप संबधित अवधारणा "अवसर लागत" (Oportunity Cost) को नहीं जानते (Mains 2000)।
- आपने व्यवस्था उपागम पढ़ा है लेकिन यह आकस्मिकता (contigency theory) से किस प्रकार भिन्न है आप नही समझ पाते क्योकि आप स्थिर (Stable) वातारण और गतिशील (Dynamic) वातावरण में अन्तर नही समझ पाते।
- आपने लोक विकल्प परिप्रेक्ष्य (Public Choice Theory) पूरी पढ़ी है लेकिन (Institutional Pluralism) तथा प्राविधिक व्यक्तिवादिता (methdological Individualism) में क्या अर्न्त संबन्ध है क्योंकि आप अन्य संकल्पनाओं (Prisoner's dilemma, Volunteer's dilemma, Collective choice, Social Choice & Monopoly rents, Voters Paradox - by Leon Felkins- introduction PCT) आप नही समझपाते अतः आप यह भी नही समझ पाते कैसे लोक-विकल्प परिपेक्स अर्थिक लोकतंत्र (Economic Democracy) का पक्ष धर है। UPSC PRE 2001.
- आपने पूरा नवलोक प्रवन्धन (NPM) पढ़ा है लेकिन NPM क्यों दक्षता की खोज में एक भू-मण्डलीय आन्दोलन (lobal moment) है अथवा NPM क्यों कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की विफलता का उत्पाद है आप नही समझपाते फलतः आप उद्यमीशासन (Enterprenural gov.) बाजार आधारित शासन (Market based gov.) अथवा शासन की पुर्न खोज (Re-inventing govt) जैसे संकल्पनाओं में अन्तर नही समझ पाते।

By S.N. Uniyal ***Contact : 9818906330***

GALAXY Flat No. 203, Jaina House, IInd Floor, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Foundation Course for beginers 15th June 2005 onward.

खबरों में

• सुनामी

हिंद महासागर में 26 दिसंबर, 2004 को समुद्र तल में भूकंप आया जिससे सुनामी लहरें उठीं। इनसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और अन्य देशों में 15 मीटर तक ऊंची लहरें उठीं। यह अति शक्तिशाली भूकंप हिंद महासागर के उत्तरी सुमात्रा तट के पास उठा और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 थी। इसका केंद्र बिंदु 3.316 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 95.855 पूर्वी देशांतर पर औसत समुद्र तल से 30 किलोमीटर नीचे था।

• आपदा नियंत्रण संस्था

सुनामी जैसी आपदाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र शीघ्र ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगा। एक पूर्व सूचना व्यवस्था भी एहतियात के तौर पर कायम की जाएगी। इसके लिए संसद के बजट अधिवेशन के दौरान एक विधेयक लाया जाएगा। इस आशय का फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक सर्वदलीय बैठक में किया गया।

• पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हराव का 23–12–04 को निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। श्री नरसिम्हराव आर्थिक सुधारों के प्रणेता थे और वर्तमान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह उनके मंत्रिमंडल में तब वित्त मंत्री थे।

• दुहरी नागरिकता

भारतीय प्रवासियों की पुरानी मांग पूरी करते हुए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने ऐलान किया कि जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद देश छोड़कर गए उन्हें दुहरी नागरिकता दी जाएगी। मुंबई में 7 जनवरी से शुरू हुए तीसरे प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह घोषणा की।

इस सम्मेलन में शामिल भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कृषि क्षेत्र भी निर्माता और सेवा क्षेत्र की तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोलने से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सके तो भारत सही अर्थों में भूमंडलीकरण का केंद्र बिंदु बन सकता है।

समापन सत्र में राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पुरस्कार बांटे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम हैं – एम. अरुणाचलम (हांगकांग, व्यापार), यूसुफअली (सं. अ. अमीरात, व्यापार), अमीना काचलिया (दक्षिण अफ्रीका, सार्वजनिक मामले), सर (डा.) जे.के. चंदे (तंजानिया, सार्वजनिक मामले), अहमद कथराडा (दक्षिण अफ्रीका, सार्वजनिक मामले), बासदेव पांडे (त्रिनीडाड एवं टोबेगो, सार्वजनिक मामले), आलोकरंजन दासगुप्त (जर्मनी, साहित्य), विक्रम सेठ (ब्रिटेन, साहित्य), सुनील खिलनानी (सं.रा. अमेरिका, राजनीति विज्ञान) लार्ड भीखू छोटालाल पारेख (ब्रिटेन, विज्ञान), जगदीश भगवती (सं. रा. अमेरिका, अर्थशास्त्र), सैम पित्रोदा (सं.रा. अमेरिका, टेक्नोलॉजी), मनोज नाइट श्यामलन (सं. रा. अमेरिका, सिनेमा), विजय सिंह (फीजी, खेलकूद), संत सिंह विरमानी (फिलीपीन्स, कृषि विज्ञान)।

दुहरी नागरिकता क्या है?

2 दिसंबर, 2003 को संसद ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 पारित किया। इसके अनुसार जो लोग 26 जनवरी, 1950 को भारतीय नागरिक होने के पात्र थे, वे अब दुहरी नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस नियम को लागू करने के लिए अधिसूचना मार्च 2004 में जारी की गई।

दुहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारत में अनिश्चित काल तक रह सकते हैं। इसके विपरीत भारत मूल के कार्डधारी व्यक्तियों को एक बार छह महीने तक रहने की अनुमति है। दुहरी नागरिकता वाले नागरिकों को मताधिकार नहीं होगा। न ही वे सार्वजनिक पदों के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। संशोधित कानून के अनुसार जो भारतवंशी आस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इजरायल, इटली, हालैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, साइप्रस, स्वीडन, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के नागरिक हैं, वे दुहरी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की घोषणा के अनुसार वे सभी भारतवंशी दुहरी नागरिकता पाने के पात्र हैं जो 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत से गए। इससे एक बड़ी विसंगति दूर हो गई जो सिर्फ प्रमुख विकसित पश्चिमी देशों के भारतवंशियों को दुहरी नागरिकता देती थी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम में अब फिर संशोधन की जरूरत है क्योंकि पहले की सूची में सिर्फ 16 देश थे।

दुहरी नागरिकता वाले लोगों पर लागू कर कानून उसी तरह के हैं जो अनिवासी भारतीयों पर लागू होते हैं। भारत ने अन्य देशों के साथ दुहरे कर से बचने के जो समझौते किए हुए हैं वे उन पर लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी समय पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी ऐसे देश का नागरिक रहा है – जिसे केंद्र भविष्य में अधिसूचित करेगा, दुहरी नागीरकता का हकदार नहीं होगा।

दुहरी नागरिकता के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके फार्म भरकर संबद्ध भारतीय कलेक्टर या वाणिज्य दूतावास में जमा किए जा सकते हैं। वह विदेश के चुनिंदा भारतीय दूतावासों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। अभी पंजीकरण की रफ्तार धीमी है। विदेश मंत्रालय की सूचना से ऐसा मालूम हुआ है। दुहरी नागरिकता प्राप्त करने पर मात्र 275 अमेरिकी डालर की लागत आती है।

- केंद्र ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसका उद्देश्य पेटेंट कानून को विश्व व्यापार संगठन के तहत किए गए समझौतों के अनुरूप बनाना है। अभी तक भारत में प्रक्रियाओं के पेटेंट हैं लेकिन उत्पादों के नहीं। विश्व व्यापार संगठन से किए गए वादों के अनुसार इन्हें 1 जनवरी 2005 से लागू किया जाना है। पेटेंट कानून में संशोधन का उद्देश्य यह भी है कि नई औषधि कंपनियों को पुरानी प्रकार की औषधियां बनाने से हटने को प्रोत्साहित किया जा सके।
- मुक्त आकाशनीति के तहत सरकार ने प्राइवेट भारतीय कंपनियों को खाड़ी देशों को छोड़कर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। खाड़ी देशों के लिए प्रतिबंध सिर्फ तीन वर्षों के लिए है। मंत्रिमंडल ने सूचीबद्ध विमान कंपनियों को इस शर्त पर यह मंजूरी दी है कि यह अनुमति भारत में विमान सेवा का लगातार पांच वर्ष का अनुभव रखने वाली उन कंपनियों को दी जाएगी जिनके पास कम से कम बीस विमानों का बेड़ा हो। इन व्यवस्थाओं को देखते हुए इस समय सिर्फ दो विमान कंपनियां – जेट एयरवेज और एयर सहारा ही मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर सेवाएं दे पाएंगी। अभी वे श्रीलंका और नेपाल को विमान सेवाएं दे रही हैं।
- केंद्र ने चीनी की कीमतें नियंत्रित करने के लिए तीन उपायों की घोषणा की है। इनमें जनवरी–मार्च तिमाही के लिए मुक्त बिक्री चीनी कोटा के लिए 4 लाख टन अतिरिक्त चीनी जारी करना, हर महीने के आखिर में गैर–बिकी मुक्त बिक्री कोटे की चीनी को लेवी चीनी में अपने आप परिवर्तित कर देना और आयातित कच्ची चीनी को पुनर्निर्यात करने के लिए वर्तमान 24 महीने की समय सीमा को बढ़ाकर 36 महीने कर देना शामिल है।

खाद्य मंत्री शरद पवार ने आशा प्रकट की है कि इन उपायों से सट्टेबाजी के कारण होने वाली चीनी की मूल्य वृद्धि रोकी जा सकेगी। श्री पवार ने कहा कि अगर ये उपाय भी मूल्यवृद्धि रोकने में कामयाब न हुए तो सरकार तैयार चीनी का आयात करने या एडवांस लाइसेंस स्कीम के तहत आयातित कच्ची चीनी के पुनर्निर्यात की बाध्यता उठा लेने से नहीं हिचकिचाएगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कीमतों पर काबू पा लिया जाएगा और तैयार चीनी आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

● भारत ने इंडिया ● इन सेवा शुरू की

भारत ने वेब दुनिया में अपनी राष्ट्रीय पहचान बना ली है। 6 जनवरी 2005 को सरकार ने ● इन डोमेन भारतीय पहचान के लिए तय कर दी। इससे भारत का इंटरनेट ट्रैफिक भारत में ही रखने में काफी मदद मिलेगी। इससे भारत के लोग अब डाटकाम पंजीकरण कराने के बजाय डाटइन का डोमेन चुन सकेंगे।

डाट इन डोमेन क्या है?

वेब दुनिया में यह है राष्ट्रीय पहचान।

यह अब पहले से अलग कैसे है?

कंपनियां/हस्तियां अब सर्वर पर अपना वेबसाइट डाट इन उपसर्ग के साथ रखेंगी। सर्वर भारत में रहेंगे।

इससे भारत को क्या मिलेगा?

इंटरनेट ट्राफिक भारत के अंदर रहेगा।

● सूचना टेक्नोलाजी अधिनियम पर समिति

सूचना टेक्नोलाजी अधिनियम 2000 से संबद्ध मुद्दों पर विचार के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। इसे सूचना टेक्नोलाजी विभाग के अंतर्गत गठित किया गया है। यह समिति साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक वाणिज्य, ई–गवर्नेंस और सूचना टेक्नोलाजी अधिनियम 2000 से संबद्ध अन्य मुद्दों पर विचार करेगी।

● प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक

प्रधानमंत्री की नवगठित आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने अपनी पहली बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति की प्रारंभिक समीक्षा की। परिषद के अध्यक्ष, श्री सी. रंगराजन के अनुसार इस बैठक में व्यापक मुद्दों पर विचार किया गया। इनमें मूल्य स्थिति, करारोपण, रोजगार गारंटी योजना और विदेश क्षेत्र के घटनाक्रम शामिल हैं।

इस आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन सभी आर्थिक घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने, रुझानों पर नजर रखने और नीति प्रत्युत्तर सुझाने के लिए किया गया है।

● एड्स पर राष्ट्रीय परिषद का गठन

प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने एच.आई.वी./एड्स को फैलने से रोकने में मीडिया के इस्तेमाल की जरूरत बताई है और कहा है कि जब तक इसे रोकने का कोई टीका नहीं खोज लिया जाता, तब तक इसे रोकने का एकमात्र सामाजिक टीका है शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना।

एच.आई.वी./एड्स पर नई दिल्ली में आयोजित एक मीडिया शीर्ष बैठक में डा. सिंह ने एड्स पर एक राष्ट्रीय परिषद गठित किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद में 6 मुख्यमंत्री और कई मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे जो इसके बारे में नीति निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री के अनुसार एच. आई.वी./एड्स अब एक सामाजिक मुद्दा ही नहीं बल्कि एक आर्थिक–सामाजिक और विकास का सरोकार भी बन गया है। इस बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री ए. रामदास और टी.वी. और मुद्रित प्रचार के मीडिया प्रमुख भी मौजूद थे।

● भारत ने ईरान के साथ एल.एन.जी. आयात समझौते पर हस्ताक्षर किए

हाइड्रो–कार्बन क्षेत्र में एक बड़े कदम के रूप में भारत ने ईरान से 75 लाख टन तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) आयात करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 25 वर्षों के लिए किया गया यह समझौता 2009 से शुरू होगा। यह समझौता गैस आथरिटी आफ इंडिया और इंडियन आयल कारपोरेशन ने नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कारपोरेशन के साथ किया है।

● विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर, माइकेल कार्टर ने कहा है कि भारत को अपना राजकोषीय घाटा अवश्य कम करना चाहिए क्योंकि इसी के कारण ब्याज दरें बढ़ीं, निजी निवेश कम हुआ और वित्तीय क्षेत्र कुशलता नही बढ़ा पाया। नई दिल्ली में दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों पर एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अधिक वित्तीय कुशलता के लिए राजकोषीय घाटे में क्रमशः कटौती जरूरी है।

● दादा साहब फाल्के पुरस्कार

जाने–माने फिल्म निर्माता मृणाल सेन को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2003 का प्रतिष्ठित दादासाहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा।

श्री सेन ने 1969 में 'भुवन शोम' फिल्म के निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि पाई। उनकी फिल्म 'खारिज' को कान, वेनिस, बर्लिन और कार्लोवी वेरी समारोहों में जूरी पुरस्कार प्राप्त हुए थे।

● योजना आयोग ने सिक्किम के लिए 2005–06

● फोन दरें घटेंगी

लंबी दूरी के टेलीफोन की दरें 1 फरवरी से कम होंगी। दूरसंचार नियामक संस्था (ट्राई) ने ऐक्सेस डेफिसिट चार्जेज़ में कटौती का ऐलान किया है। नई दरों के अनुसार इंटर–सर्किल कालों पर ये चार्जेज़ 30 पैसे कर दी गई हैं। ये लंबी दूरी की घरेलू कालों पर लागू होंगी। अभी तक 200 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली कालों पर यह शुल्क 80 पैसे था। 50 से 200 किलोमीटर की दूरी की इनर–सर्किल कालों पर ऐक्सेस डेफिसिट चार्जेज़ (एडीसी) 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे कर दिया गया है। 50 किलोमीटर तक की दूरी वाली लोकल और इंटर–सर्कल कालों पर देय एडीसी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय कालों पर यह शुल्क घटा कर जाने वाली काल पर 2.50 रुपये होगा। अभी तक इसके लिए 4.25 रुपये देना पड़ता था। आने वाली काल पर यह दर 3.25 रुपये होगी।

ट्राई का नए वर्ष का तोहफा

	रु./मिनट	वर्तमान दर	नई दर
अंतर्राष्ट्रीय कालें –	जाने वाली	4.25	2.50
	आने वाली	4.25	3.25
घरेलू लंबी दूरी	50 किमी. तक	0.30	030
	50–200 किमी. के बीच	0.50	0.30
	200 किमी. से ज्यादा	0.80	0.30

हम ट्राफिक पर नजर रखेंगे। ट्राफिक बढ़ा तो एडीसी और घटाएंगे।	1 फरवरी से हम सारा लाभ उपभोक्ताओं को देंगे।	जब तक ए डी सी की राशि बरकरार रहती है, हम संतुष्ट हैं।
– प्रदीप बैजल अध्यक्ष, ट्राई	– सुनील मित्तल प्र.नि. भारती समूह	– ए.के. सिन्हा अध्यक्ष, बीएसएनएल

की वार्षिक योजना के लिए 500 करोड़ रुपये तय किए हैं। आयोग ने केरल के लिए 5,369 करोड़ रुपये और राजस्थान के लिए 8,350 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

● बोत्सवाना के पूर्व राष्ट्रपति को गांधी शांति पुरस्कार

बोत्सवाना के पूर्व राष्ट्रपति सर केत्युनाइल मेसायर को अफ्रीका महाद्वीप में शांति और सद्भाव बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

● भारत ने पत्रकारों को प्रशिक्षित करने की पेशकश की

भारत ने सार्क देशों के पत्रकारों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया है। इस्लामाबाद में सार्क देशों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सूचना और प्रसारण सचिव, श्री नवीन चावला मीडिया संबद्ध क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षण सुविधाएं देने पर सहमत हुए। भारत ने इन छात्रों को टेलीविजन और फिल्म निर्माण में फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, पुणे और सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया।

● आगामी उद्यमों के लिए प्रेस नोट 18 रद्द

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने भारत और विदेशी भागीदारों के बीच के भारी उद्यमों के लिए प्रेस नोट 18 रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने यह ऐलान 12 जनवरी को कोलकाता में सी आई आई भागीदारी शीर्ष बैठक में किया। डा. सिंह ने कहा कि प्रेस नोट 18 एक नियामक व्यवस्था है और इससे निवेशकों को परेशानी होती है।

प्रेस नोट 18 कुछ वर्ष पहले 1998 में जारी किया गया था। इसके जरिए भारत में संयुक्त रूप से शुरू करने वाली विदेशी कंपनियों को उसी या मिलते–जुलते क्षेत्र में संयुक्त उद्यम प्रारंभ करने से पहले सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया था। विदेशी निवेशक इसे प्रतिबंधात्मक कदम मानते थे। उनका कहना था कि मौजूदा उद्यम की स्थिति कुछ भी हो, वे अपने वर्तमान भारतीय भागीदारों से बंधे हैं और खुद अपने आप या नए भागीदारों के साथ नया काम नहीं शुरू कर पाते। लेकिन भारतीय उद्योग का एक वर्ग चाहता था कि प्रेस नोट 18 के अंतर्गत संरक्षण जारी रहे क्योंकि कुछ विदेशी भागीदार उद्यम छोड़कर उनके विरोधी लोगों से मिल जाते हैं या फिर स्वतंत्र उद्यम शुरू कर देते हैं।

प्रेस नोट 18 से बाहर रखे गए वर्ग

- मौजूदा संयुक्त उद्यम
- बीमार अथवा बंद हो चुके संयुक्त उद्यम
- वे संयुक्त उद्यम जिनमें भागीदारी का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है
- पंजीकृत वी.सी. फंड

ये भी :

- केवल कुछ क्षेत्रों पर लागू है और समान अथवा संबद्ध क्षेत्रों पर नहीं
- यह साबित करना विदेशी और घरेलू दोनों भागीदारों की जिम्मेदारी है कि नया उद्यम मौजूदा उद्यम को प्रभावित करेगा अथवा नहीं करेगा।

सरकार ने प्रेस नोट 18 को रद्द करने के लिए प्रेस नोट 1 जारी कर दिया है। प्रेस नोट 1 के तहत विदेशी फर्मों को किसी संबद्ध क्षेत्र में उद्यम शुरू करने से पहले भारतीय भागीदारों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, अगर उसी क्षेत्र में भारतीय उद्यम शुरू करेंगे तो उन्हें अनुमति लेनी होगी। फैसला करना विदेशी और भारतीय फर्म दोनों फर्मों की बराबर जिम्मेदारी होगी।

(प्रेस नोट 18 के विवरण के लिए 'योजना' का दिसंबर 2004 अंक देखें)

● राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

सी आई आई शीर्ष बैठक को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि इस पंचमुखी ज्ञान आयोग का स्वरूप पांच कार्यक्षेत्रों द्वारा तय किया जाएगा। इनमें सार्वजनिक लाभ के लिए सबको ज्ञान सुलभ कराना, उच्च शिक्षा की अवधारणा का विकास विज्ञान और टेक्नोलाजी संस्थाओं का कामयाब करना उद्योगों द्वारा निर्माता प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर ज्ञान को व्यवहार में लाना और नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा ज्ञान आधारित सेवाओं के गहन प्रयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।

● इन्फोसिस के तीसरी तिमाही परिणाम : शुद्ध लाभ में 51 प्रतिशत वृद्धि

इन्फोसिस टेक्नोलाजी की तीसरी तिमाही भी उल्लेखनीय परिणामों के साथ समाप्त हुई। हर क्षेत्र में कामकाज उत्कृष्ट रहा। तीसरी तिमाही की आय 49 प्रतिशत बढ़कर 1875.61 करोड़ रुपये रही। पिछले साल की इसी अवधि में यह 1257.01 करोड़ रुपये थी।

परिणामों की घोषणा करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा इन्फोसिस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नंदन नीलेकणी ने कहा कि कर बाद लाभ 51 प्रतिशत बढ़ा और यह 497.34 करोड़ रुपये हो गया। सामान्य गतिविधियों से प्रतिशेयर आय इससे पहले साल की इसी अवधि के 12.37 रुपये के मुकाबले 18.50 रुपये हो गई। कंपनी ने तिमाही के दौरान 38 नए ग्राहक जोड़े जिसके साथ दुनिया भर में उसके ग्राहकों की संख्या 434 हो गई। ❑

सानिया ने तीसरे दौर में पहुंच इतिहास रचा

भारतीय टेनिस के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ अंकित कर सानिया मिर्जा ने आस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। इसी के साथ वह किसी ग्रैंड स्लैम में यह उपलब्धि दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस स्टान बन गई हैं। टूर्नामेंट में 84वीं वरीयता प्राप्त हंगरी की पेट्रा मंडूला को 6–2, 6–1 से रौंदने के बाद उनकी भिड़ंत विश्व की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी सेरेना विलियम्स से हुई। वास्तव में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय महिला ने इस मुकाम तक पहुंचने का गौरव हासिल किया है। इससे पहले 1998 में अमेरिकी ओपन में लिएंडर पेस ने यहां तक का सफर तय किया था। अभी तक इससे पहले भारत के लिहाज से इस ग्रैंड स्लैम में सबसे बड़ी उपलब्धि 1998 में रही जब निरुपमा वैद्यनाथन ने 1998 में दूसरे दौर में प्रवेश किया। सानिया का विश्व वरीयता में 166वां स्थान है, लेकिन वह 84वें नंबर की अपनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जरा भी नहीं घबराईं और मैच 6–2, 6–1 से आसानी से जीतने में कामयाब रहीं।

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास
रजनीश राज

पिछले वर्ष हमारे यहाँ से 15 छात्रों ने 325 से 360 के बीच अंक प्राप्त किए।

P.T.

तथ्यों के अम्बार से नहीं, तकनीकी स्तर पर तैयारी। कैसे?

- प्रति अध्याय प्रश्न पूछने की प्रवृति का विश्लेषण और टेस्ट।
- प्रत्येक 3 टॉपिक पर एक टेस्ट।
- प्राचीन/मध्यकालीन और आधुनिक भारत पर पृथक टेस्ट।
- स्रोत/प्रशासन/समाज/अर्थव्यवस्था/धर्म/संस्कृति प्रत्येक पर पृथक टेस्ट।
- कक्षा समाप्त होने पर पूरे पाठ्यक्रम पर टेस्ट
- प्रत्येक अध्याय का विशद विश्लेषण।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर पुनरावलोकन।

मेन्स

हम आपको प्रशासक बनाते हैं, इतिहासकार नहीं। कैसे?

- इतिहास के साथ ही इतिहास दर्शन का विश्लेषण।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सहित प्रति अध्याय 10 प्रश्नों के उत्तर की संरचनागत व्याख्या।
- मॉडल उत्तर लिखवाना।
- सावधिक और आकस्मिक टेस्ट।
- पुनरावलोकन के लिए पृथक कक्षा

सामग्री :- मेन्स और P.T. दोनों के लिए उच्चस्तरीय एवं परीक्षोपयोगी सामग्री।

- पढ़ाई व लेखन सम्बन्धी रणनीति पुस्तिका।
- प्रश्न पत्र संकलन।

नामांकन प्रारम्भ

SIHANTA IAS

632, Mukherjee Nagar, Delhi-9
(Near Aggarwal Sweets)

9873399588

माइक्रो उद्यम और एसएचजी – एक रूडा अनुभव

○ मेघा दुभाषी

रूडा अनुभव से ग्रामीण उद्यमों के विकेंद्रीकरण और प्रबंध प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बारीकियों का पता चलता है। इसने रोजगार के, विशेषकर गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के रास्ते खोले हैं।

राजस्थान शिल्प का इतिहास एक शताब्दी पुराना है और इन वर्षों में इसका क्रमिक विकास हुआ है। टेराकोटा, नीली चीनी मिट्टी कला, चमड़े की मोजरी, नमदे, दरियां, जेवरात, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, पत्थर, बलुआ पत्थर और पेंटिंग्स जैसे ये शिल्प, आरंभ में राजस्थान के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के मूल अंग थे। उनके मकानों, उनके कपड़ों और उनकी जूतियों यानी लगभग हर वस्तु पर शिल्पों की झलक देखने को मिलती थी। लेकिन पुराने जमाने की यह पारंपरिक कारीगरी आज दम तोड़ रही है, क्योंकि इनकी यूनिटों पर ताले पड़ गए हैं और कारीगरों को रोजी–रोटी की तलाश में शहरों में जाने पर मजबूर कर दिया गया है, जहां वे तंगहाली की जिंदगी जी रहे हैं, और फिर उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की देश की आर्थिक नीतियों ने इन कारीगरों के उत्पादों की बिक्री की समस्या पैदा कर दी है।

1995 में स्विस डेवलपमेंट कारपोरेशन, भारत सरकार और नाबार्ड ने मिलकर गैर–कृषि क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में एक अध्ययन किया था। यह अध्ययन 8 राज्यों में किया गया। परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार ने एक एनएफएस नीति बनाई और "राज्य में ग्रामीण माइक्रो उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष एजेंसी" के तौर पर रूडा (RUDA) की स्थापना की गई। यह देश में अपनी तरह की एक मात्र एजेंसी है।

कार्यादेश

- रूडा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
- इसका मूल उद्देश्य है :
  - (क) रोजगार के वैकल्पिक अवसर उत्पन्न करना
  - (ख) वृद्धिकारी आमदनी उपलब्ध कराना।
- पिछले 7 सालों में, रूडा एक नवीन, रचनात्मक और अत्यधिक पेशेवर एजेंसी के रूप में विकसित हुआ है।

शायद रूडा, अपनी तरह की ऐसी एकमात्र एजेंसी है जो उप–क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करती है। आरंभ में 3 उपक्षेत्र चुने गए थे – चमड़ा, ऊन और गौण–खनिज (पत्थर, सेरेलिक्स और मिट्टी के बर्तनों की कला)। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन नए उपक्षेत्र यानी हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग तथा हथकरघा और इसमें जोड़ दिए गए। रूडा, कलस्टर–आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी एक समन्वित रणनीति है और इसके सभी कार्यक्रम निर्माताओं की 'महसूस की जाने वाली' जरूरतों पर आधारित होते हैं।

रूडा माडल

रूडा के कार्यक्रम

रूडा के कार्यक्रमों के पैकेज में निम्न शामिल हैं :

- उप–क्षेत्रीय विश्लेषण
- दस्तकारों के क्लस्टरों की क्षमता का आकलन
- अवरोधों का पता लगाना
- दस्तकारों का संगठन
- कौशल प्रशिक्षण/उन्नयन
- प्रौद्योगिकी प्रसार
- उत्पाद विकास और डिजाइनों के रूप में मदद
- ऋण लेने में मदद
- विपणन में मदद

आपरेशन मोजरी

रूडा में कार्यक्रमों का जायजा लेने के लिए मैं जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर उदयपुरिया में मोजरी क्लस्टर समूहों को देखने गई। यह अनजाना–सा गांव बीकानेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर सीकर रोड पर पड़ता है। धूल–भरी सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए आपको रास्ते में अक्सर ऊंट गुजरते हुए दिख जाते हैं। जमीन खुष्क और बंजर है, जिसकी वजह से यह खेती के लायक नहीं है। 5000 की आबादी वाला यह गांव पारंपरिक रूप से चर्मकारों का गांव है। लेकिन आधुनिकीकरण और कारखाने में बने जूतों के कारण 'मोजरी' बनाने की पारंपरिक कला लुप्त होती जा रही थी।

क्रियान्वयन

1995 में यूएनडीपी ने राजस्थान की पारंपरिक जूतियों के काल की तकनीकों को उन्नत बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का विकास कार्यक्रम शुरू किया। पांच जिले इस कार्यक्रम के लिए चुने गए – नागौर, जयपुर, जोधपुर, पाली और जालौर।

पेशेवरों की रूडा टीम ने आगरा के केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्ष का एडवांस्ड डिप्लोमा पूरा कर लिया था। ये लोग इन टोलों में गए और कारीगरों से मिले। शुरू में तो बदलाव के प्रति भारी विरोध था।

गुणवत्ता सुधार

जूतों के वैज्ञानिक परीक्षण से पता चला कि तकनीकी दृष्टि से यह ठीक नहीं है। पहली बात तो यह कि माप लेने की कमियों की वजह से इनकी फिटिंग खराब थी। जूते का साइज आमतौर से उंगलियों से नापा जाता था। इसलिए साइज और फिटिंग को लेकर कोई मानकीकरण नहीं था। तब रूडा ने मानक ब्रिटिश प्रणाली की शुरुआत की।

दूसरे, फर्श लकड़ी का बना होता था, जो मौसम के प्रभाव से आकार बदलता रहता था। गर्मियों में लकड़ी फैल जाती और बरसात या ठंड में सिकुड़ जाया करती थी। रूडा ने 'पालीमर फर्मा' शुरू किया जो भार में हल्का और एकदम सही साइज का था तथा मौसम का जिस पर कोई असर नहीं पड़ता था। मैंने अगाड़ी, बीच वाला और पिछाड़ी वाला 'एक में तीन' फर्मा देखा। पीले रंग के इस फर्मे के हिस्से रस्सी में पिरोए रहते थे और बीच वाले हिस्से से एक कील गुजरती थी, जिससे संतुलन बना रहता था।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दाएं और बाएं पैरे के जूतों में कोई अंतर नहीं था। इसकी वजह से पहनने वाले को अक्सर दबाव महसूस होता था। नई मोजरी के बाएं–दाएं पैर के फर्मे, मानक साइज और फिटिंग से पांव को आराम रहता है।

पीछे वाले हिस्से की सिलाई हाथ से होती थी, जो बड़ी कष्टदायी होती थी। पहनने वाले को अधिक आराम देने के लिए सिलाई को बदला गया।

रूडा ने साटिन, वैल्वेट और पटसन जैसी विभिन्न बुनावटों में नए–नए डिजाइन बनाए। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मोजरी की मांग बढी। रूडा के फील्ड कोआर्डिनेटर, संजय मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बताया कि जापान में ये मोजरी बड़ी ही लोकप्रिय हैं। रूडा ने कशीदाकारी, छापे (पंच), एप्लीक और बुनाई में एक रंग–बिरंगा केटलाग बनाया है। इसे गांवों में दस्तकारों को बांटा गया।

रूडा ने इन मोजरियों को बड़े पैमाने पर मेलों, क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों के जरिए प्रोत्साहित किया। बेहतर मूल्य निर्धारण की बदौलत उनके विपणन विभाग ने दस्तकारों को अधिक मुनाफा कमाने में मदद की। पहले मोजरियों के एक जोड़ी के करीब 135–150 रुपये मिल जाया करते थे, लेकिन अब एक जोड़ी 400–500 रुपये में बिकती है, यानी कीमतों में 230 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।

सामुदायिक भागीदारी

शुरू में एस एच जी का गठन बड़ा कठिन था, लेकिन 10–10 सदस्यों के किसी तरह 45 समूह बनाए गए। मैंने ऐसे दो समूहों से उदयपुरिया में, बातचीत की। वे एक ही बड़े परिवार के सदस्य थे। पुरानी असेंबली लाइन के तौर पर हरेक व्यक्ति अलग–अलग काम कर रहा था। चमड़े/कागज पर नमूना काटना, लोअर और अपर सोल की छंटाई, नरमी और आराम के लिए बीच में फोम लगाना, सोल तथा अपर साइड की अटैचमेंट्स की सिलाई। इसके बाद मशीन डाई पर फिनिशिंग की जाएगी और धूप में चारपाई पर मोजरियों को सुखाया जाएगा। औसतन, कारीगर प्रतिदिन 25 मोजरी तैयार कर रहे थे।

असर

मुखिया भगीरथ बताया कि उसका समूह सप्ताह में 150 मोजरियां बना लेता है तथा समूह की मासिक आमदनी 30,000 रुपये है। पहले दो दिन तक अकेले काम करने पर एक मोजरी बनती थी। एक कारीगर 400 रुपये महीने ही कमा पता था। रूडा के कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादकता के साथ–साथ आमदनी में की 10 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई।

भगीरथ ने कहा – "पहले हम काम चलाऊ तंबुओं में काम किया करते थे, लेकिन अब हमारे काम की जगह पक्की बन गई है।" मुझे पक्का घर बनाने के लिए ईंटों के चट्टे दिखाई दे रहे थे। उसने मुझे बताया कि उसके तीन बच्चे हैं – दो बेटे और एक बेटी। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। संजय ने बताया कि रात आठ बजे के बाद इन गांवों में जाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब तो देसी शराब की दोनों दुकानें बंद पड़ी हैं।

जो हुनर कभी मर रहा था, उससे अब उदयपुरिया के चर्मकारों को जीवन मिल रहा है।

निरंतरता

रूडा अनुभव से सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण उद्यमों के विकेंद्रीकरण और प्रबंध की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। रूडा को इन कार्यक्रमों पर अमल करना है :

- कार्यक्रम निर्माण
- नेटवर्किंग
- सुविधाओं का उन्नयन और आधुनिकीकरण
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

सीखे गए सबक

रूडा माडल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- संभावित लक्षित समूह के घर तक प्रशिक्षण ले जाया जाता है।

- प्रशिक्षण से गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार और आमदनी उत्पन्न होती है।
- हाशिए पर पड़े लोगों में आर्थिक गतिविधियों का संचार
- प्रशिक्षुओं और क्रियान्वयन एजेंसियों दोनों ही के लिए यह लाभप्रद स्थिति रहती है।

अनुकरणीयता

कार्यक्रम की सफलता इन कारणों से है:

- दस्तकारों को आमदनी के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना।
- स्थानीय कौशल के उपयोग के साथ–साथ गरीबी हटाना।
- इससे वंचित समूहों की समता आधारित भागीदारी सुनिश्चित होती है।
- सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होने से, इस कार्यक्रम को जन समर्थन मिलने में आसानी होती है तथा इससे समुदाय के पारंपरिक हुनर का उपयोग संभव हो पाता है।

रूडा के तरीके से विशेषकर गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के वैकल्पिक रास्ते खुले हैं। हालांकि रूडा सरकार द्वारा प्रायोजित है, लेकिन यह सरकारी करण से अछूता है। इस प्रकार इसमें लचीलापन मौजूद है।

यूएनडीपी – एनएलडीपी द्वारा प्रायोजित परियोजना मार्च, 2002 में समाप्त हो गई थी। लेकिन उदयपुरिया के कारीगरों को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। उन्हें निरंतर विकास के मार्ग पर आगे जाना है।

एक सुझाव था कि इन समूहों को सहकारी संघों के रूप में पंजीकृत कराया जाए। इससे समूह को बैंकों से कर्ज लेने में मदद मिलेगी। दूसरे, एक साझा सुविधा केंद्र से समूह को सिलाई और फर्निशिंग मशीन, चमड़ा कंप्रैसिंग मशीन, फ्लाईव्हील और डाई कटिंग मशीनों जैसी मशीनें हासिल करने में मदद मिलेगी। तीसरे, कच्चे माल का बैंक बनाने का भी सुझाव था। अंतिम परंतु महत्वपूर्ण सुझाव चमड़ा रंगाई शालाएं बनाने का था।

रूडा के प्रबंध निदेशक ने रूडा की भावी योजना की चर्चा की। उन्होंने रूडा की एक मीडिया और प्रलेखन केंद्र के रूप में कल्पना की है, जहां दस्तकारों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सके। रूडा की वेबसाइट में इसके सभी उत्पादों की सूची होगी और यह अपने सामानों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद करेगी। गैर–सरकारी संगठनों और पेशेवरों के साथ सहयोग तथा नेटवर्क करने के लिए रूडा एकदम तैयार है। रूडा की "हर महीने एक नई गतिविधि" होगी। निश्चित ही इससे 'रूडा को निखरने' में मदद मिलेगी। ❑

(लेखिका पुणे के यशदा में एसोशिएट प्रोफेसर और एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस सेल की प्रमुख हैं।)

IN EAST DELHI

IAS/PCS 2005-06
GYAN INSTITUTE

FREE P.T. COURSE ON TEST BASIS*

TEST : 20th FEB. 05
REGISTRATION FOR TEST UP TO 18TH FEBRUARY

(Ahead to Success)

★ GENERAL STUDIES
★ POLITICAL SCIENCE
★ GEOGRAPHY

★ HISTORY
★ PUBLIC ADMINISTRATION
★ PHILOSOPHY

★ Fully educative and interesting environment.
★ 20 weeks non stop classroom coaching subject wise.
★ Effective and enthusiastic lectures and guidance by highly qualified faculty.
★ Best essay writing guidance, techniques and practice.
★ Test series Continuously.
★ Selective study material.
★ Reasonable and bearable fee structure.
★ Development of effective answer writing skills with hand writing.
★ Tips for interview by IAS/PCS and interview specialists.
★ Hostel facility available.

★ Postal Guidance for Geneal Studies and History for Prelims and Mains.
★ Special Guideline and Moments with IAS & PCS.
★ Education, Coaching, Guidance & Smart Techniques by Highly Qualified and experienced faculty and IAS/PCS.

Venue : DA-18, IIIrd Floor, Main Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092
Contact : 9350803337, 011-22014698, 20502251
E-mail:gyaninstitute@yahoo.com

IAS/PCS

प्रशासनिक अध्ययन संस्थान
Institute Of Administrative Studies

लोक प्रशासन By
ASHOK KR. DUBEY

इतिहास By
K.D. SINGH इलाहाबाद के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सफल विशेषज्ञ

समाजशास्त्र By
RENOWNED EXPERT

भारतीय अर्थव्यवस्था (G.S. Modular)
By K. BASHAR

SC/ST/OBC/HC/Women के लिए शुल्क में रियायत

पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम
लोक प्रशासन - प्रारंभिक - 1500/-, मुख्य - 3000/-
Note - पत्राचार के छात्रों के लिए एक सप्ताह का विशेष कक्षा कार्यक्रम (दिल्ली में)

Hostel Facility

102/B-14, Ist Floor, Commercial Complex, Near HDFC ATM, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph. 55368702, 27651002, 9312399055, 9811291166

गरब गोपालहिं भावत नाहीं

❍ जियाउर रहमान जाफरी

अहंकार, गर्व, अभिमान, दंभ – ये सब मनुष्य के ऐसे मनोभाव हैं, जिनकी प्रवृत्ति अंततः मनुष्य को विनाश की ओर ले जाना है। इस जगत का कोई व्यक्ति अहंकार पाल कर महान नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार ईश्वर को पसंद नहीं है। कहा भी गया है – 'गरब गोपालहिं भावत नाहीं'। इसी अहंकार ने महाभारत के युद्ध में कौरवों को परास्त किया। पांच पांडवों के सामने सौ कौरव बौने साबित हुए। किंतु युद्धोपरांत अर्जुन के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया। भगवान श्रीकृष्ण को यह भांपते देर न लगी। उन्होंने अर्जुन से गोपिकाओं को द्वारिकापुरी पहुंचाने को कहा। रास्ते में भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन देखते रह गए और उनका अजेय होने का सारा अभिमान टूटकर रह गया।

हमारे समृद्ध पौराणिक कथाओं, प्राचीन साहित्य और लोक तथा जातक कथाओं में ऐसे कार्य–विषयों की कमी नहीं है जहां अभिमान के वशीभूत मनुष्य अधोगति का कारण बना। हमें जानना चाहिए कि संसार में हमसे भी बड़े धनाढ्य, विद्वान, सर्वशक्ति संपन्न लोग मौजूद हैं, तब हम अभिमान क्यों करते हैं? और अगर हम सब कुछ से परिपूर्ण हैं, तब क्या अभिमान ही हमारे लिए शेष रह जाता है? गर्व मनुष्यगत प्रवृत्ति नहीं, पशुगत आचरण है। संसार में ईश्वर से बड़ा कौन है? क्या उसके पास दंभ है? चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, ग्रह ये सारे संसार को आलोकित और क्रियान्वित करते हैं। पवित्र ग्रंथ हदीस में कहा गया है कि जहां हम (अहम) दाखिल होता है वहीं से शैतान प्रवेश कर जाता है। किंतु होता

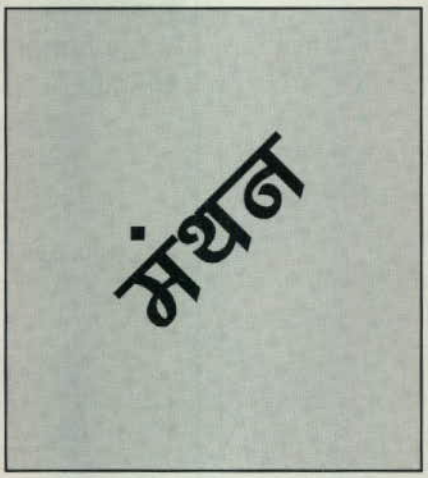

यह है कि हम किसी बड़े पद पर आ गए कि हम में घमंड कूट–कूट कर भर गया। किसी भी शक्ति या उपलब्धि के प्राप्त होने पर अहंकार छलकने लगे तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारी क्षमता उस सफलता को अपने अंदर समाहित करने की नहीं है। भागवत के प्रसिद्ध रास प्रसंग में श्रीकृष्ण अन्य गोपिकाओं को छोड़कर राधा के साथ अंतर्धान हो गए। राधा को अन्य गोपिकाओं से स्वयं को श्रेष्ठ होने का अभिमान पैदा हो गया। तब उसका अंत क्या हुआ? हम सभी जानते हैं कि भगवान उसे वहीं छोड़कर वापस लौट आए।

असत्य में अहंकार उस शैतान की तरह है जो प्रत्येक मनुष्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की चेष्टा करता है, और जैसे ही अवसर प्राप्त होता है वह उसमें प्रवेश कर जाता है फिर उसमें स्वयं को सबसे श्रेष्ठ होने का बोध पैदा हो जाता है। और वह दूसरे को तुच्छ समझने लगता है। बाद में यही अहम्मन्यता मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। अतीत में रावण और आधुनिक युग में हिटलर इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। ऊंट और मेंढक की मशहूर कहानी का निष्कर्ष है कि घमंड जाता है किंतु उसके पतन के बाद। इसलिए अहंकार की तुलना नशे से की गई है जिसके खुमार में मनुष्य किसी को कुछ नहीं समझता। वह उसके चिंतन, विवेक, समझ और मनुष्यत्व पर हमला बोल देता है। इसी अहंकार के नशे के वशीभूत नारद मुनि वानर आकृति को प्राप्त हुए और अजेय सेनापति नेपोलियन कारागार को प्राप्त हुआ।

ज्ञान की सार्थकता इसी में निहित है कि हम तदनुरूप आचरण भी करें, तब हममें जितनी अधिक सामर्थ्य है, हमारे विचार उतने ही उत्तम, भाषा उतनी ही मृदु, व्यवहार उतना ही कुशल और क्रिया उतनी ही समाजोपयोगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है तो सर्वप्रथम हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं हैं। एक बार किसी ने रावण से पूछा – 'तुमने किसी दूसरे की पत्नी का हरण क्यों किया? दूसरे की स्त्री का इस प्रकार अपहरण करना तो अधर्म है।' रावण ने हंसते हुए कहा कि यह अधर्म नहीं है, धर्म है। मैं धर्म का ही पालन कर रहा हूं ; अपने राक्षस धर्म का। संस्कृत के एक नीति श्लोक का अर्थ है – दुर्जन विद्वान हो तो भी उसे त्याग देना चाहिए। मणि से भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता? ज्ञान प्राप्त कर हम समाज और राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनते हैं। क्या इस पृथ्वी पर कृष्ण, राम, बुद्ध, मुहम्मद, ईसा से बढ़कर कोई हुआ? उनके पास किस चीज का अभाव था, लेकिन क्या अभिमान की परछांई भी उन्हें छू पाई, और यदि स्पर्श कर पाती तो शायद इस

रूप में आज वे पूजनीय अथवा अनुकरणीय नहीं होते। श्रेष्ठता वस्तुतः प्रदर्शन की वस्तु नहीं है वह आत्मसात करने का रसायन है जो हमारे आचरण में मार्दवता का संचार कर देती है। प्ल्यूटस का यह कथन द्रष्टव्य है कि – "कोई भी व्यक्ति दूसरों से सम्मान न पाएगा, जिससे स्वयं उसके अपने लोग घृणा करते हों।"

अहंकार से रहित व्यक्ति स्वयं के सामने किसी को तुच्छ नहीं समझता। वह तो संतों की तरह कह दिया करता है – 'जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय' ऐसे व्यक्ति मर कर भी अमर हो जाते हैं। इतिहास अपने पृष्ठों पर स्वर्णाक्षर में हमेशा–हमेशा के लिए उसका नाम अंकित कर लेता है। वह अपने प्रत्येक कार्य को सर्वव्यापी परम प्रभु की सेवा के भाव से करता है। उनमें सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः की भावना मौजूद रहती है। उनमें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा रूपी अहंकार का समावेश नहीं होता। वे मनुष्य को मनुष्य रूप में देखते हैं, उसके मिथ्या, मानव–निर्मित खंडित रूपों में नहीं। हमारे धर्मग्रंथों में मौजूद पुनर्जन्म का सिद्धांत बतलाता है कि हम इस जन्म में जैसा कार्य करते हैं उसी के अनुरूप हमारा पुनर्जन्म भी होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र को जब अपने देवत्व पर गर्व हो गया तब ब्रह्मा वेश बदलकर उनके पास पहुंचे। कुछ समय उपरांत कुछ चींटियां भी वहां आ गईं। यह देखकर ब्रह्मा को हंसी आ गई, इंद्र ने उनकी हंसी का कारण पूछा। बहुरूपी प्रभु बोले – हंसता इसलिए हूं कि यहां जो चींटियां दिखलाई पड़ रही हैं वे सब कभी पहले इंद्र रह चुकी हैं किंतु कर्मानुसार उन्हें अब चींटी की योनि प्राप्त हुई।

अस्तु, हम कवींद्र रवींद्र और रस्किन के संयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि हाथी–घोड़े आदि को दाना, घास आदि की आवश्यकता पड़ती है परंतु अहंकार को पनपने के लिए किसी प्रकार के भोजन की बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हमारी समस्त गलतियों की जड़ में अहंकार होता है, क्योंकि अहंकारी जब भी किसी काम में हाथ लगा देता है, तो वह गलत हो जाता है। ❑

लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर दो प्रतियों में भेजें जिसमें एक मूल प्रति हो तथा साथ में टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। लेख पर दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र–व्यवहार न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें।

IAS/PCS-2005

GEOGRAPHY & GENERAL STUDIES (Hindi & English Medium) with

SAROJ KUMAR

Achievements - Total Successful Students IAS 2003 (Prelims / Mains / Interview) - 47

LOVE KUAMR I.A.S.-2003
Specific strategy of Geog. I & II & G., II, writing practice & the Philosophy of some out of all under the guiance of my dear sir (Saroj Kumar) really gave me this height & satisfaction.

AJAY KUMAR I.A.S.-2003
Student of Geog. & G.S. Under personal guidance of Gurujee (Saroj Kumar) and one of the teacher of History made me a civil servant today.

ABHAY KUMAR I.A.S.-2003
I got productive guidance from Saroj Kumar Jee for interview. I am grateful to Gurujee.

ARVIND KUMAR I.A.S.-2003
I got guidance when I need maximum.

RAM BABU I.A.S.-2003
Saroj Kumar's I.A.S. Era gave all what I needed

MITHLESH KUMAR
HARYANA P.C.S. Topper
My success is composide product of mother & father blessings, guidance of guru jee - **Saroj Kumar**, Honesty and labour

Foundation Course (P.T. & Mains) - 2005

BATCH STARTS

5th, 10th, 20th & 25th of every month

- P.C.S. Special Classes - U.P., M.P., Raj., Bihar, Jharkhand & Uttaranchal
- Postal Course - Geog., G.S., Sociology & Pub. Admn.

Geo. & G.S. (P.T.) Test Series 2005

FREE WORKSHOP

13th June 2005,	10:30 A.M.	Geography (P.T. & Mains) (Hindi & English Medium)
14th June 2005,	10:30 A.M.	General Studies (P.T. & Mains) (Hindi & English Medium)
15th June 2005,	10:30 A.M.	History
16th June 2005,	10:30 A.M.	Sociology
17th June 2005,	10:30 A.M.	Philosophy

Contact :

DR. VEENA SHARMA
SAROJ KUMAR'S IAS ERA
1/9 Roop Nagar, Above P.N.B., Delhi-110007
Ph.: 23847516 Mob. : 9811285863
For More Details: Send DD of Rs. 50/- in favour of Saroj Kumar's IAS era

अपने दृढ़ संकल्प से प्रगति पथ पर अग्रसर ग्रामीण महिलाएं

○ बबीता जायसवाल

वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है जहां एक तरफ शहरों में आधुनिकता आई है वहीं गावों की महिलाएं भी अब किसी से पीछे नहीं है।

कुछ समय पूर्व तक ग्रामीण स्थिति काफी दयनीय थी लेकिन औरतों ने अपनी मेहनत से गांव की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ये निरक्षर स्त्रियां जो बैंक से ऋण लेना भी नहीं जानती थीं, आज दूसरे गांव के लोगों को स्वयं सहायता समूह योजना के तहत ऋण लेने की प्ररेणा भी देती हैं।

आमतौर पर किसी भी महिला के लिए सामाजिक मान्यताओं और चारदीवारी को तोड़कर बाहर निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। यह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है; लेकिन झारखंड की ग्रामीण महिलाओं ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाई है बल्कि अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। उन्होंने अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीने का संकल्प ले रखा है।

झारखंड की महिलाओं ने स्वरोजगार के माध्यम से जिस तरह अपनी दुनिया बदल ली है उसे देख कर यही कहा जा सकता है कि यदि दिल में दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई भी डगर इतनी मुश्किल नहीं।

कुछ ही सालों पहले की बात है, इन औरतों को काफी आर्थिक तंगी में रहना पड़ता था। घर में पुरुषों की उपेक्षा या और भी तरह के दुख तकलीफ सहना इन महिलाओं की नियति बन गई थी। लेकिन आज इन्होंने अपनी जिंदगी को जो शक्ल दी है उसे देख कर एक सुखद आश्चर्य तो होता ही है साथ–साथ यह काफी सराहनीय और प्रेरणादायक भी है।

बेशक इनकी जिंदगी बदलने में सरकार एवं कुछ गैरसरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी एवं इसी तरह की अन्य योजनाओं की भी अहम भूमिका है। ये इन्हें न सिर्फ आसानी से लोन मुहैय्या करवाते हैं, बल्कि इनसे सामाजिक चेतना भी जगाने का कार्य करते हैं। स्वावलंबी बनने की दिशा में पैसे से ज्यादा अहम और जरूरी आत्मविश्वास का होना होता है। इस दिशा में कहीं न कहीं अपनी इच्छाशक्ति भी कार्य करती है। यही वजह है कि कहीं महिलाएं जरा–सा सहयोग पा कर आगे बढ़ जाती हैं तो कहीं उनकी रफ्तार धीमी होती है। जो यह जानती हैं कि लोगों को अपनी क्षमताओं का अहसास निरन्तर दिलाना पड़ता है और इसके लिए कड़ी मेहनत तथा दृढ़ हौसले से अपने काम के प्रति समर्पित होना पड़ता है वे आगे बढ़ जाती हैं।

सच, मन का संकल्प ही बाहर की दीवारों को तोड़ता है और अगर ठान लें तो जिंदगी हर वह चीज देती है जिसकी चाह हो। खैर गति चाहे जो भी हो तेज या धीमी पर स्वावलंबन की ओर उन्मुख तो है ही।

यहां हम बात करते हैं ओरमांझी, कांके के पिठौरिया क्षेत्र, नामकुम व हजारीबाग के यह कुछ गांवों की महिलाओं के बारे में।

इन गांवों की महिलाओं में काफी प्रगति आई है। स्वरोजगार के माध्यम से इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ की ही है साथ ही साथ फंड में पैसे भी एकत्रित कर लिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अपने समूह से आसानी से लोन ले सकें।

आर्थिक रूप से कल जिनकी स्थिति बद से भी बदतर थी आज उनकी स्थिति काफी अच्छी है। आंगनबाड़ी व प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से प्राप्त थोड़ी–सी मदद से इनकी जिंदगी ही बदल गई है।

वैसे तो पूरे राज्य में इस तरह की योजना कार्य कर रही है लेकिन लोहरदगा में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। 600 से अधिक

स्वयं सहायता समूह व महिला मंडलों की महिलाओं द्वारा लगभग 450 आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूढ़ी व सत्तू की आपूर्ति की जा रही है, जो पहले थोक विक्रेताओं द्वारा की जाती थी। इन थोक विक्रेताओं के सामानों की शुद्धता आदि की भी शिकायतें होती रहती थीं। बिचौलियों के कारण कीमत की अलग समस्या रहती थी। लेकिन महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये जा रहे शुद्ध एवं ताजा पोषाहार की आपूर्ति से बाहर के आपूर्तिकर्ता की मुनाफाखोरी पर रोक तो लगी ही है गुणवत्ता को लेकर भी लोगों की शिकायतें दूर हुई हैं। वर्तमान में लगभग 6000 महिलाएं इस रोजगार से जुड़ी हुई हैं।

स्वावलंबी होने के साथ–साथ इस क्षेत्र में इन महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है।

महिलाओं का इस तरह स्वरोजगार क्षेत्र में बढ़ना निरन्तर आय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनका कौशल तो उभर कर आता ही है, साथ ही साथ गरीबी के बंधन से भी मुक्त करता है।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना लोहरदगा शाखा के अंतर्गत महिलाओं ने स्वरोजगार के क्षेत्र में आज अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। इस योजना के तहत कई छोटे–छोटे स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जाता है जिनमें आमतौर पर 10 से 12 महिलाएं होती हैं। प्रतिदिन बचत के द्वारा उनके पास कुछ पूंजी जमा हो जाती है तो समूह की सदस्य जरूरत पड़ने पर इन्हीं पैसों से कर्ज लेती है। इसी तरह लेन–देन करते–करते जब छह महीने हो जाते हैं तो डी.आर.डी.ए के माध्यम से बैंक अधिकारी द्वारा समूह का प्रथम ग्रेडिंग किया जाता है। यदि यह पास हो जाता है तो समूह को बैंक द्वारा कम से कम 25,000 रु. चक्रीय निधि दी जाती है। इसी राशि से समूह की सदस्या कोई स्वरोजगार शुरू करती है। 25,000 में से 10,000 रुपये सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। इसे वे बैंक से छह महीने तक चक्रीय निधि के रूप में इस्तेमाल करती हैं। 6 महीने के बाद समूह का फिर से ग्रेडिंग होता है। इस छह महीने में प्रायः समूह पशु–पालन, मछली पालन, मोमबत्ती, अगरबत्ती, जूट का सामान बनाना जैसे छोटे एवं लघु उद्योगों के द्वारा आय का अच्छा स्रोत बन जाता है। इसके लिए डीआरडीए द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। द्वितीय ग्रेंडिग के बाद बैंक के माध्यम से समूह को उनके आर्थिक क्रियाकलाप के अनुसार उन्हें कर्ज दिया जाता है ताकि वे सामूहिक रूप से काम करते हुए इतना कमा लें कि अपने परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकें। ❑

(स्वतंत्र लेखिका)

OUR MILESTONES

"I found guidance from Dr. Majid Husain at CIVILS INDIA very useful one. CIVILS INDIA provides good environment for studying Optionals and General Studies." Arshdeep Singh

ARSHDEEP SINGH
IAS 3rd Topper

"With labour and commitment Proper guidance matters the most which I got at CIVILS INDIA" Shurbir

SHURBIR SINGH
IAS 4th Topper

OTHER RESULTS

138th - Dinesh Kumar ,IAS
145th - Dheeraj Garg ,IPS
252nd - Shyam Kanu Mohanta ,IRS
318th - Punam ,Allied
402nd - Babulal Sonal ,IRS

OUR HIGHEST IN 2003
Geog.-362; G.S.-361; Essay-142; Interview-220

IAS 2004-05
ADMISSION NOTICE

We offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

GEOGRAPHY by Prof. Majid Husain
Registration Open June,2005 Batch Screen Test On 25.5.05
"A name needing no introduction"
*6th Topper in the very first Batch (2002)
and 3rd & 4th Toppers in the second Batch (2003)

GEN. STUDIES by Dr.Majid Husain, Dr. Ramesh Singh, Dr. S. S. Pandey & Neeraj Singh
4th Topper in the very first Batch (1998)
6th Topper in (2002) & 3rd and 4th in 2003.
Classes Started

ECONOMY by Dr. Ramesh Singh
"Making Economy the easiest for anybody"
Batches every month
STARTS 15. 02. 05

समाजशास्त्र by Dr. S. S. Pandey
(At CIVILS INDIA only)
Next Batch June 05
"हिन्दी माध्यम में सर्वाधिक लोकप्रिय"

दर्शनशास्त्र by Deepak Kumar
"Class करें और अंतर देखें"
Next Batch June 05
• Module की सुविधा •Improvement Programme

HISTORY by Sanjay Varma & नीरज सिंह
Next Batch June 05

SPECIAL FEATURES
• Two types of Notes : (1) Exhaustive type
(2) Model Answer type
• Everyday Assignments/Writing Practice/Timely Tests
• Personal Guidance Programme (PGP) also
• Fleximodule in GS [Listen classes and G.S. is prepared]

CIVILS INDIA®
A Quality Institute for IAS
A/12-13,202-203, ANSALBUILDING
BEHIND BATRA CINEMA,
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09
Ph.: 27652921, 9810553368 (Dr.) 9818244224 (Couns.)

नए प्रकाशन

पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप

पंचायतों का सशक्तीकरण : राकेश चतुर्वेदी; **उद्योग नगर प्रकाशन, गाजियाबाद;** पृष्ठ संख्या : **120;** मूल्य : **75 रुपये**

पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। शासकीय उदासीनता और जनसहभागिता के अभाव में यह व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही क्योंकि लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा इस व्यवस्था के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1992 में ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और ऐसे प्रावधान भी किए जिनसे इस संस्थाओं को पुनर्जीवित किया जा सके और विकास के कार्यों में इनकी भूमिका सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार संविधान का 73वां संशोधन विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना गया। ऐसी भी आशा की गई कि भविष्य में स्थानीय पंचायतें राजनैतिक आकांक्षाओं पर निर्भर नहीं रहेंगी वरन् अपनी शक्ति स्वयं प्राप्त करेंगी। इस कदम को व्यापक जन समर्थन मिला और एक बार फिर से इन संस्थाओं को विकास कार्यों में अपनी अहम भूमिका सुनिश्चित करने का अवसर मिला।

इस नए कदम की महत्ता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विचारकों, विषय विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों ने स्थानीय संस्थाओं के कार्यों की विवेचना प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप इसके प्रभाव, समस्याओं और कार्यशैली की विवेचना संबंधी साहित्य का सृजन प्रारंभ हुआ। इसका एक लाभ यह हुआ कि आज स्थानीय संस्थाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा लगभग प्रत्येक प्रांत में स्थानीय भाषा में उपलब्ध है।

इसी श्रृंखला में राकेश चतुर्वेदी द्वारा रचित पुस्तक "पंचायतों का सशक्तीकरण" एक अच्छा प्रयास है। इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा की गई है तथा तथा कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं। पुस्तक में विभिन्न विषयों की समीक्षा और विवेचना न केवल प्रासंगिक है अपितु इसमें बहुत ही संतुलित रूप से विषयों की व्याख्या की गई है।

पुस्तक में 8 अध्याय है। प्रत्येक में एक विषय की समालोचना की गई है। पहले अध्याय में प्रमुखतः पंचायती राज व्यवस्था के प्राचीन काल और वर्तमान स्वरूप की विवेचना संक्षिप्त रूप से की गई है। पंचायती राज व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है। ब्रिटिश शासन में इस संस्थाओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने में किस प्रकार की अड़चनें आईं, आदि का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित रूप में किया गया है। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर संविधान के 73वें संशोधन को बहुत ही अच्छे रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही लेखक ने पंचायतीराज एवं प्रजातंत्रीय विकेंद्रीकरण की अवधारणा की व्याख्या प्रस्तुत की है। इस प्रकार इस अध्याय में पंचायतों के आदि स्वरूप एवं वर्तमान परिकल्पना को बहुत ही सटीक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

दूसरे अध्याय के अंतर्गत ग्रामीण विकास की अवधारणा को विकास की परिकल्पना से जोड़कर देखा गया है। गांधीवादी ग्रामीण विकास की परिभाषा की विवेचना करते हुए भारतवर्ष में किए गए विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है। लेखक के अनुसार ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी कसौटी शहरों से ग्रामीण जनता का वापस गांव की ओर जाना है।

तीसरे अध्याय के अंतर्गत ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका की विवेचना की गई है। लेखक का मत है कि संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि ग्रामीण विकास के समग्र रूप और स्वावलंबन के सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए पंचायतों का सशक्तीकरण किया जाए ताकि पंचायतें अपनी अपेक्षित भूमिका सफलतापूर्वक निभा सकें।

चौथे अध्याय में सशक्तीकरण की अवधारणा की व्याख्या बहुत ही सरल ढंग से करते हुए लेखक ने इस विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया को संस्था के सशक्तीकरण के विभिन्न संसाधनों के रूप में दर्शाया गया है। इस संदर्भ में लेखक ने सशक्तीकरण की प्रक्रिया पर 73वें संविधान संशोधन की भूमिका को उजागर करने का प्रयास किया है।

छठे अध्याय के अंतर्गत सशक्तीकरण के निम्न पांच माध्यमों की व्याख्या की गई है: (1) सूचना का अधिकार, (2) बैंकों की भूमिका, (3) क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण, (4) पंचायतें एवं स्वैच्छिक संगठन, (5) पंचायती राज एवं ओद्यौगीकरण। लेखक ने इस सभी माध्यमों की रूपरेखा एवं ग्रामीण विकास में इनकी भूमिका को दर्शाया है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण के विषय को विस्तार से बयान किया गया है। किसी भी पाठक के लिए इस अध्याय में प्रदत्त सामग्री व्यावहारिक ज्ञान के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

इसके उपरांत विकेंद्रीकरण की अवधारणा और इसके वर्तमान स्वरूप को पृथक अध्याय में दिया गया है। इसी के अंतर्गत स्वायत्तता की परिभाषा एवं इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है, इसकी व्याख्या उत्तर प्रदेश के अनुभव को ध्यान में रखकर की गई है।

अंतिम अध्याय में लेखक ने उत्तर प्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था का आकलन किया है। प्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था अभी तक भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। संविधान के 73वें संशोधन की भावना के अनुरूप इन संस्थाओं को अभी भी आवश्यक संसाधन प्राप्त नहीं हो पाए हैं।

पुस्तक की विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसमें पंचायती राज से संबंधित जानकारी बहुत सरलता से प्रस्तुत की गई है। इसकी विशेषता है कि यह सभी प्रकार के पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ❑

(समीक्षक : से.रा. यात्री)

सामान्य अध्ययन : एक प्रामाणिक पुस्तक

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्यतन पाठ्य सामग्री का अनमोल संग्रह

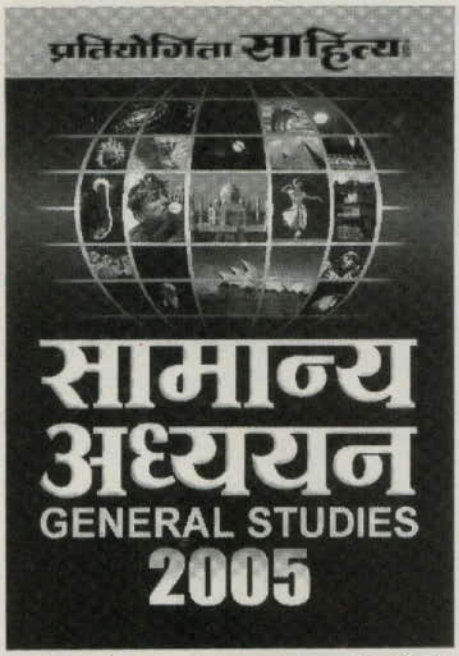

Rs. 690/-

Free Booklet

- विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी
- गत परीक्षा के सॉल्वड पेपर्स • 5 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स हल सहित

- प्राक्कथन लेखकः श्री एस.पी. आर्य (I.A.S.) पूर्व प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार • प्रधान सम्पादक : डॉ. बी.एल. फड़िया
- 7th संशोधित संस्करण • 2428 पृष्ठ • 10363 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रमुख आर्कषण • सामान्य विज्ञान • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी • पर्यावरण व प्रदूषण • कृषि एवं पशुपालन • इतिहास : विश्व एवं भारत • राष्ट्रीय आन्दोलन • भारतीय राजव्यवस्था • विश्व एवं भारत का भूगोल • भारतीय अर्थव्यवस्था • सामान्य मानसिक योग्यता • खेलकूद • प्रमुख सम्मान तथा पुरस्कार • सामान्य ज्ञान • भारत की सामयिक व्यवस्था • राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम् घटनाएं • कौन, क्या, कहां? से सम्बन्धित प्रामाणिक एवं अद्यतन जानकारी एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित • विगत वर्षों के परीक्षा प्रश्न-पत्र व्याख्यात्मक हल सहित • नवीन परीक्षा प्रणाली के अनुरूप मानचित्र आधारित प्रश्न, कथन एवं कारण सम्बन्धी प्रश्नों का समावेश • नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित आदर्श प्रश्न-पत्र व्याख्यात्मक हल सहित

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

DESTINATION IAS ACADEMY

IAS/PCS (Pre-CUM-Mains - 2005-06)
U.G.C. / NET / SLET

भूगोल द्वारा **संजय सिंह**
लेखक :
1. क्रॉनिकल भूगोल
2. क्रॉनिकल वस्तुनिष्ठ भूगोल
3. क्रॉनिकल भारत एवं विश्व का भूगोल

सामान्य अध्ययन /G.S. द्वारा **कैलाश मिश्रा, संजय सिंह, डी. आचार्य**

समाज शास्त्र/Sociology द्वारा **प्रवीन किशोर**
FIRST TIME BY TECHNOCRAT

विशेषताएँ
1. विषय के सभी खण्डों का विस्तृत विवेचन
2. संभावित एवं विगत वर्षों के प्रश्नों की सविस्तार चर्चा
3. साप्ताहिक टेस्ट एवं मूल्यांकन
4. पूर्ण परिमार्जित अध्ययन सामग्री
5. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ के लिए विशेष सत्र

किन्हीं दो विषयों पर विशेष छूट, पत्राचार सविधा उपलब्ध

इतिहास द्वारा **डी आचार्य** (के दक्ष निर्देशन में)
MAXIMUM OUTPUT IN MINIMUM INPUT

राजनीति विज्ञान/Pol. Sci. द्वारा **कैलाश मिश्रा**

मुख्य संपादक : **ट्रेण्ड एनैलिसिस**

लेखक
1. भारतीय अर्थव्यवस्था
2. भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3. बदलते हुए परिदृश्य में भारत की विदेश नीति

at B-12, COMMERCIAL COMPLEX
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI - 9
Mob.: 9868080491, 9868338235, 9818329854

SNEWS : 9811124003

भारत की विश्व कपड़ा व्यापार का 7 प्रतिशत भाग पाने पर नजर

❍ अभिषेक शंकर

सारी दुनिया नए साल के स्वागत में पलक पांवड़े बिछा रही है। लेकिन भारत को इस बार नए साल से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। मल्टी–फाइबर समझौता समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी 2005 से कपड़ा क्षेत्र में कोटा मुक्त युग की शुरुआत हो रही है। अब इस क्षेत्र में सबसे सक्षम ही टिक पाएंगे। भारत को उम्मीद है कि वह कपड़ा व्यापार में अपना हिस्सा बढ़ा कर काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगा।

इससे कपड़ा व्यापारी और शेयर मार्केट दोनों ही बहुत उत्साहित हैं। उनका विचार है कि भारत इस अवसर से फायदा उठा सकेगा और कपड़ा बाजार अपने हिस्से में मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 वर्षों में 70 प्रतिशत तक पहुंचा देगा। सरकार ने भी यही लक्ष्य रखा है।

कपडा क्षेत्र संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। 2010 तक इस क्षेत्र में 1.2 करोड़ और लोगों को काम मिल सकेगा। इनमें से अधिकांशतः महिलाएं होंगी।

अधिकांश भारतीय कपड़ा कंपनियां अग्रिम और पश्च दोनों प्रकार के व्यापार एकीकरण की ओर जा रही हैं। अरविंद मिल्स और रेमंड्स लिमिटेड जैसी वस्त्र कंपनियां परिधान उद्योग पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं क्योंकि इसमें उन्हें बेहतर प्रतिलाभ की आशा है। परिधान तैयार करने वाली अधिकांश कंपनियां व्यापार के पश्च एकीकरण पर निवेश कर रही हैं और कच्चे माल का आधार (बुना कपड़ा) तैयार कर रही हैं। इसका उद्देश्य बुनियादी तौर पर किफायत लाना है।

अशिमा लिमिटेड के उपाध्यक्ष, बी. रवि ने कहा– 'सभी बड़ी कपड़ा कंपनियां इसी दिन के लिए तैयारी कर रही थीं। हम बाजार की मांग पूरी करने को तैयार हैं। आर्डर मिल रहे हैं। निर्यात क्षेत्र में रुख सकारात्मक है।' क्रिएटिव गार्मेंट्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विजय अग्रवाल ने कहा – "भारत के अधिकांश वस्त्र निर्यातकों को उनकी पूरी क्षमता के अनुसार अगले तीन महीने के लिए काम मिला हुआ है। अनेक कंपनियों ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूसरी पारी में काम करना शुरू कर दिया है।

कपड़ा कंपनियों के शेयर मूल्य भी 2004 में खूब बढ़े। आलोक इंडस्ट्रीज, अरविंद मिल्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, बाम्बे डाइंग, वर्धमान स्पिनिंग, अशिमा लिमिटेड, अर्वी डेनिम और अन्य के शेयर मूल्य पिछले साल के मुकाबले 60–100 प्रतिशत बढ़े। एक वस्त्र विश्लेषक अभिषेक जैन ने कहा– 'हाल के दिनों में कपड़ा उद्योग के शेयर बहुत लोकप्रिय हुए हैं क्योंकि कोटा युग समाप्त हो रहा है और कपास की कीमतें घट रही हैं।'

टेक्सटाइल कंपनियां सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि वह माल की आवाजाही तेज करने के उद्देश्य से बुनियादी सुविधाओं में कमियां दूर करेगी। भारतीय कपड़ा मिल परिसंघ के महासचिव, डी. के. नायर ने कहा कि बुनियादी सुविधाएं ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भारत के सभी बंदरगाहों पर बहुत भीड़–भाड़ है। विशेषज्ञों की राय में बिजली की बेहतर सप्लाई, अच्छी सड़कें और युक्तिसंगत कर ढांचा अन्य वे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत में माल सुपुर्दगी में 60–120 दिन का समय लगता है जब कि चीन में यह अवधि सिर्फ 30–45 दिन है। माना जा रहा है कि कोटा मुक्त युग की शुरुआत से चीन को सबसे अधिक लाभ होगा। 300 करोड़ वाले शेमकिन ग्रुप के एच.बी.चतुर्वेदी ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश से मुम्बई माल पहुंचाने पर 42,000 रुपये खर्च होते हैं जब कि उसे मुम्बई से कोरिया पहुंचाने पर सिर्फ 20,000 रुपये लागत आती है।

कठोर श्रमिक कानून एक अन्य क्षेत्र है जिस पर इस उद्योग के अनुभवी लोग तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत बताते हैं। "श्रम कानूनों के कारण हम अधिक काम के दिनों में ज्यादा श्रमिक इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि हमें डर है कि उन्हें तब भी काम पर रखना पड़ेगा जब ज्यादा काम नहीं होता। इसके कारण हमारे उद्योग को अतीत में अनेक आकर्षक आर्डर लेने से इंकार करना पड़ा।' केटी कारपोरेशन के प्रेमल उदानी ने कहा है। यह कंपनी भारत के सबसे बड़े वस्त्र निर्यातकों में से एक है।

टेक्सटाइल कमेटी के होटल क्वालिटी मैनेजमेंट निदेशक, जी.एस. नडिगर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर मिलते हैं, लेकिन उनके साथ ही वस्त्र निर्माताओं पर जिम्मेदारी भी आती है। दुनिया के जो वस्त्र विक्रेता भारत से माल खरीदते हैं वे सामाजिक उत्तर दायित्व और बाल श्रम जैसे संबद्ध मुद्दों सहित गुणवत्ता नियंत्रण पर भी ध्यान देते हैं।"

कोटा नियम की समाप्ति के बाद भारत का कारोबार अगले तीन वर्षों में दुगुना बढ़ कर 25 अरब डालर हो जाने की संभावना है। परिधान क्षेत्र में मांग बहुत बढ़ने के कारण कारोबार में इस प्रकार के उछाल आने की उम्मीद है। ❑

(सौजन्य – इकोनामिक टाइम्स अहमदाबाद ब्यूरो)

प्रो0 उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली–110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830–32
संपादक : राजेन्द्र राय

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003–05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi.
पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

भारत-2005

पृष्ठ संख्या–1112 मूल्य : 200 रुपए

भारत के युवाओं को नववर्ष का उपहार

भारत के बारे में प्रामाणिक जानकारी चाहने वालों
के लिए सूचना का समृद्ध भंडार

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
टेलीफोन नं. : 91-011-24365610, 24367260,
फैक्स : 24365609

संदर्भ ग्रंथ विभाग के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, पटना, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी स्थित विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध